Regd. No. CHD/0093/2015–2017
COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 213–2017/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 6 दिसम्बर, 2017
(14 अग्रहायण, 1939 शक)

### विधायी परिशिष्ट


| क्रमांक | विषय वस्तु | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **भाग I** | **अधिनियम** | |
| | हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19) (केवल हिन्दी में) | 487—585 |
| **भाग II** | **अध्यादेश** | |
| | कुछ नहीं। | |
| **भाग III** | **प्रत्यायोजित विधान** | |
| | कुछ नहीं। | |
| **भाग IV** | **शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन** | |
| | कुछ नहीं। | |

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

**भाग – I**

**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 6 दिसम्बर, 2017

**संख्या लैज. 19/2017.–** दि हरियाणा गुड्स एण्ड सर्विसिज टेक्स ऐक्ट, 2017, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 20 नवम्बर, 2017 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

**2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19**

**हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017**

**हरियाणा राज्य द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अंतःराज्यीय प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम**

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

**अध्याय I**

प्रारम्भिक

**1.** (1) यह अधिनियम हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है । संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण हरियाणा राज्य में है ।

(3) यह ऐसी तिथि को लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तिथियां नियत की जा सकती हैं और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के लागू होने के प्रतिनिर्देश है ।

**2.** इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं ।

(1) ''अनुयोज्य दावा'' का वही अर्थ होगा, जो इसे संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 4), की धारा 3 में दिया गया है ;

(2) ''परिदान का पता'' से अभिप्राय है, माल या सेवाओं या दोनों को पाने वाले का ऐसा पता, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के परिदान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कर बीजक पर उपदर्शित है ;

(3) ''अभिलेख पर पता'' से अभिप्राय है, पाने वाले का वह पता, जो प्रदायकर्ता के अभिलेखों में उपलब्ध है ;

(4) ''न्यायनिर्णायक प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश या निर्णय पारित करने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, किंतु इसमें आयुक्त, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण शामिल नहीं है ;

(5) ''अभिकर्ता'' से अभिप्राय है, फेक्टर, दलाल, कमीशन अभिकर्ता, आढ़तिया, प्रत्यायक अभिकर्ता (डेल क्रेडर एजेंट), नीलामकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, सहित कोई ऐसा व्यक्ति है, जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या प्राप्ति का कारबार करता है ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(6) ''संकलित आवर्त'' से अभिप्राय है, अखिल भारतीय आधार पर संगणित समान स्थायी खाता संख्या वाले व्यक्तियों के सभी कराधेय प्रदायों (ऐसे आवक प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करके, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर भुगतानयोग्य है), छूटप्राप्त प्रदायों, माल या सेवाओं या दोनों के निर्यातों और अंतरराज्यिक प्रदायों का संकलित मूल्य, किंतु इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित है ;

(7) ''कृषक'' से अभिप्राय है, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब, जो,–

(क) स्वयं के श्रम द्वारा ; या

(ख) कुटुंब के श्रम द्वारा ; या

(ग) नकद या वस्तु के रूप में भुगतानयोग्य मजदूरी पर सेवकों द्वारा या व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन या कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के मजदूरों द्वारा,

भूमि पर खेती करता है ;

(8) ''अपील प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, धारा 107 में यथा निर्दिष्ट अपीलों की सुनवाई के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी;

(9) ''अपील अधिकरण'' से अभिप्राय है, धारा 109 में निर्दिष्ट माल और सेवा कर अपील अधिकरण;

(10) ''नियत दिन'' से अभिप्राय है, वह तिथि जिसको इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे ;

(11) ''निर्धारण'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व का अवधारण और इसमें स्वतः–निर्धारण, पुनः–निर्धारण, अनंतिम निर्धारण, संक्षिप्त निर्धारण और सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार निर्धारण भी शामिल है ;

(12) ''सहयुक्त उद्यमों'' का वही अर्थ होगा, जो इसे आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 43), की धारा 92क में दिया गया है ;

(13) ''संपरीक्षा'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित या दिए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की, घोषित आवर्त, भुगतान किए गए करों, दावाकृत प्रतिदाय और उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप उसकी अनुपालना के मूल्यांकन के लिए परीक्षा;

(14) ''प्राधिकृत बैंक'' से अभिप्राय होगा, इस अधिनियम के अधीन भुगतानयोग्य कर या किसी अन्य राशि का संग्रहण करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई बैंक या किसी बैंक की कोई शाखा;

(15) ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' से अभिप्राय है, धारा 116 के अधीन यथा निर्दिष्ट प्रतिनिधि;

(16) ''बोर्ड'' से अभिप्राय है, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का केन्द्रीय अधिनियम 54), के अधीन गठित केंद्रीय उत्पाद–शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ;

(17) ''कारबार'' में निम्नलिखित सम्मिलित है–

(क) कोई व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, वृत्ति, व्यवसाय, प्रोद्यम, पद्यम् या उसी प्रकार का कोई अन्य क्रियाकलाप, चाहे वह किसी धनीय फायदे के लिए हो या न हो ;

(ख) उपखंड (क) के संबंध में या उसके आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार ;

(ग) उपखंड (क) की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार, चाहे ऐसे संव्यहवहार का कोई परिमाण, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता हो या न हो ;

(घ) कारबार के प्रारंभ या उसके बंदी के संबंध में पूंजी माल सहित माल और सेवाओं का प्रदाय या अर्जन ;

(ङ) किसी क्लब, संगम, सोसाइटी या वैसी ही सुविधाओं या फायदों वाले किसी ऐसे निकाय द्वारा उसके सदस्यों के लिए (किसी अभिदान या किसी अन्य प्रतिफल के लिए) कोई व्यवस्था ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(च) किन्हीं परिसरों में, व्यक्तियों का, किसी प्रतिफलार्थ प्रवेश ;

(छ) किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे पद धारक के रूप में, जो उसने अपने व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए स्वीकार किया है, प्रदाय की गई सेवाएं ;

(ज) किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा, योगमान के रूप में उपलब्ध कराई गई सेवाएं या ऐसे क्लब में बुक–मेकर की अनुज्ञप्ति; और

(झ) केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किया गया कोई ऐसा क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिसमें वे लोक प्राधिकारियों के रूप में लगे हुए हैं ;

(18) ''कारबार शीर्षक'' से अभिप्राय है, किसी ऐसे उद्यम का विशिष्ट संघटक, जो ऐसे पृथक्–पृथक् माल या सेवाओं के या ऐसे संबंधित माल या सेवाओं के समूह के प्रदाय में लगा हुआ है, जो ऐसे जोखिम और प्रत्यागम के अध्यधीन है, जो उन कारबार शीर्षकाओं से भिन्न है ;

**व्याख्या.–** इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कारक, जिन पर यह अवधारण करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या माल या सेवाएं जिनसे संबंधित हैं, उसमें निम्नलिखित सम्मिलित है–

(क) माल या सेवाओं की प्रकृति ;

(ख) उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति ;

(ग) माल या सेवाओं के लिए ग्राहकों के प्रकार या वर्ग ;

(घ) माल के वितरण या सेवाओं के प्रदाय में प्रयुक्त पद्धतियां ; और

(ङ) विनियामक पर्यावरण की प्रकृति (जहां कहीं भी लागू हो), इसके अंतर्गत बैंककारी, बीमा या लोक उपयोगिताएं हैं ;

(19) ''पूंजी माल'' से अभिप्राय है, ऐसे माल, जिनका मूल्य इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने वाले व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में पंजीकृत है और जिनका कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है ;

(20) ''नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति'' से अभिप्राय है, ऐसा व्यक्ति, जो ऐसे किसी कराधेय राज्य क्षेत्र में जहां उसके कारबार का निश्चित स्थान नहीं है, प्रधान, अभिकर्ता या किसी अन्य हैसियत में कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में यदा कदा ऐसे संव्यवहार करता है, जिनमें माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अंतर्वलित है ;

(21) ''केंद्रीय कर'' से अभिप्राय है, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), की धारा 9 के अधीन उद्‌गृहीत केंद्रीय माल और सेवा कर;

(22) ''उपकर'' का वही अर्थ होगा, जो इसे माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 15), में दिया गया है ;

(23) ''चार्टर्ड एकाउंटेंट'' से अभिप्राय है, चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम 38) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथा परिभाषित चार्टर्ड एकाउंटेंट;

(24) ''आयुक्त'' से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य कर आयुक्त और इसमें धारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य कर प्रधान आयुक्त या मुख्य आयुक्त भी सम्मिलित हैं ;

(25) ''बोर्ड में आयुक्त'' से अभिप्राय है, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), की धारा 168 में निर्दिष्ट आयुक्त ;

(26) ''सामान्य'' पोर्टल'' से अभिप्राय है, धारा 146 में निर्दिष्ट सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रोनिक पोर्टल ;

(27) ''सामान्य कार्य दिवस'' से अभिप्राय होगा, लगातार ऐसे दिन, जिन्हें केंद्रीय सरकार या हरियाणा सरकार द्वारा राजपत्रित छुट्टी के रूप में घोषित नहीं किया गया है ;

(28) ''कंपनी सचिव'' से अभिप्राय है, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का केन्द्रीय अधिनियम 56), की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथा परिभाषित कंपनी सचिव;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(29) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, ऐसा प्राधिकारी, जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(30) ''संयुक्त प्रदाय'' से अभिप्राय है, किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को किया गया कोई ऐसा प्रदाय, जो माल या सेवाओं या दोनों के दो या अधिक कराधेय प्रदायों से मिलकर बना है या उनका कोई समुच्चय है, जिन्हें कारबार के साधारण अनुक्रम में एक दूसरे के साथ संयोजन में प्राकृतिक रूप से बांधा गया है और प्रदाय किया गया है, जिनमें एक मूल प्रदाय है ;

**उदाहरण.–** जहां माल का पैक और परिवहन बीमा के साथ किया जाता है, वहां माल, पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा का प्रदाय संयुक्त प्रदाय होगा और माल का प्रदाय मुख्य प्रदाय होगा;

(31) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में 'प्रतिफल' में निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं–

(क) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके उत्प्रेरण के लिए, चाहे धन के रूप में या अन्यथा किया गया या किया जाने वाला कोई भुगतान, किंतु इसमें केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायिकी (सबसिडि) सम्मिलित नहीं होगी ;

(ख) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके उत्प्रेरण के लिए चाहे, किसी कार्य या संयमित रहने का धनीय मूल्य, किंतु इसमें केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायिकी (सबसिडि) सम्मिलित नहीं होगी:

परंतु माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में दिए गए निक्षेप को ऐसे प्रदाय के लिए किए गए भुगतान के रूप में तब तक नहीं समझा जाएगा, जब तक प्रदायकर्ता ऐसे निक्षेप का, उक्त प्रदाय के लिए प्रतिफल के रूप में उपयोजन न करे ;

(32) ''माल का निरंतर प्रदाय'' से अभिप्राय है, माल का ऐसा प्रदाय, जो किसी संविदा के अधीन तार, केबल, पाइपलाइन या अन्य नलिका के माध्यम से या अन्यथा, निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराया जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाया जाए और जिसके लिए नियमित या आवधिक आधार पर प्रदायकर्ता, प्राप्तिकर्ता के लिए बीजक बनाता है और इसमें ऐसे माल, जो सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, का प्रदाय भी सम्मिलित है ;

(33) ''सेवाओं का निरंतर प्रदाय'' से अभिप्राय है, सेवाओं का ऐसा प्रदाय, जो किसी संविदा के अधीन आवधिक भुगतान की बाध्यताओं के साथ तीन मास से अधिक की अवधि के लिए निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराया जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाया जाए और इसमें ऐसी सेवाओं का, जो सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, प्रदाय भी सम्मिलित है;

(34) ''प्रवहण'' में कोई जलयान, वायुयान और यान भी सम्मिलित है ;

(35) ''लागत लेखापाल'' से अभिप्राय है, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम 23) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथा परिभाषित कोई लागत लेखापाल ;

(36) ''परिषद्'' से अभिप्राय है, संविधान के अनुच्छेद 279क के अधीन स्थापित माल और सेवा कर परिषद्;

(37) ''जमा पत्र'' से अभिप्राय है, धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज ;

(38) ''नामे नोट'' से अभिप्राय है, धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज ;

(39) ''समझा गया निर्यात'' से अभिप्राय है, माल का ऐसा प्रदाय, जिसे धारा 147 के अधीन अधिसूचित किया जाए ;

(40) ''पदाभिहित प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, ऐसा प्राधिकारी, जिसे आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(41) ''दस्तावेज'' में किसी प्रकार का लिखित या मुद्रित अभिलेख तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21) की धारा 2 के खंड (न) में यथा परिभाषित इलेक्ट्रोनिक अभिलेख भी सम्मिलित है ;

(42) भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में ''चुंगी वापसी'' से अभिप्राय है, ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी आयातित निवेश पर या किन्हीं घरेलू निवेशों या इनपुट सेवाओं पर प्रभार्य शुल्क, कर या उपकर का रिबेट;

(43) ''इलेक्ट्रोनिक नकद खाता'' से अभिप्राय है, धारा 49 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रोनिक नकद खाता ;

(44) ''इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य'' से अभिप्राय है, डिजिटल या इलेक्ट्रोनिक नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल उत्पाद सहित माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय;

(45) ''इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक'' से अभिप्राय है, कोई ऐसा व्यक्ति, जो इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रोनिक सुविधा या प्लेटफार्म पर स्वामित्व रखता हो, उसका प्रचालन या प्रबंध करता हो ;

(46) ''इलेक्ट्रोनिक जमा खाता'' से अभिप्राय है, धारा 49 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रोनिक जमा खाता;

(47) ''छूटप्राप्त प्रदाय'' से अभिप्राय है, किसी ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय, जिसकी धारा 11 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13), की धारा 6 के अधीन, कर की दर शून्य हो या जिसे कर से पूरी छूट दी जा सकती है और इसमें गैर–कराधेय प्रदाय भी सम्मिलित है;

(48) ''विद्यमान विधि'' से अभिप्राय है, माल या सेवाओं या दोनों पर शुल्क या कर के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित कोई ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाले विधानमण्डल या किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया है या बनाया गया है ;

(49) ''कुटुंब'' से अभिप्राय है,–

(i) व्यक्ति का पति या पत्नी और बच्चे ; और

(ii) व्यक्ति के माता–पिता, दादा–दादी, भाई और बहन, यदि वे पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से उक्त व्यक्ति पर आश्रित हैं ;

(50) ''नियत स्थापन' से अभिप्राय है, (कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न) कोई ऐसा स्थान, जिसकी अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाओं के प्रदाय या सेवाएं प्राप्त करने और उनके उपयोग के लिए मानव और तकनीकी संसाधनों के निबंधनानुसार स्थायीत्व और उपयुक्त संरचना की पर्याप्त मात्रा द्वारा विशिष्टता बताई गई है ;

(51) ''निधि'' से अभिप्राय है, धारा 57 के अधीन स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि ;

(52) ''माल'' से अभिप्राय है, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न प्रत्येक प्रकार की चल संपत्ति, किंतु इसमें अनुयोज्य दावे, उगती फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उसके भागरूप बनने वाली ऐसी घास और वस्तुएं सम्मिलित हैं जिसका प्रदाय से पूर्व या प्रदाय की संविदा के अधीन पृथक् किए जाने का करार किया गया है ;

(53) ''सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार ;

(54) ''माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम'' से अभिप्राय है, माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 15) ;

(55) ''माल और सेवा कर व्यवसायी'' से अभिप्राय है, कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे धारा 48 के अधीन ऐसे व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदित किया गया है ;

(56) ''भारत'' से अभिप्राय है, संविधान के अनुच्छेद 1 में यथा निर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, राज्यक्षेत्रीय सागर–खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम 80), में यथा निर्दिष्ट ऐसे सागर–खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और किसी अन्य सामुद्रिक क्षेत्र के नीचे का समुद्र तल और अवमृदा और उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर–खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(57) ''एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम'' से अभिप्राय है, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) ;

(58) ''एकीकृत कर'' से अभिप्राय है, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13), के अधीन उद्‌गृहीत एकीकृत माल और सेवा कर ;

(59) ''निवेश'' से अभिप्राय है, कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रदायकर्ता द्वारा उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल से भिन्न कोई माल ;

(60) ''इनपुट सेवा'' से अभिप्राय है, कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रदायकर्ता द्वारा उपयोग की गई या उपयोग किए जाने के लिए आशयित कोई सेवा ;

(61) ''इनपुट सेवा वितरक'' से अभिप्राय है, माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे धारा 31 के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्या वाले कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता को उक्त सेवाओं पर भुगतान केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है;

(62) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में ''इनपुट कर'' से अभिप्राय है, माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय पर प्रभारित केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर और इसमे निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं–

(क) माल के आयात पर प्रभारित एकीकृत माल और सेवा कर ;

(ख) धारा 9 की उपधारा (3) और (4) के उपबंधों के अधीन भुगतानयोग्य कर;

(ग) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13), की धारा 5 की उपधारा (3) और (4) के उपबंधों के अधीन भुगतानयोग्य कर ; या

(घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), की धारा 9 की उपधारा (3) और (4) के उपबंधों के अधीन भुगतानयोग्य कर,

किंतु इसमें उद्‌ग्रहण के प्रशमन के अधीन भुगतान कर सम्मिलित नहीं है ;

(63) ''इनपुट कर प्रत्यय'' से अभिप्राय है, इनपुट कर का प्रत्यय ;

(64) ''माल का अंतःराज्यीय प्रदाय'' का वही अर्थ होगा, जो इसे एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13), की धारा 8 में दिया गया है ;

(65) ''सेवाओं का अंतःराज्यीय प्रदाय'' का वही अर्थ होगा, जो इसे एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13), की धारा 8 में दिया गया है ;

(66) ''बीजक'' या ''कर बीजक'' से अभिप्राय है, धारा 31 में निर्दिष्ट कर बीजक ;

(67) किसी व्यक्ति के संबंध में ''आवक प्रदाय'' से अभिप्राय होगा, क्रय, अर्जन या किसी अन्य साधन द्वारा प्रतिफल के साथ या उसके बिना माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति;

(68) ''छुटपुट कार्य'' से अभिप्राय है, किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के माल पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई उपचार या की गई प्रक्रिया और ''छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति'' अभिव्यक्ति का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(69) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से निम्न अभिप्राय है–

(क) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में यथा परिभाषित कोई ''पंचायत'' ;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ङ) में यथा परिभाषित कोई ''नगरपालिका'';

(ग) कोई नगरपालिका समिति, कोई जिला परिषद्, कोई जिला बोर्ड और कोई अन्य प्राधिकारी, जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध करने का कानूनी रूप से हकदार है या जिसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंध सौंपा गया है।

(घ) छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 41) की धारा 3 में यथा परिभाषित छावनी बोर्ड ;

(ङ) संविधान की छठी अनुसूची के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् या कोई जिला परिषद् ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(च) संविधान के अनुच्छेद 371 के अधीन गठित कोई विकास बोर्ड ; या

(छ) संविधान के अनुच्छेद 371क के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् ;

(70) ''सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान'' से अभिप्राय है,–

(क) जहां प्रदाय कारबार के ऐसे स्थान पर प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान;

(ख) जहां प्रदाय कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान पर प्राप्त किया जाता है जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (अन्यत्र नियत स्थापन), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान;

(ग) जहां प्रदाय एक से अधिक स्थापनों पर प्राप्त किया जाता है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन, वहां प्रदाय की प्राप्ति से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान ;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में, प्रातिकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान ;

(71) ''सेवाओं के प्रदायकर्ता का अवस्थान'' से अभिप्राय है,–

(क) जहां प्रदाय कारबार के ऐसे स्थान से किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान ;

(ख) जहां प्रदाय कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान से किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (अन्यत्र नियत स्थापन), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान ;

(ग) जहां प्रदाय एक से अधिक स्थापनों से किया जाता है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन है, वहां प्रदाय की व्यवस्था से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान ; और

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में, प्रदायकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान ;

(72) ''विनिर्माण'' से अभिप्राय है, कच्ची सामग्री या इनपुट का किसी रीति में प्रसंस्करण, जिसके परिणामस्वरूप सुभिन्न नाम, स्वरूप और उपयोग वाले एक नए उत्पाद का आविर्भाव होता है और ''विनिर्माता'' पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(73) ''बाजार मूल्य'' से अभिप्राय होगा, ऐसी पूरी राशि, जिसकी प्रदाय के प्राप्तिकर्ता से, वैसे ही प्रकार और क्वालिटी के माल या सेवाओं या दोनों को, उसी समय पर या उसके आसपास और जहां प्राप्तिकर्ता और प्रदायकर्ता संबंधित नहीं हैं, वहां उसी वाणिज्यिक स्तर पर अभिप्राप्त करने के लिए, भुगतान किए जाने की अपेक्षा होती है ;

(74) ''मिश्रित प्रदाय'' से अभिप्राय है, किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, किसी एकल कीमत के लिए माल या सेवाओं का या उसके किसी ऐसे समुच्चय का, जो परस्पर सहयोजन से बनाया गया है, दो या अधिक पृथक–पृथक प्रदाय, जहां ऐसे प्रदाय से कोई संयुक्त प्रदाय गठित नहीं होता है ।

**उदाहरण.–** डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों, मिठाई, चाकलेट, केक, मेवा, वातित पेय और फल के जूस को मिलाकर बनाए गए पैकेज प्रदाय, जब वह किसी एकल कीमत के लिए किया गया है, तो वह प्रदाय मिश्रित प्रदाय है। इन मदों में से प्रत्येक मद का अलग–अलग भी प्रदाय किया जा सकता है और वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। यदि इन मदों का अलग–अलग प्रदाय किया जाता है तो वह मिश्रित प्रदाय नहीं होगा;

(75) ''धन'' से अभिप्राय है, भारतीय विधिमान्य मुद्रा या कोई विदेशी करेंसी, चैक, वचन पत्र, विनिमय पत्र, साख पत्र, ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, यात्री चैक, मनी आर्डर, डाक या इलेक्ट्रोनिक विप्रेषणादेश या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य लेख पत्र, जब उसका उपयोग किसी बाध्यता के परिनिर्धारण के लिए या किसी अन्य अंकित मूल्य की भारतीय विधिमान्य मुद्रा से विनिमय के प्रतिफल के रूप में किया जाता है, किंतु इसमें कोई ऐसी करेंसी सम्मिलित नहीं होगी, जिसका अपना मुद्रा विषयक मूल्य है ;

(76) ''मोटर यान'' का वही अर्थ होगा, जो इसे मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 2 के खंड (28) में दिया गया है ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(77) ''अनिवासी कराधेय व्यक्ति'' से अभिप्राय है, कोई ऐसा व्यक्ति, जो यदा कदा, प्रधान या अभिकर्ता के रूप में या किसी अन्य हैसियत में ऐसे संव्यवहार करता है जिनमें माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अंतर्वलित है, किंतु जिसका भारत में कारबार का कोई नियत स्थान या कोई निवास स्थान नहीं है ;

(78) ''गैर–कराधेय प्रदाय'' से अभिप्राय है, माल या सेवाओं या दोनों का ऐसा प्रदाय, जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13), के अधीन कर से उद्ग्रहणीय नहीं है ;

(79) ''गैर–कराधेय क्षेत्र'' से अभिप्राय है, ऐसा क्षेत्र, जो कराधेय क्षेत्र से बाहर है ;

(80) ''अधिसूचना'' से अभिप्राय है, राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना और ''अधिसूचित करना'' और ''अधिसूचित'' अभिव्यक्तियों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(81) ''अन्य राज्य क्षेत्र'' में ऐसे राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं, जो किसी राज्य में समाविष्ट हैं और जो खंड (114) के उपखंड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट हैं ;

(82) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में ''आउटपुट कर'' से अभिप्राय है, उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा किया गया माल या सेवाओं या दोनों के कराधेय प्रदाय पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य कर, किंतु इसमें प्रतिलोम प्रभार के आधार पर उसके द्वारा भुगतानयोग्य कर को अपवर्जित किया गया है ;

(83) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में ''जावक प्रदाय'' से अभिप्राय है, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया माल या सेवाओं या दोनों का, विक्रय, अंतरण, वस्तु–विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन या किसी भी अन्य ढंग से किया गया प्रदाय ;

(84) ''व्यक्ति'' में निम्नलिखित शामिल हैं–

(क) कोई व्यष्टि ;

(ख) कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब ;

(ग) कोई कंपनी ;

(घ) कोई फर्म ;

(ङ) कोई सीमित दायित्व भागीदारी ;

(च) कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे भारत में या भारत के बाहर निगमित हो या न हो ;

(छ) किसी केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18), की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित कोई सरकारी कंपनी ;

(ज) भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित कोई निगमित निकाय ;

(झ) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी ;

(ञ) कोई स्थानीय प्राधिकारी ;

(ट) केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार ;

(ठ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 21), के अधीन यथा परिभाषित सोसाइटी ;

(ड) न्यास ; और

(ढ) प्रत्येक ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो उपरोक्त किसी में नहीं आता है ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(85) ''कारबार के स्थान'' में निम्नलिखित शामिल हैं–

(क) वह स्थान, जहां से सामान्य तौर से कारबार किया जाता है और इसमें कोई भांडागार, गोदाम या कोई अन्य स्थान भी शामिल है, जहां कराधेय व्यक्ति अपने माल का भंडारण करता है, माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करता है या प्राप्त करता है ; या

(ख) वह स्थान, जहां कराधेय व्यक्ति अपनी लेखा पुस्तकों को अनुरक्षित रखता है ; या

(ग) वह स्थान, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, किसी अभिकर्ता के माध्यम से, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, कारबार में लगा हुआ है ;

(86) ''प्रदाय का स्थान'' से अभिप्राय है, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13), के अध्याय V में यथा निर्दिष्ट प्रदाय का स्थान ;

(87) ''विहित'' से अभिप्राय है, परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

(88) ''प्रधान'' से अभिप्राय है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से कोई अभिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय या प्राप्ति का कारबार करता है ;

(89) ''कारबार का मुख्य स्थान'' से अभिप्राय है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट कारबार का स्थान ;

(90) ''मुख्य प्रदाय'' से अभिप्राय है, ऐसे माल या सेवाओं का प्रदाय, जो किसी संयुक्त प्रदाय का प्रबल तत्व है और जिसके लिए उस संयुक्त प्रदाय के भागरूप कोई अन्य प्रदाय आनुषंगिक है ;

(91) इस अधिनियम के अधीन पालन किए जाने वाले किसी कृत्य के संबंध में ''समुचित अधिकारी'' से अभिप्राय है, राज्य कर का आयुक्त या ऐसा अधिकारी, जिसे आयुक्त द्वारा वह कृत्य सौंपा गया है ;

(92) ''तिमाही'' से अभिप्राय होगा, ऐसी अवधि, जिसमें किसी कलैंडर वर्ष के मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले तीन क्रमवर्ती कलैंडर मास समाविष्ट हों ;

(93) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के ''प्राप्तिकर्ता'' से अभिप्राय है–

(क) जहां माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए कोई प्रतिफल भुगतानयोग्य है, वहां ऐसा व्यक्ति, जो उस प्रतिफल के भुगतान का दायी है ;

(ख) जहां माल के प्रदाय के लिए कोई प्रतिफल भुगतानयोग्य नहीं है, वहां ऐसा व्यक्ति, जिसको माल परिदत्त किया गया है या उपलब्ध कराया गया है या जिसे माल का कब्जा या उपयोग के लिए दिया गया है या उपलब्ध कराया गया है ; और

(ग) जहां किसी सेवा के प्रदाय के लिए प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति, जिसे सेवाएं दी जाती है,

और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिर्देश का, जिसे प्रदाय किया गया है और प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और इसके प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता भी शामिल होगा ;

(94) ''रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति'' से अभिप्राय है, कोई ऐसा व्यक्ति, जो धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, किंतु इसमें विशिष्ट पहचान संख्यांक वाला कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है ;

(95) ''विनियम'' से अभिप्राय है, सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम ;

(96) माल के संबंध में ''हटाए जाने'' से अभिप्राय है–

(क) उसके प्रदायकर्ता द्वारा या ऐसे प्रदायकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिदान के लिए माल का प्रेषण ; या

(ख) उसके प्राप्तिकर्ता द्वारा या ऐसे प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल का संग्रहण ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(97) ''विवरणी'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या के अधीन दिए जाने के लिए विहित या उससे अन्यथा अपेक्षित कोई विवरणी ;

(98) ''प्रतिलोम प्रभार'' से अभिप्राय है, धारा 9 की उपधारा (3) या (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13), की धारा 5 की उपधारा (3) या (4) के अधीन ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता के बजाय माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा कर भुगतान का दायित्व ;

(99) ''पुनरीक्षण प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, धारा 108 में यथा निर्दिष्ट निर्णय या आदेशों के पुनरीक्षण के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी ;

(100) ''अनुसूची'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची ;

(101) ''प्रतिभूति'' का वही अर्थ होगा, जो इसे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 42), की धारा 2 के खंड (ज) में दिया गया है ;

(102) ''सेवाओं'' से अभिप्राय है, माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न कुछ भी, किंतु इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य ढंग से करेंसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा संपरिवर्तन, जिसके लिए पृथक् प्रतिफल प्रभारित हो, से संबंधित क्रियाकलाप सम्मिलित हैं ;

(103) ''राज्य'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य ;

(104) ''राज्य कर'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर ;

(105) माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ''प्रदायकर्ता'' से अभिप्राय होगा, उक्त माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला व्यक्ति और इसमें प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसे प्रदायकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता सम्मिलित होगा ;

(106) ''कर अवधि'' से अभिप्राय है, ऐसी अवधि, जिसके लिए विवरणी दी जानी अपेक्षित है ;

(107) ''कराधेय व्यक्ति'' से अभिप्राय है, कोई ऐसा व्यक्ति, जो धारा 22 या 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है ;

(108) ''कराधेय प्रदाय'' से अभिप्राय है, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय, जिस पर इस अधिनियम के अधीन कर उद्ग्रहणीय है ;

(109) ''कराधेय राज्यक्षेत्र'' से अभिप्राय है, ऐसा राज्यक्षेत्र, जिसको इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं ;

(110) ''दूर–संचार सेवा'' से अभिप्राय है, किसी प्रकार की ऐसी सेवा, (जिसमें इलेक्ट्रोनिक मेल, वायस मेल, डाटा सर्विस, आडियो टेक्स्ट सर्विस, वीडियो टेक्स्ट सर्विस, रेडियो पेजिंग और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं भी शामिल हैं) जो उपयोक्ता को किसी संकेत, सिग्नल, लेख, आकृति और ध्वनि के किसी पारेषण या ग्रहण करने या किसी प्रकार की आसूचना के माध्यम से तार, रेडियो, दृश्य या अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साधनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ;

(111) ''केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम'' से अभिप्राय है, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) ;

(112) ''राज्य में आवर्त'' से अभिप्राय है, किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी राज्य के भीतर किए गए (ऐसे आवक प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करते हुए, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर भुगतानयोग्य है) सभी कराधेय प्रदायों और छूटप्राप्त प्रदायों का, उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा राज्य से माल या सेवाओं या दोनों के निर्यात और अंतरराज्यिक प्रदाय का संकलित मूल्य, किंतु इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित हैं ;

(113) ''प्रायिक निवास स्थान'' से अभिप्राय है–

(क) किसी व्यक्ति की दशा में, ऐसा स्थान, जहां वह सामान्य तौर पर निवास करता है ;

(ख) अन्य दशाओं में, ऐसा स्थान, जहां व्यक्ति निगमित है या अन्यथा विधिक रूप से गठित है ;

(114) ''संघ राज्यक्षेत्र'' से अभिप्राय है–

(क) अंदमान और निकोबार द्वीप ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) लक्षद्वीप ;

(ग) दादरा और नागर हवेली ;

(घ) दमन और दीव ;

(ङ) चंडीगढ़ ; और

(च) अन्य राज्यक्षेत्र,

का राज्यक्षेत्र ;

**व्याख्या.–** इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों में से प्रत्येक को एक पृथक् संघ राज्यक्षेत्र समझा जाएगा ;

(115) ''संघ राज्यक्षेत्र कर'' से अभिप्राय है, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 14), के अधीन उद्गृहीत संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर ;

(116) ''संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम'' से अभिप्राय है, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 14) ;

(117) ''विधिमान्य विवरणी'' से अभिप्राय है, धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन दी गई कोई ऐसी विवरणी, जिस पर स्वतः निर्धारण कर का पूर्ण रूप से भुगतान किया गया है ;

(118) ''वाऊचर'' से अभिप्राय है, कोई ऐसी लिखत, जहां उसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए प्रतिफल के रूप में या भागिक प्रतिफल के रूप में स्वीकार करने की बाध्यता है और जहां प्रदाय किए जाने वाला माल या सेवाओं या दोनों या उनके संभावी प्रदायकर्ताओं की पहचान या तो स्वतः लिखत पर ही उपदर्शित है या संबद्ध दस्तावेजीकरण में उपदर्शित है, जिसमें ऐसी लिखत के उपयोग के निबंधन और शर्तें भी शामिल हैं ;

(119) ''कार्य संविदा'' से अभिप्राय है, किसी अचल संपत्ति का निर्माण, सन्निर्माण, रचना करने, पूरा करने, परिनिर्माण, संस्थापन, सज्जित करने, सुधारने, उपांतरण करने, मरम्मत करने, अनुरक्षण करने, नवीकरण करने, परिवर्तन करने या बनाने के लिए कोई संविदा जिसमें ऐसी संविदा के निष्पादन में, माल (चाहे वह माल या किसी अन्य रूप में हो) में संपत्ति का अंतरण अंतर्वलित है, ;

(120) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13), केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 14), तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 15) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः उन अधिनियमों में दिए गए हैं ।

## अध्याय II

## प्रशासन

इस अधिनियम के अधीन अधिकारी।

**3.** सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित वर्गों के अधिकारियों को नियुक्त करेगी, अर्थात् :–

(क) राज्य कर प्रधान आयुक्त या मुख्य आयुक्त या आयुक्त ;

(ख) राज्य कर विशेष आयुक्त ;

(ग) राज्य कर अपर आयुक्त ;

(घ) राज्य कर संयुक्त आयुक्त ;

(ङ) राज्य कर उपायुक्त ;

(च) राज्य कर सहायक आयुक्त ;

(छ) राज्य कर आबकारी और कराधान अधिकारी;

(ज) राज्य कर सहायक आबकारी और कराधान अधिकारी; और

COURT BOOK

(झ) अधिकारियों का कोई अन्य वर्ग, जो वह ठीक समझे :

परंतु हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), के अधीन नियुक्त अधिकारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारियों के रूप में समझा जाएगा।

अधिकारियों की नियुक्ति।

**4.** (1) सरकार, धारा 3 के अधीन यथा अधिसूचित अधिकारियों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती है, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारियों के रूप में ठीक समझे।

(2) आयुक्त को सम्पूर्ण राज्य पर अधिकारिता होगी, विशेष आयुक्त और अपर आयुक्त को उन्हें समनुदेशित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों के संबंध में सम्पूर्ण राज्य पर अधिकारिता होगी या जहां सरकार ऐसा निर्दिष्ट करे, उसके किसी स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता होगी और समस्त अन्य अधिकारियों को, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो विनिर्दिष्ट की जायें, सम्पूर्ण राज्य पर या ऐसे स्थानीय क्षेत्रों पर, जो आयुक्त, आदेश द्वारा, निर्दिष्ट करे, अधिकारिता होगी।

अधिकारियों की शक्तियां।

**5.** (1) राज्य कर अधिकारी, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो आयुक्त अधिरोपित करे, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है।

(2) राज्य कर अधिकारी, किसी अन्य ऐसे राज्य कर अधिकारी को, जो उसके अधीनस्थ है, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है।

(3) आयुक्त, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, अपनी शक्तियां किसी अन्य अधिकारी, जो उसके अधीनस्थ है, को प्रत्यायोजित कर सकता है ।

(4) इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील प्राधिकारी, किसी अन्य राज्य कर अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा ।

कतिपय परिस्थितियों में केंद्रीय कर अधिकारियों का समुचित प्राधिकारी के रूप में प्राधिकरण।

**6.** (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), के अधीन नियुक्त अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर विनिर्दिष्ट करेगी, समुचित अधिकारियों के रूप में प्राधिकृत किए गए हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,—

(क) जहां कोई समुचित अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश जारी करता है, वहां वह केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), के अधीन, केंद्रीय कर की अधिकारिता रखने वाले अधिकारी की सूचना के अधीन, उक्त अधिनियम द्वारा यथा प्राधिकृत रूप में भी आदेश दे सकता है;

(ख) जहां केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), के अधीन कोई समुचित अधिकारी किसी विषय—वस्तु पर कोई कार्यवाहियां आरम्भ करता है, वहां इस अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा उसी विषय वस्तु पर कोई भी कार्यवाहियां आरम्भ नहीं की जाएंगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की परिशुद्धि, अपील और पुनरीक्षण, जहां—कहीं लागू हों, के लिए कोई कार्यवाही केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष नहीं होगी ।

## अध्याय III

## कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

प्रदाय की परिधि।

**7.** (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ''प्रदाय'' अभिव्यक्ति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया विक्रय, अंतरण, वस्तु—विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन जैसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के सभी प्ररूप ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे वह कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं ;

(ग) किसी प्रतिफल के बिना किए गए या किए जाने के लिए करार पाए गए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप ; और

(घ) माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माने गए अनुसूची II में यथा विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप ।

(2) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी,–

(क) अनुसूची III में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों को ; या

(ख) केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारण जिसमें वे लोक प्राधिकारियों के रूप में लगे हुए हैं द्वारा किए गए ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित किया जाए,

न तो माल के प्रदाय के रूप में और न ही सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जाएगा ।

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे संव्यवहारों को विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिन्हें,–

(क) माल के प्रदाय के रूप में तथा न कि सेवाओं के प्रदाय के रूप में ; या

(ख) सेवाओं के प्रदाय के रूप में तथा न कि माल के प्रदाय के रूप में, माना जाएगा।

संयुक्त और मिश्रित प्रदायों पर कर का दायित्व।

**8.** किसी संयुक्त या मिश्रित प्रदाय पर कर के दायित्व का अवधारण निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात्:–

(क) दो या अधिक प्रदायों को समाविष्ट करते हुए किसी संयुक्त प्रदाय को, जिसमें से एक मुख्य प्रदाय है, ऐसे मुख्य प्रदाय की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा ; और

(ख) दो या अधिक प्रदायों को समाविष्ट करते हुए मिश्रित प्रदाय को उस विशिष्ट प्रदाय की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, जिसके कर की दर उच्चतम है।

उद्ग्रहण और संग्रहण ।

**9.** (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मानवीय उपभोग के लिए मादक शराब के प्रदाय को छोड़कर, माल या सेवाओं या दोनों के सभी अंतरराज्यीय प्रदायों पर, धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर और बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दरों पर, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं, हरियाणा माल और सेवा कर नामक कर का उद्ग्रहण और संग्रहण ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में किया जाएगा और कराधेय व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाएगा।

(2) अपरिष्कृत पैट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (जिसे आमतौर पर पैट्रोल कहा जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन के प्रदाय पर राज्य कर का उद्ग्रहण ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित की जाए, से किया जाएगा ।

(3) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिस पर कर का भुगतान, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के भुगतान का दायी है ।

(4) किसी ऐसे प्रदायकर्ता द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में राज्य कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर भुगतान किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के भुगतान का दायी है ।

(5) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, सेवाओं के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिसके अंतरराज्यीय प्रदायों पर कर, इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक द्वारा भुगतान किया जाएगा, यदि ऐसी सेवाओं का प्रदाय उसके माध्यम से किया जाता है, और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा प्रदायकर्ता है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के भुगतान का दायी है :

COURT BOOK

परंतु जहां कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है, तो कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए ऐसे इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति कर भुगतान करने का दायी होगा :

परंतु यह और कि जहां कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है और उक्त राज्यक्षेत्र में उसका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, वहां ऐसा इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक, कर भुगतान के प्रयोजन के लिए कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा और ऐसा व्यक्ति कर भुगतान करने का दायी होगा ।

प्रशमन उद्ग्रहण।

**10.** (1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किंतु धारा 9 की उपधारा (3) और (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पचास लाख रूपए से अधिक नहीं है, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, उसके द्वारा भुगतानयोग्य कर के स्थान पर, ऐसी दर, जो विहित की जाए, पर किंतु जो,–

(क) किसी विनिर्माता की दशा में, राज्य में आवर्त के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) अनुसूची II के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने में लगे व्यक्तियों की दशा में, राज्य में आवर्त के ढ़ाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ; और

(ग) अन्य प्रदायकर्ताओं की दशा में, राज्य में आवर्त के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

संगणित राशि के भुगतान का विकल्प चुन सकता है :

परंतु सरकार, अधिसूचना द्वारा, पचास लाख रूपए की उक्त सीमा को एक करोड़ रूपए से अनधिक की ऐसी उच्चतर राशि तक बढ़ा सकती है, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन विकल्प चुनने का पात्र होगा, यदि,–

(क) वह अनुसूची II के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदायों से भिन्न, सेवाओं के प्रदाय में नहीं लगा हुआ है ;

(ख) वह ऐसे किसी माल का प्रदाय करने में नहीं लगा हुआ है, जिस पर इस अधिनियम के अधीन कर उद्ग्रहणीय नहीं है ;

(ग) वह माल के किसी अंतरराज्यिक जावक प्रदाय करने में नहीं लगा हुआ है ;

(घ) वह किसी ऐसे इलेक्ट्रोनिक वाणिज्यक प्रचालक के माध्यम से, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है, किसी माल का प्रदाय करने में नहीं लगा हुआ है ; और

(ङ) वह ऐसे माल का विनिर्माता नहीं है, जिसे सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित किया जाए :

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का आय–कर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 43) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्या एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस उपधारा के अधीन कर के भुगतान के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया विकल्प उस दिन से, जिसको वित्तीय वर्ष के दौरान उसका संकलित आवर्त उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है, व्यपगत हो जाएगा ।

(4) कोई ऐसा कराधेय व्यक्ति, जिसको उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं, उसके द्वारा किए गए प्रदायों पर प्राप्तिकर्ता से किसी कर का संग्रहण नहीं करेगा और न ही वह किसी इनपुट कर प्रत्यय का हकदार होगा ।

(5) यदि समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कराधेय व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन कर भुगतान कर दिया है, तो ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे कर के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके द्वारा भुगतानयोग्य हो, शास्ति का दायी होगा और धारा 73 या 74 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित कर और शास्ति के अवधारण के लिए लागू होंगे ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

**11.** (1) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, साधारणतया, या तो पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उस तिथि से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी विनिर्दिष्ट विवरण के माल या सेवाओं या दोनों को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से छूट दे सकती है। कर से छूट देने की शक्ति।

(2) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में कथित अपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन किसी ऐसे माल या सेवाओं या दोनों को, जिन पर कर उद्ग्रहणीय है, कर के भुगतान से छूट दे सकती है।

(3) सरकार, यदि वह उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना की या उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश की परिधि या प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी होने के एक वर्ष के भीतर किसी समय अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या ऐसे आदेश में व्याख्या अंतःस्थापित कर सकती है और प्रत्येक ऐसी व्याख्या का वही प्रभाव होगा मानो वह, सदैव, यथास्थिति, ऐसी पहली अधिसूचना या आदेश का भाग था ।

(4) केंद्रीय सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन जारी किसी आदेश को, यथास्थिति, इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना या आदेश समझा जाएगा।

**व्याख्या.–** इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से पूर्ण रूप से छूट दी गई है, वहां ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदाय पर प्रभावी दर से अधिक कर का संग्रहण नहीं करेगा ।

## अध्याय IV

## प्रदाय का समय और मूल्य

**12.** (1) माल पर कर के भुगतान का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित प्रदाय के समय उद्भूत होगा । माल के प्रदाय का समय ।

(2) माल के प्रदाय का समय निम्नलिखित तिथियों में से पूर्वतर होगा, अर्थात्:–

(क) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तिथि या धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन ऐसी अंतिम तिथि, जिसको उससे प्रदाय के सम्बन्ध में बीजक जारी करने की अपेक्षा है ; या

(ख) वह तिथि, जिसको प्रदायकर्ता प्रदाय के सम्बन्ध में भुगतान प्राप्त करता है :

परंतु जहां कराधेय माल का प्रदायकर्ता, कर बीजक में उपदर्शित राशि से एक हजार रूपए अधिक तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां प्रदाय का समय, ऐसी आधिक्य राशि के विस्तार तक, उक्त प्रदायकर्ता के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य राशि के संबंध में बीजक जारी किए जाने की तिथि होगा ।

**व्याख्या 1.–** खंड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए, ''प्रदाय'' को उस विस्तार तक किया गया समझा जाएगा, जहां तक वह, यथास्थिति, बीजक या भुगतान के अंतर्गत आता है ।

**व्याख्या 2.–** खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, ''ऐसी तिथि, जिसको प्रदायकर्ता भुगतान प्राप्त करता है'', वह तिथि होगी, जिसको भुगतान उसकी लेखा–पुस्तकों में दर्ज किया जाता है या वह तिथि होगी, जिसको भुगतान उसके बैंक खाते में जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

(3) ऐसे प्रदायों की दशा में, जिनके संबंध में, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का भुगतान किया जाता है या भुगतान के लिए दायी है, प्रदाय का समय निम्नलिखित तिथियों में से पूर्वतर होगा, अर्थात् :–

(क) माल प्राप्ति की तिथि ; या

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) भुगतान की तिथि, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा–पुस्तकों में दर्ज है या वह तिथि, जिसको उसके बैंक खाते में भुगतान का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ग) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तिथि से तीस दिन के ठीक पश्चात्वर्ती तिथि :

परंतु जहां खंड (क) या (ख) या (ग) के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा–पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि होगा ।

(4) किसी प्रदायकर्ता द्वारा वाऊचरों के प्रदाय की दशा में, प्रदाय का समय–

(क) वाऊचर जारी करने की तिथि होगा, यदि प्रदाय उस बिंदु पर पहचानयोग्य है ; या

(ख) सभी अन्य मामलों में, वाऊचर के मोचन की तिथि होगा ।

(5) जहां उपधारा (2) या (3) या (4) के उपबंधों के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय–

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी दायर की जानी है, वहां वह तिथि होगी, जिसको ऐसी विवरणी दायर की जानी है ; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तिथि होगी, जिसको कर का भुगतान किया जाता है।

(6) किसी प्रतिफल के देर से भुगतान के लिए ब्याज, विलंब फीस या शास्ति के रूप में प्रदाय के मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में, प्रदाय की समय सीमा, वह तिथि होगी, जिसको प्रदायकर्ता मूल्य में ऐसी वृद्धि प्राप्त करता है ।

सेवाओं के प्रदाय का समय ।

**13.** (1) सेवाओं पर कर के भुगतान का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित प्रदाय के समय उद्भूत होगा ।

(2) सेवाओं के प्रदाय का समय निम्नलिखित तिथियों में से पूर्वतर होगा, अर्थात्–

(क) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तिथि, यदि बीजक धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन विहित अवधि के भीतर जारी किया जाता है या भुगतान प्राप्त करने की तिथि, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ख) सेवा उपलब्ध कराने की तिथि, यदि बीजक धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन विहित अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है या भुगतान प्राप्त करने की तिथि, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ग) वह तिथि, जिसको प्राप्तिकर्ता अपनी लेखा–पुस्तकों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शित करता है, उस मामले में, जहां खंड (क) या (ख) के उपबंध लागू नहीं होते हैं :

परंतु जहां कराधेय सेवा का प्रदायकर्ता, कर बीजक में उपदर्शित राशि से एक हजार रूपए अधिक तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां प्रदाय का समय, ऐसी आधिक्य राशि के विस्तार तक, उक्त प्रदायकर्ता के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य राशि के संबंध में बीजक जारी करने की तिथि होगा।

**व्याख्या.–** खंड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए,–

(i) प्रदाय को उस सीमा तक किया गया समझा जाएगा, जिस तक वह, यथा स्थिति, बीजक या भुगतान के अंतर्गत आता है ;

(ii) ''भुगतान प्राप्ति करने की तिथि'' वह तिथि होगी, जिसको भुगतान प्रदायकर्ता की लेखा–पुस्तकों में दर्ज किया जाता है या वह तिथि होगी, जिसको भुगतान उसके बैंक खाते में जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

(3) ऐसे प्रदायों की दशा में, जिनके संबंध में, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का भुगतान किया जाता है या भुगतान के लिए दायी है, प्रदाय का समय निम्नलिखित तिथियों में से पूर्वतर होगा, अर्थात् :–

(क) भुगतान की तिथि, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा–पुस्तिकों में दर्ज है या वह तिथि, जिसको उसके बैंक खाते में भुगतान का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज, चाहे किसी नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तिथि से साठ दिन के ठीक पश्चात्वर्ती तिथि :

परंतु जहां खंड (क) या (ख) के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा–पुस्त्कों में प्रविष्टि की तिथि होगा :

परंतु यह और कि सहयुक्त उद्यमों द्वारा प्रदाय की दशा में, जहां सेवा का प्रदायकर्ता भारत से बाहर स्थित है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा–पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि या भुगतान की तिथि, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा ।

(4) किसी प्रदायकर्ता द्वारा वाऊचरों के प्रदाय की दशा में, प्रदाय का समय–

(क) वाऊचर जारी करने की तिथि होगा, यदि प्रदाय उस बिंदु पर पहचानयोग्य है ; या

(ख) सभी अन्य मामलों में, वाऊचर के मोचन की तिथि होगा ।

(5) जहां उपधारा (2) या (3) या (4) के उपबंधों के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय–

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी दायर की जानी है, वहां वह तिथि होगी, जिसको ऐसी विवरणी दायर की जानी है ; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तिथि होगी, जिसको कर का भुगतान किया जाता है ।

(6) किसी प्रतिफल के देर से भुगतान के लिए ब्याज, विलंब फीस या शास्ति के रूप में प्रदाय के मूल्य में वृद्धि के संबंध में प्रदाय की समय सीमा, वह तिथि होगी, जिसको प्रदायकर्ता मूल्य में ऐसी वृद्धि प्राप्त करता है ।

माल या सेवाओं के प्रदाय के संबंध में कर की दर में परिवर्तन ।

**14.** धारा 12 या 13 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कर की दर में कोई परिवर्तन होता है, वहां प्रदाय के समय का अवधारण निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) यदि कर की दर में परिवर्तन से पूर्व माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किया गया है, उस दशा में,–

(i) जहां उसके लिए बीजक जारी किया गया है और भुगतान भी कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहां प्रदाय का समय भुगतान प्राप्ति की तिथि या बीजक जारी करने की तिथि, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा ; या

(ii) जहां बीजक कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व जारी कर दिया गया है, किंतु भुगतान कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहां प्रदाय का समय बीजक जारी करने की तिथि होगा ; या

(iii) जहां भुगतान कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व प्राप्त हो गया है, किंतु उसके लिए बीजक कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् जारी किया जाता है, वहां प्रदाय का समय भुगतान की प्राप्ति की तिथि होगा ;

(ख) यदि कर की दर में परिवर्तन के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किया गया है, उस दशा में,–

(i) जहां भुगतान, कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, किंतु बीजक कर की दर में परिवर्तन के पहले जारी कर दिया गया है, वहां प्रदाय का समय भुगतान प्राप्ति की तिथि होगा ; या

(ii) जहां बीजक कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व जारी कर दिया गया है और भुगतान भी प्राप्त हो जाता है, वहां प्रदाय का समय भुगतान प्राप्ति की तिथि या बीजक जारी करने की तिथि, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा ; या

(iii) जहां बीजक कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् जारी किया गया है, किंतु भुगतान, कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व प्राप्त हो जाता है, वहां प्रदाय का समय, बीजक जारी करने की तिथि होगा :

परंतु भुगतान प्राप्ति तिथि, बैंक खाते में जमा करने की तिथि होगी यदि बैंक खाते में ऐसी जमा कर की दर में परिवर्तन की तिथि से चार कार्य दिवस के पश्चात् की जाती है ।

**व्याख्या.–** इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''भुगतान प्राप्ति तिथि'' वह तिथि होगी, जिसको भुगतान प्रदायकर्ता की लेखा–पुस्तकों में दर्ज किया जाता है या वह तिथि होगी, जिसको भुगतान उसके बैंक खाते में जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

कराधेय प्रदाय का मूल्य ।

**15.** (1) जहां प्रदायकर्ता या प्रदाय का प्राप्तिकर्ता संबंधित नहीं है और प्रदाय के लिए एक मात्र आधार उसकी कीमत है, वहां माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय का मूल्य, ऐसा संव्यवहार मूल्य होगा, जो माल या सेवाओं या दोनों के उक्त प्रदाय के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया जाता है या भुगतानयोग्य है ।

(2) प्रदाय के मूल्य में निम्नलिखित सम्मिलित होगा–

(क) इस अधिनियम, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 15) से भिन्न तत्समय लागू किसी विधि के अधीन उद्‌गृहीत कोई कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार, यदि प्रदायकर्ता द्वारा पृथक् रूप में प्रभारित किया गया है ;

(ख) कोई ऐसी राशि, जिसका प्रदायकर्ता, ऐसे प्रदाय के संबंध में भुगतान करने के लिए दायी है, किंतु जो प्रदाय के प्राप्तिकर्ता द्वारा उपगत की गई है और उसे माल या सेवाओं या दोनों के लिए वास्तविक रूप से भुगतान या भुगतानयोग्य कीमत में सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(ग) किसी प्रदाय के प्राप्तिकर्ता से प्रदायकर्ता द्वारा प्रभारित आनुषंगिक व्यय, जिसके अंतर्गत कमीशन और पैक करना भी है और माल के परिदान या सेवाओं के प्रदाय के समय या से पूर्व माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में प्रदायकर्ता द्वारा की गई किसी बात के लिए प्रभारित कोई राशि ;

(घ) किसी प्रदाय के लिए किसी प्रतिफल के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज या विलंब फीस या शास्ति ; और

(ङ) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायकियों (सबसिडियों) को अपवर्जित करते हुए कीमत से प्रत्यक्षतः जुड़ी हुई सहायिकियां (सबसिडियां)।

**व्याख्या.–** इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, सहायिकी की राशि को प्रदायकर्ता, जो सहायिकी प्राप्त करता है, के प्रदाय के मूल्य में सम्मिलित किया जाएगा।

(3) प्रदाय के मूल्य में कोई ऐसी छूट सम्मिलित नहीं होगी, जो,–

(क) प्रदाय से पूर्व या प्रदाय के समय दी जाती है, यदि ऐसी छूट को ऐसे प्रदाय के संबंध में जारी बीजक में सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है ; और

(ख) प्रदाय के प्रभावी होने के पश्चात् दी जाती है, यदि–

(i) ऐसी छूट, ऐसे प्रदाय के समय या उससे पूर्व किए गए किसी करार के निबंधनानुसार स्थापित की जाती है और विनिर्दिष्ट रूप से सुसंगत बीजकों से जुड़ी हुई है ; और

(ii) ऐसा इनपुट कर प्रत्यय, जो प्रदायकर्ता द्वारा जारी ऐसे दस्तावेज के आधार पर छूट के कारण माना जा सकता है, जिसकी राशि को प्रदाय के प्राप्तिकर्ता द्वारा उलट दिया गया है ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के मूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता है, वहां उसका अवधारण ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(5) उपधारा (1) या (4) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रदायों के, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित किया जाए, मूल्य का अवधारण ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

**व्याख्या.–** इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,–

(क) ऐसे व्यक्तियों को ''सम्बद्ध व्यक्तियों'' के रूप में समझा जाएगा, यदि–

(i) ऐसे व्यक्ति एक दूसरे के कारबार के अधिकारी या निदेशक हैं ;

(ii) ऐसे व्यक्ति कारबार में विधिक रूप से मान्यताप्राप्त भागीदार हैं ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(iii) ऐसे व्यक्ति नियोजक और कर्मचारी हैं ;

(iv) कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों व्यक्तियों के परादेय मतदान स्टॉक या शेयरों के पच्चीस प्रतिशत या अधिक पर स्वामित्व, नियंत्रण रखता है या धारण करता है ;

(v) उनमें से एक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य पर नियंत्रण रखता है ;

(vi) वे दोनों प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित हैं ;

(vii) वे साथ–साथ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं ; या

(viii) वे एक ही कुटुंब के सदस्य हैं ;

(ख) ''व्यक्ति'' पद के अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी हैं ;

(ग) कोई व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के कारबार से इस प्रकार सहबद्ध हैं, जिसमें वह दूसरे व्यक्ति का एक मात्र अभिकर्ता या एक मात्र वितरक या एक मात्र रियायतग्राही, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, है, संबद्ध व्यक्ति समझा जाएगा ।

## अध्याय V

## इनपुट कर प्रत्यय

**16.** (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निर्बधंनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं और धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति में, उसको किए गए ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जिसका उसके कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है और उक्त राशि ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रोनिक जमा खाते में जमा की जाएगी । इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें।

(2) इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको किए गए किसी माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय के संबंध में कोई इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,–

(क) उसके कब्जे में इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता द्वारा जारी कोई कर बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) या कोई ऐसा अन्य कर भुगतान दस्तावेज, जो विहित किया जाए, न हो ;

(ख) वह माल या सेवाओं या दोनों प्राप्त नहीं कर लेता है ।

**व्याख्या.–** इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल प्राप्त कर लिया है, जहां प्रदायकर्ता द्वारा, किसी प्राप्तिकर्ता को या ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो या नहीं, माल के संचलन पूर्व या उसके दौरान या तो माल पर हक के दस्तावेजों के अंतरण द्वारा या अन्यथा, माल परिदत्त कर दिया जाता है ;

(ग) धारा 41 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रदाय के संबंध में प्रभारित कर का या तो नकद में या उक्त प्रदाय के संबंध में, अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके, वास्तविक रूप से सरकार को भुगतान न कर दिया गया हो ; और

(घ) वह धारा 39 के अधीन विवरणी न दे दे :

परंतु जहां माल, बीजक के विरुद्ध, लॉट या किस्तों में प्राप्त होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अंतिम लॉट या किस्त की प्राप्ति पर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसे प्रदायों से भिन्न, जिन पर प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर भुगतानयोग्य है, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को प्रदाय के मूल्य के साथ उस पर भुगतानयोग्य कर के मद्दे राशि का, प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तिथि से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर भी भुगतान करने में असफल रहता है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर राशि को, उस पर ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा :

COURT BOOK

परंतु यह भी कि प्राप्तिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय मूल्य के साथ उस पर भुगतानयोग्य कर के मद्दे राशि का उसके द्वारा किए गए भुगतान पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा ।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 43) के उपबंधों के अधीन पूंजी माल और संयंत्र तथा मशीनरी की लागत के कर संघटक पर अवमूल्यन का दावा किया है, वहां उक्त कर संघटक पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट से संबंधित बीजक संबंधित है, अंत के अगले सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की देय तिथि के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा ।

प्रत्यय और निरूद्ध प्रत्यय का प्रभाजन ।

**17.** (1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागतः किसी कारबार के प्रयोजन के लिए किया जाता है और भागतः अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी राशि उसके कारबार के प्रयोजनों के लिए मानी गई सीमा तक निर्बंधित होगी।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागतः इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शून्य दर प्रदायों सहित कराधेय प्रदायों को पूर्ण करने के लिए और भागतः उक्त अधिनियमों के अधीन छूट प्राप्त प्रदायों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी राशि, जिसे शून्य दर प्रदायों सहित उक्त कराधेय प्रदायों के लिए मानी गई सीमा तक निर्बंधित होगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन छूट प्राप्त प्रदाय का मूल्य ऐसा होगा, जो विहित किया जाए, और उसमें ऐसे प्रदाय, जिस पर प्राप्तिकर्ता प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर भुगतान का दायी है, प्रतिभूति संव्यवहारों, भूमि विक्रय और अनुसूची II के पैरा 5 के खंड (ख) के अधीन रहते हुए भवन का विक्रय सम्मिलित होगा।

(4) जहां कोई बैंकिंग कंपनी या कोई वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत ऐसी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी है, जो निक्षेपों का प्रतिग्रहण करके, ऋणों या अग्रिम धन का विस्तार करके सेवाओं का प्रदाय करने में लगी हुई है, वहाँ उसे उपधारा (2) के उपबंधों का पालन करने का या हर मास उस मास के इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर वरणीय इनपुट कर प्रत्यय के पचास प्रतिशत के बराबर राशि का उपभोग करने का विकल्प होगा और शेष व्यपगत हो जाएगा :

परंतु एक बार उपयोग किए गए विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान प्रत्याहृत नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि पचास प्रतिशत का निर्बंधन एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा समान स्थायी खाता संख्यांक वाले किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किए गए प्रदायों पर भुगतान कर को लागू नहीं होगा ।

(5) धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 18 की उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात् :–

(क) मोटर यान और अन्य प्रवहण, सिवाय तब तक जब उनका उपयोग,–

(i) निम्नलिखित कराधेय प्रदायों को करने के लिए किया जाता है, अर्थात्–

(अ) ऐसे यानों या प्रवहणों के आगे के प्रदाय के लिए ; या

(आ) यात्रियों के परिवहन के लिए ; या

(इ) ऐसे यानों या प्रवहणों के चालन, उड़ान, नौपरिवहन का प्रशिक्षण देने के लिए ;

(ii) माल के परिवहन के लिए ;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों के निम्नलिखित प्रदाय के लिए :–

(i) खाद्य और पेय पदार्थ, बाह्य खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थय सेवाएं, प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य–चिकित्सा, वहां के सिवाय, जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदाय का उपयोग वैसे ही प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के जावक कराधेय प्रदाय के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित प्रदाय के एक तत्व के रूप में किया जाता है ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता ;

(iii) किराए की गाड़ी, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, वहां के सिवाय, जहां,–

(अ) सरकार ने ऐसी सेवाओं को अधिसूचित किया है, जिनका तत्समय लागू किसी विधि के अधीन किसी नियोजक के लिए उसके कर्मचारियों को उपलब्ध कराना बाध्यकर है ; या

(आ) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे आवक प्रदाय का उपयोग उसी प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों का जावक कराधेय प्रदाय करने के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित प्रदाय के भागरूप में किया जाता है ; और

(iv) प्रवकाश पर कर्मचारियों के लिए विस्तारित यात्रा फायदे जैसे छुट्टी या गृह यात्रा रियायत ।

(ग) कार्य संविदा सेवाएं, जब उनका प्रदाय अचल संपत्ति (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) के सन्निर्माण के लिए किया जाता है, वहां के सिवाय जहां वह कार्य संविदा सेवा के आगे के प्रदाय के लिए कोई इनपुट सेवा है ;

(घ) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा अपने खाते में, किसी अचल संपत्ति (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) के सन्निर्माण के लिए प्राप्त किया गया माल या सेवाएं या दोनों, जिसके अंतर्गत ऐसा माल या सेवाओं या दोनों भी हैं, जिनका उपयोग कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए किया जाता है ।

**व्याख्या.–** खंड (ग) और (घ) के प्रयोजनों के लिए, ''सन्निर्माण'' अभिव्यक्ति के अंतर्गत उक्त अचल संपत्ति का पूंजीकरण के विस्तार तक, पुनः सन्निर्माण, नवीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत भी है ;

(ङ) ऐसा माल या सेवाओं या दोनों, जिन पर धारा 10 के अधीन कर भुगतान कर दिया गया है ;

(च) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा, उसके द्वारा आयातित माल पर के सिवाय, प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों ;

(छ) व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रयुक्त माल या सेवाएं या दोनों ;

(ज) खोया हुआ, चोरी हुआ, नष्ट हुआ, अपलिखित या सैंपल द्वारा दान या निःशुल्क व्ययनित माल ;

(झ) धारा 74, 129 और 130 के उपबंधों के अनुसार भुगतान किया गया कोई कर।

(6) सरकार ऐसी रीति विहित कर सकती है, जिसे उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रत्यय निर्धारित किया जा सकता है।

**व्याख्या.–** इस अध्याय और अध्याय VI के प्रयोजनों के लिए, ''संयंत्र और मशीनरी'' अभिव्यक्ति से अभिप्राय है, ऐसे साधित्र, उपस्कर और प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलंब द्वारा भूमि पर स्थिर मशीनरी, जिनका उपयोग माल या सेवाओं या दोनों का जावक प्रदाय करने के लिए किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसा प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलंब भी है, किंतु इसमें निम्मिलिखित अपवर्जित हैं,–

(i) भूमि, भवन या कोई अन्य सिविल ढांचा ;

(ii) दूर–संचार टावर ; और

(iii) कारखाना परिसर के बाहर बिछाई गई पाइप लाइनें ।

विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय की उपलब्धता।

**18.** (1) ऐसी शर्तों और निर्बधंनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं–

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होने की तिथि से तीस दिन के भीतर आवेदन किया है, और उसे ऐसा रजिस्ट्रीकरण दे दिया गया है, उस तिथि, जिससे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर भुगतान करने के लिए दायी हुआ है, से ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टॉक में धारित निवेशों तथा स्टॉक में धारित अर्ध–परिरूपित या परिरूपित माल में दिए गए निवेशों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ;

COURT BOOK

(ख) कोई व्यक्ति, जिसने धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है, रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने की तिथि से ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टॉक में धारित निवेशों और स्टॉक में धारित अर्ध–परिरूपित या परिरूपित माल में दिए गए निवेशों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ;

(ग) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करना बंद करता है, वहां वह उस तिथि, जिससे वह धारा 9 के अधीन कर का भुगतान करने के लिए दायी हुआ है, से ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टॉक में धारित निवेशों, स्टॉक में धारित अर्ध–परिरूपित या परिरूपित माल में दिए गए निवेशों के संबंध में और ऐसे छूटप्राप्त प्रदाय के लिए पूर्णरूप से प्रयुक्त पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता बिंदु तक कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए ;

(घ) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का छूटप्राप्त प्रदाय कराधेय प्रदाय हो गया है, वहां ऐसा व्यक्ति उस तिथि, जिसको ऐसा प्रदाय कराधेय हुआ है, से ठीक पूर्ववर्ती दिन को ऐसे छूटप्राप्त प्रदाय के लिए अन्य रूप से संबंधित स्टॉक में धारित निवेशों और स्टॉक में धारित अर्ध–परिरूपित या परिरूपित माल में दिए गए निवेशों के संबंध में और ऐसे छूटप्राप्त प्रदाय के लिए पूर्णरूप से प्रयुक्त पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता बिंदु तक कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्रदाय से संबंधित कर बीजक जारी किए जाने की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उसे प्रदाय किए गए किसी माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(3) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के गठन में, दायित्व अंतरण के लिए विशिष्ट उपबंधों के साथ, कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण के कारण कोई परिवर्तन होता है, वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अन्तरित करना अनुज्ञात होगा, जो ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे विक्रीत, विलीन, निर्विलीन, समामेलित, पट्टे पर दिए गए या अंतरित कारबार के उसके इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय खाते में अनुपयोजित है।

(4) जहां इनपुट कर प्रत्यय को उपभोग करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने के विकल्प का उपयोग किया है या जहां उसके द्वारा प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों पूर्ण रूप से छूटप्राप्त हो गए हैं, वहां वह इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय खाते या इलेक्ट्रोनिक नकद खाते में, विकलन द्वारा ऐसी राशि का भुगतान करेगा, जो यथास्थिति, ऐसे विकल्प का प्रयोग करने या ऐसी छूट की तिथि से ठीक पूर्ववर्ती तिथि को स्टॉक में धारित निवेशों और स्टॉक में धारित अर्ध–परिरूपित या परिरूपित माल में दिए गए निवेशों के संबंध में और पूंजी माल पर, ऐसे प्रतिशतता बिंदु तक, जो विहित किया जाए, कम करके, इनपुट कर प्रत्यय के बराबर है :

परंतु ऐसी राशि का भुगतान करने के पश्चात् उसके इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय खाते में पड़ा हुआ इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष, यदि कोई हो, व्यपगत हो जाएगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन प्रत्यय की राशि और उपधारा (4) के अधीन भुगतानयोग्य राशि की संगणना ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए ।

(6) ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के प्रदाय की दशा में, जिस पर इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी पर लिया गया इनपुट कर प्रत्यय ऐसे प्रतिशतता बिंदु तक घटाकर, जो विहित किया जाए, के बराबर राशि का या धारा 15 के अधीन ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर का, इनमें से जो भी अधिक हो, भुगतान करेगा :

परंतु जहां स्क्रैप के रूप में रिफैक्टरी ईंटें, सांचे और डाई, जिग्स और फिक्चरों का प्रदाय किया जाता है, वहां कराधेय व्यक्ति धारा 15 के अधीन अवधारित ऐसे माल के संव्यवहार मूल्य पर कर का भुगतान कर सकता है ।

छुटपुट कार्य के लिए भेजे गए निवेशों और पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लिया जाना ।

**19.** (1) प्रधान, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए निवेशों पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा ।

(2) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, प्रधान निवेशों को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे भेजे जाने पर भी, निवेशों पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ।

(3) जहां प्रधान को, छुटपुट कार्य के लिए भेजे गए निवेश भेजे जाने के एक वर्ष के भीतर, छुटपुट कार्य पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा वापस प्राप्त नहीं होते हैं या छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति के कारबार के स्थान से धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (क) या (ख) के अनुसार उसका प्रदाय नहीं किया जाता है, वहां यह समझा जाएगा कि प्रधान द्वारा छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को ऐसे निवेशों का प्रदाय उस दिन किया गया था, जब उक्त निवेश बाहर भेजे गए थे :

परंतु जहां किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे निवेश भेजे जाते हैं, वहां एक वर्ष की अवधि की संगणना छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा निवेशों के प्राप्त करने की तिथि से की जाएगी ।

(4) प्रधान, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा ।

(5) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, प्रधान पूंजी माल को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे भेजे जाने पर भी, पूंजी माल पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ।

(6) जहां प्रधान को छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया पूंजी माल, बाहर भेजे जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर वापस प्राप्त नहीं होता है, वहां यह समझा जाएगा कि प्रधान द्वारा छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को ऐसे पूंजी माल का प्रदाय उस दिन किया गया था जब उक्त पूंजी माल भेजा गया था :

परंतु जहां किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे पूंजी माल भेजा जाता है, वहां तीन वर्ष की अवधि की संगणना छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा पूंजी माल के प्राप्त करने की तिथि से की जाएगी ।

(7) उपधारा (3) या (6) में दी गई कोई बात छुटपुट कार्य करने के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए सांचे और डाई, जिग्स और फिक्चरों या औजारों को लागू नहीं होगी ।

**व्याख्या.—** इस धारा के प्रयोजन के लिए ''प्रधान'' से अभिप्राय है, धारा 143 में निर्दिष्टि व्यक्ति।

इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति।

**20.** (1) इनपुट सेवा वितरक, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में कोई ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें वितरण किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय की राशि दी गई हो, राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में वितरण करेगा ।

(2) इनपुट सेवा वितरक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्यय का वितरण कर सकता है, अर्थात् :—

(क) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं को किसी दस्तावेज के लिए, जिसमें ऐसे ब्यौरे दिए गए हों, जो विहित किए जाएं, प्रत्यय का वितरण किया जा सकता है ;

(ख) वितरित किए गए प्रत्यय की राशि, वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की राशि से अधिक नहीं होगी ;

(ग) किसी प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को उसके संबंध में मानी गई इनपुट सेवाओं पर भुगतान कर के प्रत्यय का वितरण केवल उस प्राप्तिकर्ता को ही किया जाएगा ;

(घ) एक से अधिक प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को उनके संबंध में मानी गई इनपुट सेवाओं पर भुगतान कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जाएगा, जिनके लिए इनपुट सेवा मानी जा सकती है, और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त के आधार पर, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के, जिनके संबंध में ऐसी इनपुट सेवा मानी गई है और जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में संक्रियात्मक हैं, आवर्त का संकलन के अनुपाततः होगा ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ङ) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के लिए उनके संबंध में मानी गई इनपुट सेवाओं पर भुगतान कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जाएगा और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त के आधार पर, सभी प्राप्तिकर्ताओं जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में संक्रियात्मक हैं, के आवर्त का संकलन के अनुपाततः होगा ।

**व्याख्या.–** इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) ''सुसंगत अवधि''–

(i) यदि प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में आवर्त है तो उक्त वित्तीय वर्ष होगी ; या

(ii) यदि प्रत्यय के कुछ या सभी प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं है तो उस मास के पहले का, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, ऐसी अंतिम तिमाही होगी, जिसके लिए सभी प्राप्तिकर्ताओं के ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध हैं ;

(ख) ''प्रत्यय का प्राप्तिकर्ता'' अभिव्यक्ति से अभिप्राय है, इनपुट सेवा वितरक के रूप में समान स्थायी खाता संख्यांक वाला माल या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और ऐसे माल, जो कराधेय नहीं हैं, के प्रदाय में लगा हुआ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में ''आवर्त'' शब्द से अभिप्राय है, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 84 और उक्त अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 51 और 54 के अधीन उद्गृहीत किसी शुल्क या कर की राशि को घटाकर आवर्त का मूल्य।

आधिक्य में वितरित प्रत्यय के वसूली की रीति।

**21.** जहां इनपुट सेवा कर वितरक, धारा 20 में दिए गए उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यय का ऐसा वितरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यय के एक या अधिक प्राप्तिकर्ताओं को आधिक्य में प्रत्यय का वितरण हो जाता है वहां ऐसे प्राप्तिकर्ताओं से इस प्रकार वितरित आधिक्य प्रत्यय ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध वसूल किए जाने वाली राशि के अवधारण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

## अध्याय VI

## रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति।

**22.** (1) राज्य में मालों या सेवाओं या दोनों का कराधेय प्रदाय करने वाला प्रत्येक प्रदायकर्ता इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त बीस लाख रूपए से अधिक है :

परंतु विशेष प्रवर्ग के राज्यों में से किसी राज्य से माल या सेवाओं या दोनों का कराधेय प्रदाय करने वाला ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त दस लाख रूपए से अधिक है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो, नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन, विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या अनुज्ञप्ति धारण करता है, नियत दिन से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी होगा ।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति द्वारा चलाया गया कारबार, किसी अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में, चाहे उत्तराधिकार या अन्यथा के कारण अंतरित किया जाता है तो, यथास्थिति, अंतरिती या उत्तराधिकारी, ऐसे अंतरण या उत्तराधिकार की तिथि से रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी होगा ।

(4) उपधारा (1) और (3) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, किसी उच्च न्यायालय, अधिकरण के आदेश के अनुसरण में या अन्यथा दो या अधिक कम्पनियों के किसी स्कीम की मंजूरी या किसी समामेलन या यथास्थिति, निर्विलयन के अनुसरण में किसी अंतरण की दशा में अंतरिती ऐसी तिथि से जिससे उच्च न्यायालय या अधिकरण के ऐसे आदेश को प्रभाव देते हुए कंपनी रजिस्ट्रार निगमन का प्रमाणपत्र जारी करता है, रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी होगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

**व्याख्या.–** इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(i) ''संकलित आवर्त'' अभिव्यक्ति में, कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए सभी प्रदाय, चाहे उसके अपने लेखे या उसके सभी मालिकों की ओर से, सम्मिलित हैं ;

(ii) रजिस्ट्रीकृत छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा, छुटपुट कार्य पूर्ण करने के पश्चात्, माल का प्रदाय, धारा 143 में निर्दिष्ट प्रधान द्वारा माल का प्रदाय माना जाएगा और ऐसे माल के मूल्य में रजिस्ट्रीकृत छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति का संकलित आवर्त सम्मिलित नहीं होगा ;

(iii) ''विशेष प्रवर्ग राज्यों'' अभिव्यक्ति से अभिप्राय होगा, संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में यथा विनिर्दिष्ट राज्य।

व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं है।

**23.** (1) निम्नलिखित व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होंगे, अर्थात् :–

(क) कोई व्यक्ति जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के कारबार में अनन्य रूप से लगा हुआ है जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल या सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13), के अधीन कर के लिए दायी नहीं है या कर से पूर्ण रूप से छूटप्राप्त है ;

(ख) कोई कृषक, भूमि पर खेती की उपज के प्रदाय के विस्तार तक ।

(2) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकती है ।

कतिपय मामलों में अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण।

**24.** धारा 22 की उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा,–

(i) कोई अंतरराज्यिक कराधेय प्रदाय करने वाले व्यक्ति ;

(ii) कराधेय प्रदाय करने वाले नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति ;

(iii) व्यक्ति जिनसे प्रतिलोम प्रभार के अधीन कर का भुगतान अपेक्षित है ;

(iv) व्यक्ति जिनसे धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन कर का भुगतान अपेक्षित है ;

(v) कराधेय प्रदाय करने वाले अनिवासी कराधेय व्यक्ति ;

(vi) व्यक्ति जिनसे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं ;

(vii) व्यक्ति जो, चाहे अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा, अन्य कराधेय व्यक्तियों की ओर से कराधेय मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करते हैं ;

(viii) इनपुट सेवा वितरक, चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत है या नहीं ;

(ix) व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रदायों से भिन्न माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय ऐसे इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से करते हैं जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करना अपेक्षित है ;

(x) प्रत्येक इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक ;

(xi) भारत से बाहर किसी स्थान से ऑन–लाइन सूचना और डाटा आधार पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं का प्रदाय करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रदाय करता है ; और

(xii) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिन्हें सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित किया जाए ।

रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया ।

**25.** (1) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 22 या 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी है, वह उस तिथि, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होता है, से तीस दिन के भीतर, ऐसी रीति और ऐसी शर्तें जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा :

परंतु नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति कारबार प्रारंभ होने से कम से कम पांच दिन पहले रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहता है को एकल रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा :

COURT BOOK

परंतु राज्य में बहुल कारबार वर्टिकल रखने वाले व्यक्ति को, ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए, प्रत्येक कारबार वर्टिकल के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जा सकता है।

(3) कोई व्यक्ति जो धारा 22 या 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी नहीं है वह स्वयं को स्वेच्छया रजिस्ट्रीकृत करा सकता है और इस अधिनियम के सभी उपबंध वैसे ही ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे जैसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर लागू होते हैं।

(4) कोई व्यक्ति जिसने एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण चाहे एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अथवा एक से अधिक राज्यों अथवा संघ राज्यरक्षेत्र में प्राप्त किया है या प्राप्त करना अपेक्षित है, प्रत्येक ऐसे रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुभिन्न व्यक्तियों के रूप में माना जाएगा।

(5) जहां कोई व्यक्ति जिसने किसी स्थापना के सम्बन्ध में राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है या प्राप्त करना अपेक्षित है, के पास किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कोई स्थापना है, तब ऐसी स्थापनाओं को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुभिन्न व्यक्तियों की स्थापनाओं के रूप में माना जाएगा ।

(6) प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए पात्र होने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 43), के अधीन जारी स्थायी खाता संख्या रखेगा :

परंतु व्यक्ति जिससे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है, स्थायी खाता संख्या के बदले में, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए पात्र होने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन जारी कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या रख सकेगा ।

(7) उपधारा (6) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति को ऐसे अन्य दस्तावेज जो विहित किए जाएं, के आधार पर उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जा सकता है ।

(8) जहां कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी है रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी, किसी कार्रवाई जो इस अधिनियम के अधीन या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में रजिस्टर कर सकता है ।

(9) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी–

(क) संयुक्त राष्ट्र संगठन का कोई विशिष्ट अभिकरण या संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम 46), के अधीन अधिसूचित बहुपार्श्व वित्तीय संस्था और संगठन, विदेशी देशों के कौंसल–कार्यालय या राजदूतावास ; और

(ख) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए,

को ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिसमें उनके द्वारा प्राप्त मालों या सेवाओं अथवा दोनों के अधिसूचित प्रदाय शामिल हैं पर करों का प्रतिदाय, जैसा विहित किया जाए, विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाएगी ।

(10) रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रदान की जाएगी या नामंजूर की जाएगी।

(11) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में और ऐसी तिथि से, जो विहित की जाए, जारी किया जाएगा ।

(12) कोई रजिस्ट्रीकरण या कोई विशिष्ट पहचान संख्या उपधारा (10) के अधीन विहित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् प्रदान की गयी समझी जाएगी, यदि आवेदक को उस अवधि के भीतर कोई कमी संसूचित नहीं की गई है ।

डीम्ड रजिस्ट्रीकरण।

**26.** (1) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाना, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन इस अधिनियम के अधीन या धारा 25 की उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नामंजूर नहीं किया गया है, तो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या मंजूर की गई समझी जाएगी ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) धारा 25 की उपधारा (10) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या के लिए किसी आवेदन का नामंजूर किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का नामंजूर किया जाना समझा जाएगा ।

**27.** (1) नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति को जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की तिथि से नब्बे दिन, जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य होगा और ऐसा व्यक्ति केवल रजिस्ट्रीकरण–प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् ही कराधेय प्रदाय करेगा : नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से संबंधित विशेष उपबंध।

परंतु समुचित अधिकारी, पर्याप्त कारणों से जो उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा दर्शाए जाए, नब्बे दिन की उक्त अवधि को नब्बे दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकता है ।

(2) कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय, ऐसी अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य राशि में कर का अग्रिम निक्षेप करेगा :

परंतु जहां उपधारा (1) के अधीन समय का कोई विस्तार चाहा गया है, ऐसा कराधेय व्यक्ति, ऐसी अवधि जिसके लिए विस्तार चाहा गया है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य कर की अतिरिक्त राशि निक्षेप करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन निक्षेप की गई राशि, ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रोनिक नकद खाते में जमा की जाएगी और धारा 49 के अधीन उपबंधित रीति में उपयोग में ली जाएगी ।

**28.** (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित की गई है, रजिस्ट्रीकरण के समय या तत्पश्चात् दी गई सूचना में किसी परिवर्तन को ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, समुचित अधिकारी को सूचित करेगा । रजिस्ट्रीकरण का संशोधन।

(2) समुचित अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन दी गई या उसके द्वारा यथा अभिनिश्चित सूचना के आधार पर, रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, संशोधनों का अनुमोदन कर सकता है या नामंजूर कर सकता है :

परंतु ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाएं, के संशोधन के सम्बन्ध में समुचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा :

परंतु यह और कि समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन को किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नामंजूर नहीं करेगा ।

(3) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), के अधीन संशोधनों का कोई नामंजूर या अनुमोदन इस अधिनियम के अधीन नामंजूर या अनुमोदन किया जाना समझा जाएगा ।

**29.** (1) समुचित अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में, उसके विधिक वारिसों द्वारा दायर किए गए आवेदन पर, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकता है, जहां– रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण।

(क) कारबार किन्हीं कारणों से जिसमें स्वत्वधारी की मृत्यु, किसी अन्य विधिक संस्था के साथ समामेलन, निर्विलयन या अन्यथा निपटान भी सम्मिलित है, बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से अंतरित कर दिया गया है ; या

(ख) कारबार के गठन में कोई परिवर्तन हुआ है ; या

(ग) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न कोई कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए इससे अधिक दायी नहीं है।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) समुचित अधिकारी, ऐसी तिथि, जिसके अंतर्गत किसी भूतलक्षी तिथि से जैसा वह उचित समझे, किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकता है, जहां–

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है, जो विहित किए जाएं ; या

(ख) धारा 10 के अधीन कर अदा करने वाले किसी व्यक्ति ने, तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी नहीं दी है ; या

(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने लगातार छह मास की अवधि तक विवरणी नहीं दी है ; या

(घ) कोई व्यक्ति, जिसने धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण कराया है, रजिस्ट्रीकरण की तिथि से छह मास के भीतर कारबार प्रारंभ नहीं किया है ; या

(ङ) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया है :

परंतु समुचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा ।

(3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य शोध्य के भुगतान के लिए या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, रद्दकरण की तिथि से पहले किसी अवधि के लिए, चाहे ऐसा कर और अन्य शोध्य, रद्दकरण की तिथि से पहले या पश्चात् अवधारित किए जाते हैं या नहीं, किसी बाध्यता के निर्वहन पर किसी व्यक्ति के दायित्व का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(4) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना समझा जाएगा ।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द हो गया है, इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय खाता या इलेक्ट्रोनिक नकद खाते में विकलन के माध्यम से ऐसी राशि का भुगतान करेगा जो ऐसे रद्दकरण की तिथि से ठीक पूर्व दिन को स्टॉक में धारित निवेश और स्टॉक में धारित अर्ध–परिरूपित या परिरूपित माल में दिए गए निवेश या पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संबंध में ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में संगणित ऐसे माल पर भुगतानयोग्य आउटपुट कर, जो भी अधिक हो, इनपुट कर प्रत्यय के समतुल्य है :

परंतु पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के मामले में, कराधेय व्यक्ति उक्त पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के समान ऐसी राशि जो ऐसे प्रतिशतता बिन्दु जो विहित किए जाएं, से घटाकर आये या धारा 15 के अधीन ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर, जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन भुगतानयोग्य राशि ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में संगणित की जाएगी।

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण।

**30.** (1) ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण समुचित अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा पर रद्द किया गया है, रद्दकरण आदेश की तामील की तिथि से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) समुचित अधिकारी, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि में जो विहित की जाए, आदेश द्वारा या तो रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कर सकता है या आवेदन को नामंजूर कर सकता है :

परंतु रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना नामंजूर नहीं किया जाएगा।

(3) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के रूप में समझा जाएगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

## अध्याय VII

## कर बीजक, जमा और नामे पत्र

**31.** (1) कराधेय मालों का प्रदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे समय से पहले या उस समय पर,– कर बीजक ।

(क) प्राप्तिकर्ता को प्रदाय के लिए मालों को हटाना, जहां प्रदाय में मालों का संचलन अंतर्वलित है ; या

(ख) किसी अन्य मामले में, मालों का परिदान करना या प्राप्तिकर्ता को उन्हें उपलब्ध करवाना,

माल का विवरण, मात्रा और मूल्य, उस पर प्रभारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगाः

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, मालों या प्रदायों के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जिनके संबंध में ऐसे समय में और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में कर बीजक जारी किया जाएगा ।

(2) कराधेय सेवाओं का प्रदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सेवाओं के प्रदान से पूर्व या के पश्चात् किन्तु विहित अवधि के भीतर, विवरण, मूल्य, उस पर प्रभारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगाः

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों, जो उसमें उल्लिखित की जाएं, के अध्यधीन, सेवाओं के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके संबंध में–

(क) प्रदाय के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज कर बीजक के रूप में समझा जाएगा ; या

(ख) कर बीजक जारी न किया जाए ।

(3) उपधारा (1) और (2) में दी गई किसी बात के होते हुए भी–

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि से एक मास के भीतर और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की तिथि से प्रारंभ होने और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि तक की अवधि के दौरान पहले से जारी बीजक के विरुद्ध पुनरीक्षित बीजक जारी कर सकता है ;

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, के अध्यधीन कर बीजक जारी नहीं करेगा यदि मालों या सेवाओं या दोनों के प्रदाय का मूल्य दो सौ रूपए से कम है ;

(ग) छूटप्राप्त मालों और सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला या धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर भुगतान करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक के बजाय ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाला और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में प्रदाय का बिल जारी करेगाः

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में प्रदाय का बिल जारी नहीं कर सकता, यदि प्रदाय किया गया माल या सेवाओं या दोनों का मूल्य दो सौ रूपए से कम है ;

(घ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय के संबंध में अग्रिम भुगतान की प्राप्ति पर ऐसे भुगतान की प्राप्ति के साक्ष्यस्वरूप ऐसी विशिष्टियों से अंतर्विष्ट जो विहित की जाएं, कोई रसीद, वाउचर या कोई अन्य दस्तोवेज जारी करेगा ;

(ङ) जहां, माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय के संबंध में अग्रिम भुगतान की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई रसीद वाउचर जारी करता है, किन्तु तत्पश्चात् कोई प्रदाय नहीं किया जाता है और उसके अनुसरण में कोई कर बीजक जारी नहीं किया जाता है, तो उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को जिसने भुगतान किया था, ऐसे भुगतान के विरुद्ध कोई प्रतिदाय वाउचर जारी कर सकता है ;

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL CLARITY

(च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या (4) के अधीन कर भुगतान करने के लिए दायी है, किसी ऐसे प्रदायकर्ता, जो माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तिथि को रजिस्ट्रीकृत नहीं है, से उसके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में बीजक जारी करेगा ;

(छ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या (4) के अधीन कर भुगतान करने के लिए दायी है, प्रदायकर्ता को भुगतान करते समय कोई भुगतान वाउचर जारी करेगा ।

(4) माल के निरंतर प्रदाय की दशा में, जहां लेखें के क्रमवार विवरण या क्रमवार भुगतान अंतर्वलित हैं, वहां बीजक, प्रत्येक ऐसे विवरण जारी करने से पूर्व या के समय, जैसी भी स्थिति हो, प्रत्येक ऐसा भुगतान प्राप्त किया जाता है, जारी किया जाएगा।

(5) उपधारा (3) के खंड (घ) के उपबंधों के अध्यधीन सेवाओं के निरंतर प्रदाय की दशा में–

(क) जहां भुगतान की नियत तिथि संविदा से अभिनिश्चेय है, वहां बीजक भुगतान की नियत तिथि को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा;

(ख) जहां भुगतान की नियत तिथि संविदा से अभिनिश्चेय नहीं है, वहां बीजक समय से पूर्व या उस समय जब सेवाओं का प्रदायकर्ता भुगतान प्राप्त करता है, जारी किया जाएगा ;

(ग) जहां भुगतान किसी घटना के पूरा होने से जोड़ा गया है, वहां बीजक उस घटना के पूरा होने की तिथि को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा ।

(6) किसी ऐसे मामले में जहां किसी संविदा के अधीन प्रदाय के पूरा होने से पूर्व सेवाओं का प्रदाय बंद हो जाता है, वहां बीजक ऐसे समय पर जारी किया जाएगा जब प्रदाय बंद होता है और ऐसा बीजक ऐसी बंदी से पूर्व किए गए प्रदाय की सीमा तक जारी किया जाएगा ।

(7) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां विक्रय या वापसी के लिए अनुमोदन पर भेजा जा रहा या लिया जा रहा माल प्रदाय किए जाने से पूर्व हटाया जाता है, वहां बीजक, प्रदाय से पूर्व अथवा के समय या हटाए जाने की तिथि से छह मास तक, जो भी पूर्वतर हो, जारी किया जाएगा ।

**व्याख्या.**– इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कर बीजक" अभिव्यक्ति में पहले से किए गए प्रदाय के संबंध में प्रदायकर्ता द्वारा जारी कोई पुनरीक्षित बीजक शामिल होगा ।

कर के अप्राधिकृत संग्रहण का प्रतिषेध ।

**32.** (1) कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं है, माल और सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में कोई राशि संगृहीत नहीं करेगा ।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर का संग्रहण नहीं करेगा ।

कर बीजक और अन्य दस्तावेजों में कर की राशि का उपदर्शन ।

**33.** इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई प्रदाय किसी प्रतिफल के लिए किया जाता है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रदाय के लिए कर भुगतान करने का दायी है, निर्धारण से संबंधित सभी दस्तावेजों, कर बीजक और ऐसे अन्य दस्तावेजों में, कर की राशि जो उस कीमत का भाग रूप होगी जिस पर ऐसा प्रदाय किया जाता है, प्रमुखतः उपदर्शित करेगा ।

जमा और नामे पत्र ।

**34.** (1) जहां किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में मूल्य या प्रभारित कर ऐसे प्रदाय के संबंध में कराधेय मूल्य या भुगतानयोग्य कर से अधिक पाया जाता है या जहां प्राप्तकर्ता द्वारा प्रदाय किए गए माल को वापस किया जाता है या जहां प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों में कमी पाई जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किया है, प्राप्तिकर्ता को ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, से अंतर्विष्ट करते हुए जमा पत्र जारी कर सकता है।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई जमा पत्र जारी करता है, ऐसे जमा पत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में घोषित करेगा जिसके दौरान ऐसा जमा पत्र जारी किया गया है किन्तु उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसा प्रदाय किया गया था, सितंबर मास की समाप्ति के आगामी या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पूर्वतर हो, के अपश्चात् तथा कर दायित्व ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में समायोजित किया जाएगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परंतु प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि ऐसे प्रदाय पर कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को पास किया गया है ।

(3) जहां किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में कराधेय मूल्य या प्रभारित कर ऐसे प्रदाय के संबंध में कराधेय मूल्य या भुगतानयोग्य कर से कम पाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किया है, प्राप्तिकर्ता को ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं, अंतर्विष्ट करते हुए नामे पत्र जारी करेगा ।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई नामे पत्र जारी करता है, ऐसे नामे पत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में, जिसके दौरान ऐसा नामे पत्र जारी किया गया है, घोषित करेगा और कर दायित्व, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में समायोजित करेगा ।

**व्याख्या.**– इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "नामे पत्र" अभिव्यक्ति में पूरक बीजक शामिल होगा।

## अध्याय VIII

## लेखे और अभिलेख

लेखे और अन्य अभिलेख ।

**35.** (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में यथावर्णित, कारबार के अपने मूल स्थान पर–

(क) माल के उत्पादन या विनिर्माण;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों के आवक और जावक प्रदाय;

(ग) माल का स्टॉक ;

(घ) प्राप्त किया गया इनपुट कर प्रत्यय ;

(ङ) भुगतानयोग्य और भुगतान किया गया आउटपुट कर ; और

(च) ऐसी अन्य विशिष्टियों, जो विहित की जाएं,

के सत्य और शुद्ध लेखे रखेगा और अनुरक्षित करेगा:

परंतु जहां रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में एक से अधिक कारबार का स्थान विनिर्दिष्ट किया गया है, वहां कारबार के प्रत्येक स्थान से संबंधित लेखे कारबार के ऐसे स्थानों में रखे जाएंगे :

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे लेखे और अन्य विशिष्टियां इलेक्ट्रोनिक रूप में ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में रख सकता है और अनुरक्षित कर सकता है।

(2) माल के भंडारण के लिए उपयोग में लाया गया भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान का प्रत्येक स्वामी या प्रचालक और प्रत्येक परिवाहक, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है या नहीं, को विचार में लाए बिना परेषक, परेषिती और ऐसे माल के अन्य सुसंगत ब्यौरों के अभिलेख ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में रखेगा।

(3) आयुक्त, ऐसे प्रयोजन जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के लिए अतिरिक्त लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित करने के लिए कराधेय व्यक्तियों का वर्ग अधिसूचित कर सकता है ।

(4) जहां आयुक्त समझता है कि कराधेय व्यक्तियों का कोई वर्ग इस धारा के उपबंधों के अनुसार लेखे रखने और अनुरक्षित करने की स्थिति में नहीं है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करते हुए, कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को लेखों को ऐसी रीति, जो विहित की जाएं, में अनुरक्षित करने के लिए अनुज्ञात कर सकता है ।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विहित सीमा से अधिक होता है, अपने लेखे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा संपरीक्षित करवाएगा और संपरीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति, धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन समाधान विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में प्रस्तुत करेगा ।

(6) धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (ज) के उपबंधों के अध्यधीन, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा देने में असफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी माल या सेवाओं या दोनों जिसका लेखा नहीं दिया गया है, पर भुगतानयोग्य कर की राशि, अवधारित करेगा, मानो ऐसा माल या सेवाओं या दोनों का ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदाय किया गया था और धारा 73 या 74, जैसी भी स्थिति हो, के उपबंध ऐसे कर के अवधारण के लिए आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL CLARITY

लेखों के प्रतिधारण की अवधि ।

**36.** धारा 35 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार लेखों की बहियों और अन्य अभिलेखों को रखने और अनुरक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उनको ऐसे लेखों और अभिलेखों से संबंधित वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से बहत्तर मास की समाप्ति तक प्रतिधारण करेगा :

परंतु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो किसी अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी अपील या पुनरीक्षण या किसी अन्य कार्यवाही चाहे उसके द्वारा या आयुक्त द्वारा दायर की गई हो, में कोई पक्षकार है, या अध्याय XIX के अधीन किसी अपराध के लिए अन्वेषणाधीन है, तो ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण की विषय–वस्तु से संबंधित लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों को ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण के अंतिम निपटान के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के लिए या ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, जो भी पश्चात्वर्ती हो, अपने अधिकार में रखेगा ।

## अध्याय IX
## विवरणियां

जावक प्रदायों के ब्यौरे देना ।

**37.** (1) किसी इनपुट सेवा वितरक, किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति और धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रोनिक रूप में ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में किसी कर अवधि के दौरान माल या सेवाओं या दोनों के, किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे उक्त कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 10वें दिन को या से पूर्व देगा और ऐसे ब्यौरे उक्त प्रदायों के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में संसूचित किए जाएंगेः

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन से 15वें दिन तक की अवधि के दौरान जावक प्रदायों के ब्यौरे देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि आयुक्त, कारणों को अभिलिखित करते हुए, अधिसूचना द्वारा कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा का विस्तार कर सकता है :

परंतु यह और कि केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसको धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन ब्यौरे या धारा 38 की उपधारा (4) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के आवक प्रदायों से संबंधित ब्यौरे संसूचित किए गए हैं, 17वें दिन को या इससे पूर्व इस प्रकार संसूचित ब्यौरे या तो स्वीकार या अस्वीकार करेगा, किन्तु कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 15वें दिन से पूर्व नहीं, तथा उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिए गए ब्यौरे तदनुसार संशोधित हो जाएंगे ।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने किसी कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे दिए हैं और जो धारा 42 या 43 के अधीन बे–मिलान रह गए हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर, ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में सुधार करेगा तथा ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में, यदि ऐसी त्रुटि या लोप के कारण कर का कम भुगतान हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का भुगतान करेगा :

परंतु उपधारा (1) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई भी सुधार उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, की समाप्ति के अगले सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने, जो भी पूर्वतर है, के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

**व्याख्या.–** इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, "जावक प्रदायों के ब्यौरे" अभिव्यक्ति में किसी कर अवधि के दौरान किए गए जावक प्रदायों के संबंध में जारी बीजक, नामे पत्र, जमा पत्र और पुनरीक्षित बीजक के ब्यौरे शामिल होंगे।

आवक प्रदायों के ब्यौरे देना।

**38.** (1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबधों के अधीन कर भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने आवक प्रदायों और जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे तैयार करने के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन संसूचित जावक प्रदायों और जमा या नामे पत्रों से संबंधित ब्यौरे सत्यापित करेगा, विधिमान्य करेगा, उपांतरित करेगा या हटाएगा, यदि अपेक्षित हो और उसमें ऐसे प्रदायों, जो धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा घोषित नहीं किए गए हैं, के संबंध में उस द्वारा प्राप्त आवक प्रदायों और जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे सम्मिलित कर सकता है ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबधों के अधीन कर भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलेक्ट्रोनिक रूप में किसी कर अवधि के दौरान कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों जिसमें माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदाय, जिन पर इस अधिनियम के अधीन प्रतिलोम आधार पर कर भुगतानयोग्य है शामिल है तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13), के अधीन कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदाय या जिन पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का का केन्द्रीय अधिनियम 51), की धारा 3 के अधीन एकीकृत माल और सेवा कर भुगतानयोग्य है, और ऐसी प्रदायों के संबंध में प्राप्त जमा या नामे पत्र उक्त कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 10वें दिन के पश्चात् किन्तु 15वें दिन को या से पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में ब्यौरे देगाः

परंतु आयुक्त, कारणों को अभिलिखित करते हुए, अधिसूचना द्वारा, कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा का विस्तार कर सकता है :

परंतु यह और कि केंद्रीय कर के आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा उपांतरित, हटाए गए या सम्मिलित किए गए प्रदायों और उपधारा (2) के अधीन दिए गए ब्यौरे संबंधित प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे ।

(4) धारा 39 की उपधारा (2) या (4) के अधीन दी गई विवरणी में प्राप्तिकर्ता द्वारा उपांतरित, हटाए गए या सम्मिलित किए गए प्रदायों के ब्यौरे संबंधित प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे ।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने किसी कर अवधि के लिए उपधारा (2) के अधीन ब्यौरे दिए हैं और जो धारा 42 या 43 के अधीन बे–मिलान रह गए हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप की ऐसी कर अवधि जिसके दौरान ऐसी त्रुटि या लोप नोटिस में आता है, में सुधार ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में करेगा तथा ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में यदि ऐसी त्रुटि या लोप के कारण कर का कम भुगतान हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का भुगतान करेगा :

परंतु उपधारा (2) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई भी सुधार उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, की समाप्ति के अगले सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने, जो भी पूर्वतर है, के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

विवरणियां देना ।

**39.** (1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबधों के अधीन कर भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए इलेक्ट्रोनिक रूप में माल या सेवा या दोनों के आवक और जावक प्रदायों, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, भुगतानयोग्य कर, भुगतान किया गया कर और अन्य ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं, ऐसे कलैंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के 20वें दिन या इससे पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में विवरणी देगा।

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर भुगतान करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में राज्य में आवर्त के किसी माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों, भुगतानयोग्य कर और भुगतान किए गए कर की इलेक्ट्रोनिक रूप में विवरणी, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् अठारह दिन के भीतर भुगतान करेगा ।

(3) धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौतियां, ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर की गई हैं, इलेक्ट्रोनिक रूप में, विवरणी देगा ।

(4) किसी इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक कराधेय व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् तेरह दिन के भीतर इलेक्ट्रोनिक रूप में विवरणी देगा ।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अनिवासी कराधेय व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में कलैंडर मास के अंत के पश्चात् बीस दिन के भीतर या धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात् सात दिन के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, इलेक्ट्रोनिक रूप में, विवरणी देगा ।

(6) आयुक्त, कारणों को अभिलिखित करते हुए, अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरणियां देने के लिए समय–सीमा विस्तारित कर सकेगा :

परंतु केंद्रीय कर आयुक्त के द्वारा अधिसूचित समय–सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।

(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन कोई विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर, अंतिम तिथि, जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, से अपश्चात् सरकार को भुगतान करेगा ।

(8) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी देगा, चाहे माल या सेवा या दोनों का कोई प्रदाय ऐसी कर अवधि के दौरान किया गया है या नहीं ।

(9) धारा 37 और 38 के उपबंधों के अध्यधीन यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन विवरणी देने के पश्चात, कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह, इस अधिनियम के अधीन ब्याज के भुगतान के अध्यधीन, उस मास या तिमाही, जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां ध्यान में आई हैं, के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगाः

परंतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास के लिए या दूसरी तिमाही के लिए विवरणी देने की देय तिथि के या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तिथि, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए कोई विवरणी देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी नहीं दी गई है ।

प्रथम विवरणी।

**40.** प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने उस तिथि, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी बना, से उस तिथि तक जिसको उसे रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया, के मध्य अवधि में जावक प्रदाय किए हैं, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् उसके द्वारा दी गई प्रथम विवरणी में उसकी घोषणा करेगा।

इनपुट कर प्रत्यय का दावा और उसकी अनंन्तिम स्वीकृति ।

**41.** (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निबंधनों जो विहित किए जाएं, के अध्यधीन यथा स्वःनिर्धारित, पात्र इनपुट कर, का अपनी विवरणी में प्रत्यय लेने का हकदार होगा और ऐसी राशि अनंतिम आधार पर उसके इलेक्ट्रोनिक खाते में जमा की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्यय का उपयोग केवल उक्त उपधारा में निर्दिष्ट विवरणी के अनुसार स्वःनिर्धारित आउटपुट कर के भुगतान के लिए किया जाएगा ।

इनपुट कर प्रत्यय का मिलान, प्रतिलोम और वापस लेना ।

**42.** (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्राप्तकर्ता" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) द्वारा किसी कर अवधि के लिए दिए गए प्रत्येक आवक प्रदाय के ब्यौरे का–

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में "प्रदायकर्ता" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) द्वारा उसी कर अवधि या किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में दिए गए जावक प्रदाय के तत्स्थानी ब्यौरे के साथ;

(ख) उसके द्वारा आयातित माल के संबंध में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51), की धारा 3 के अधीन भुगतान किया गया समन्वित माल और सेवा कर के साथ ; और

(ग) इनपुट कर प्रत्यय के दावों के अनुलिपिकरण के लिए,

ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, मिलान किया जाएगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) इनपुट कर प्रत्यय का ऐसा दावा जिसके संबंध में आवक प्रदाय के संबंध में बीजकों या नामे पत्रों, जो तत्स्थानी जावक प्रदाय के ब्यौरों के साथ या सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51), की धारा 3 के अधीन आयातित माल के संबंध में उसके द्वारा भुगतान समन्वित माल और सेवा कर के साथ मिलान होता है, अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा और ऐसी स्वीकृति प्राप्तकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी ।

(3) जहां आवक प्रदाय के संबंध में किसी प्राप्तकर्ता द्वारा दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय उसी प्रदाय के लिए प्रदायकर्ता द्वारा घोषित कर से अधिक है या प्रदायकर्ता द्वारा अपनी विधिमान्य विवरणियों में जावक प्रदाय घोषित नहीं किया गया है, वहां विसंगति दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी ।

(4) इनपुट कर प्रत्यय के दावों की अनुलिपि प्राप्तकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी ।

(5) राशि, जिसके संबंध में उपधारा (3) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको उस मास की विधिमान्य विवरणी में प्रदायकर्ता द्वारा ठीक नहीं किया गया है जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, को उस मास, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई है, के उत्तरवर्ती मास की विवरणी में प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर में ऐसी रीति में जोड़ा जाएगा, जो विहित की जाए ।

(6) इनपुट कर प्रत्यय के रूप में दावा की गई राशि, जो दावों के अनुलिपिकरण के कारण आधिक्य पाई जाती है, को प्राप्तकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास, जिसमें अनुलिपिकरण संसूचित की जाती है, की विवरणी में जोड़ा जाएगा ।

(7) प्राप्तकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गई राशि को घटाने का पात्र होगा, यदि प्रदायकर्ता धारा 39 की उपधारा (9) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपनी विधिमान्य विवरणी में बीजक या नामे नोट के ब्यौरों को घोषित करता है ।

(8) कोई प्राप्तिकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई राशि जोड़ी गई है, प्रत्यय लेने की तिथि से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी वर्धन किए जाने तक इस प्रकार जोड़ी गई राशि पर धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा ।

(9) जहां उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती को स्वीकार किया गया है तो उपधारा (8) के अधीन भुगतान किए गए ब्याज का प्रतिदाय प्राप्तिकर्ता को उसके इलेक्ट्रोनिकी नकद खाते में तत्स्थानी शीर्ष में राशि को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रत्यय करके किया जाएगा :

परंतु किसी भी दशा में प्रत्यय किए गए ब्याज की राशि प्रदायकर्ता द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि से अधिक नहीं होगी ।

(10) उपधारा (7ट) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई राशि को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्वो में उस मास की उसकी विवरणी में जोड़ा जाएगा, जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और ऐसा प्राप्तकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई राशि पर धारा 50 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा ।

**43.** (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्रदायकर्ता" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) द्वारा किसी करावधि जावक प्रदाय के संबंध में प्रस्तुत प्रत्येक जमा पत्र के ब्यौरे का— आउटपुट कर दायित्व में कमी का मिलान, प्रतिलोम और वापस लेना।

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्राप्तिकर्ता" कहा गया है) द्वारा उसी करावधि या अन्य पश्चात्वर्ती करावधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी कटौती दावे के लिए ; और

(ख) आउटपुट कर दायित्व में कटौती के लिए दावों के अनुलिपिकरण के लिए,

ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मिलान किया जाएगा।

(2) प्रदायकर्ता द्वारा आउटपुट कर दायित्व में कटौती के लिए ऐसा दावा, जिसका प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी दावे में कमी से मिलान हो जाता है, को अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा तथा ऐसी स्वीकृति प्रदायकर्ता को रीति, जो विहित की जाए, में संसूचित किया जाएगा।

COURT BOOK

(3) जहां जावक प्रदायों के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कमी इनपुट कर दावे में तत्स्थानी कमी से अधिक हो जाती है या तत्स्थानी जमापत्र की प्राप्तकर्ता द्वारा उसकी विधिमान्य विवरणियों में घोषणा नहीं की गई है तो इस विसंगति की संसूचना दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए ।

(4) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों के अनुलिपिकरण प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में संसूचित की जाएगी, जो विहित की जाए ।

(5) वह राशि, जिसके संबंध में उपधारा (3) के अधीन कोई विसंगति संसूचित की गई है और जिसको प्राप्तकर्ता द्वारा उस मास की विवरणी, जिसमें ऐसी विसंगति संसूचित की गई है, की विधिमान्य विवरणी में ठीक नहीं किया गया है, को प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास के पश्चात्वर्ती मास, जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, की विवरणी में उस रीति में जोड़ दिया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(6) आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती के संबंध में ऐसी राशि, जो दावों की अनुलिपिकरण के लेखे पाई जाती है, को प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की विवरणी में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें ऐसा अनुलिपिकरण संसूचित किया जाता है ।

(7) प्रदायकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गई राशि को घटाने का पात्र होगा यदि प्राप्तकर्ता जमा पत्र के ब्यौरों को अपनी विधिमान्य विवरणी में धारा 39 की उपधारा (9) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर घोषित कर देता है ।

(8) कोई प्रदायकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई राशि जोड़ी गई है, इस प्रकार जोड़ी गई राशि के संबंध में आउटपुट कर दायित्वों में कटौती के ऐसे दावे की तिथि से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी जोड़े जाने तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा ।

(9) जहां उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती को स्वीकार किया जाता है वहां उपधारा (8) के अधीन भुगतानयोग्य ब्याज का प्रतिदाय प्रदायकर्ता को उसके इलेक्ट्रोनिकी नकद खाते में तत्स्थानी शीर्ष में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, राशि का प्रत्यय करके किया जाएगा :

परंतु किसी भी दशा में प्रत्यय किए जाने वाले ब्याज की राशि प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि से अधिक नहीं होगी ।

(10) उपधारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई राशि को प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की उसकी विवरणी में जोड़ दिया जाएगा जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और ऐसा प्रदायकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई राशि पर धारा 50 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा।

वार्षिक विवरणी ।

**44.** (1) इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर भुगतान करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलेक्ट्रोनिकी रूप से ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत में 31 दिसंबर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 35 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार उसके लेखों की संपरीक्षा करवाने की अपेक्षा है, वार्षिक लेखों की संपरीक्षित प्रति और वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत वार्षिक विवरणी में घोषित प्रदायों के मूल्य को संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलाते हुए और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाए, के साथ एक समाधान विवरण के साथ इलेक्ट्रोनिकी रूप में उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

अंतिम विवरणी ।

**45.** प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है और जिसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है, रद्द करने की तिथि या रद्द करने के आदेश की तिथि, जो भी पश्चात्वर्ती हो, से तीन मास के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

विवरणी व्यतिक्रमियों को सूचना ।

**46.** जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39, धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तब वहां उससे पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए एक नोटिस जारी किया जाएगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

विलंब फीस का उदग्रहण ।

**47.** (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 37 या धारा 38 के अधीन अपेक्षित जावक या आवक प्रदायों के ब्यौरे या धारा 39 या धारा 45 के अधीन वांछित विवरणियां देय तिथि तक प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह पांच हजार रूपए की अधिकतम राशि के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, सौ रूपए विलंब फीस का भुगतान करेगा ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो देय तिथि तक धारा 44 के अधीन अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो राज्य में उसके कारबार के एक चौथाई प्रतिशत पर संगणित राशि के अधिकतम के अधीन रहते हुए प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, सौ रूपए की विलंब फीस का भुगतान करने का दायी होगा ।

माल और सेवा कर व्यवसायी ।

**48.** (1) माल और सेवा कर व्यवसायियों के अनुमोदन की रीति, उनकी पात्रता शर्तें, कर्तव्य और बाध्यताएं, हटाने की रीति तथा उनके कार्य करने के लिए अन्य सुसंगत शर्तें, वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को, धारा 37 के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे धारा 38 के अधीन आवक प्रदायों के ब्यौरे और धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, माल और सेवा कर व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किसी विवरणी या दायर किए गए अन्य ब्यौरों के सही होने का उत्तरदायित्व उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर होगा जिसके निमित्त ऐसी विवरणी और ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं ।

## अध्याय X

## कर का भुगतान

कर, ब्याज, शास्ति और अन्य राशियों का भुगतान ।

**49.** (1) किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड या राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण या वास्तविक समय समग्र निपटान या किसी ऐसे अन्य ढंग तथा ऐसी शर्तों तथा ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, द्वारा कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य राशि के लिए किया गया प्रत्येक जमा को ऐसे व्यक्ति के ऐसी रीति जो विहित की जाए, में अनुरक्षित किए जाने वाले इलेक्ट्रोनिक नकद खाता में प्रत्यय किया जाएगा।

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्वनिर्धारित इनपुट कर प्रत्यय का धारा 41 के अनुसार ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अनुरक्षित किए जाने वाले उसके इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय खाते में प्रत्यय किया जाएगा ।

(3) इलेक्ट्रोनिक नकद खाते में उपलब्ध राशि का उपयोग इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन भुगतानयोग्य कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य राशि का भुगतान करने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा ।

(4) इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय खाते में उपलब्ध राशि का उपयोग इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13), के अधीन आउटपुट कर का भुगतान करने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा ।

(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रोनिक खाता में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के मद्दे—

(क) एकीकृत कर का उपयोग पहले एकीकृत कर का भुगतान करने के लिए किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, का उपयोग, केंद्रीय कर और राज्य कर या जैसी भी स्थिति हो, संघ राज्य क्षेत्र कर का उस क्रम में भुगतान करने के लिए किया जाएगा;

(ख) केंद्रीय कर का उपयोग पहले केंद्रीय कर का भुगतान करने के लिए किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, का उपयोग एकीकृत कर का भुगतान करने के लिए किया जाएगा ;

(ग) राज्य कर का उपयोग पहले, राज्य कर का भुगतान करने के लिए किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, का उपयोग एकीकृत कर का भुगतान करने के लिए किया जाएगा ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(घ) केंद्रीय कर का उपयोग राज्य कर का भुगतान करने के लिए नहीं किया जाएगा ; और

(ड.) राज्य कर का उपयोग केंद्रीय कर का भुगतान करने के लिए नहीं किया जाएगा।

(6) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कर, ब्याज, शास्ति, फीस या भुगतान किसी अन्य भुगतानयोग्य राशि का भुगतान करने के पश्चात् इलेक्ट्रोनिक नकद खाता या इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय खाता राशि में शेष का धारा 54 के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय किया जा सकेगा।

(7) इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति के सभी दायित्वों को इलेक्ट्रोनिक देय रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा और उनका ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुरक्षण किया जाएगा।

(8) प्रत्येक कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर और अन्य देयों का निम्नलिखित क्रम में निर्वहन करेगा, अर्थात् :–

(क) पूर्व कर कालावधियों की विवरणियों से संबंधित स्वःनिर्धारित कर और अन्य देय ;

(ख) चालू कर कालावधियों की विवरणियों से संबंधित स्वःनिर्धारित कर और अन्य देय ;

(ग) इस अधिनियम या इसके बनाए गए नियमों के अधीन भुगतानयोग्य कोई अन्य राशि, इसमें धारा 73 या धारा 74 के अधीन अवधारित मांग भी शामिल है।

(9) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन माल या सेवा या दोनों पर कर भुगतान किया है, जब तक उसके द्वारा प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे कर की पूर्ण राशि को ऐसे माल या सेवा या दोनों के प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित कर दिया है ।

**व्याख्या.–** इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(क) प्राधिकृत बैंक में सरकार के खाते में जमा की जाने की तिथि को इलेक्ट्रोनिक नकद खाता में जमा करने की तिथि समझी जाएगी ;

(ख) अभिव्यक्ति,–

(i) "देय कर" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन भुगतानयोग्य कर और इसमें ब्याज, फीस और शास्ति सम्मिलित नहीं है; और

(ii) "अन्य देय" से अभिप्राय है, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन भुगतानयोग्य ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य राशि ।

कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज ।

**50.** (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में कर का भुगतान करने का दायी है, किंतु सरकार को विहित अवधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में असफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग भुगतान किए बिना रहता है, स्वयं, अठारह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर, जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, पर ब्याज का भुगतान करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन ब्याज की संगणना उस दिन, जिसको ऐसा कर भुगतान किए जाने के लिए देय था, के पश्चात्वर्ती दिन से यथाविहित ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी ।

(3) कोई कराधेय व्यक्ति, जो धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का अनुचित या आधिक्य का दावा करता है या धारा 43 की उपधारा (10) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में अनुचित या आधिक्य कटौती का दावा करता है, तो वह, यथास्थिति, ऐसे अनुचित या आधिक्य दावे या ऐसी अनुचित या आधिक्य कटौती पर परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा चौबीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, ब्याज का भुगतान करेगा ।

स्रोत पर कर कटौती ।

**51.** (1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी सरकार,–

(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या स्थापना को ; या

(ख) स्थानीय प्राधिकारी को ; या

(ग) सरकारी अभिकरणों को ; या

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(घ) ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों का प्रवर्ग, जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए,

(जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "कटौतीकर्ता" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), प्रदायकर्ता (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "जिससे कटौती की गई है" कहा गया है) को कराधेय माल या सेवा या दोनों के प्रदाय के लिये किए गए भुगतान या किए गए प्रत्यय से वहां, जहां ऐसा प्रदाय का कुल मूल्य किसी संविदा के अधीन दो लाख पचास हजार रूपए से अधिक है, के एक प्रतिशत की दर से कर कटौती करने का आदेश दे सकेगी :

परंतु कोई कटौती तब नहीं की जाएगी यदि प्रदायकर्ता की अवस्थिति और प्रदाय का स्थान, किसी ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में है, जो प्राप्तकर्ता के रजिस्ट्रीकरण राज्य या संघ राज्यक्षेत्र जैसी भी स्थिति हो, से भिन्न है ।

**व्याख्या.–** उपरोक्त विनिर्दिष्ट कर को कटौती के प्रयोजन के लिए प्रदाय के मूल्य को बीजक में उपदर्शित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर को विवर्जित करते हुए राशि के रूप में लिया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन कर के रूप में कटौती की गई राशि का कटौतीकर्ता द्वारा उस मास के अंत के बाद दस दिन के भीतर, जिसमें ऐसी कटौती की गई है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सरकार को भुगतान किया जाएगा ।

(3) कटौती करने वाला, जिससे कटौती की जा रही है, को संविदा मूल्य, कटौती की दर, कटौती की गई राशि, सरकार को भुगतानयोग्य राशि और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

(4) यदि कोई कटौतीकर्ता, जिससे कटौती की जा रही है, को स्रोत पर कर की कटौती करने के पश्चात् सरकार को इस प्रकार कटौती की गई राशि का प्रत्यय करने के पांच दिन के भीतर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कटौतीकर्ता विलंब फीस के माध्यम से ऐसी पांच दिन की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् पांच हजार रूपए की अधिकतम राशि के अध्यधीन, प्रत्येक दिन के लिए जब तक ऐसी असफलता को ठीक नहीं कर लिया जाता है, सौ रूपए की राशि का भुगतान करेगा ।

(5) जिससे कटौती की जा रही है वह अपने इलेक्ट्रोनिक नकद खाते में कटौती किए गए और धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन कटौतीकर्ता की विवरणी में उपदर्शित कर के प्रत्यय का दावा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा ।

(6) यदि कोई कटौतीकर्ता उपधारा (1) के अधीन कर के रूप में कटौती की गई राशि का सरकार को भुगतान करने में असफल रहता है तो वह कटौती किए गए कर की राशि के अतिरिक्त धारा 50 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार ब्याज का भुगतान करेगा ।

(7) इस धारा के अधीन व्यतिक्रम की राशि का अवधारण धारा 73 या धारा 74 में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा ।

(8) आधिक्य या त्रुटिपूर्ण कटौती के मद्दे उद्भूत कटौती के कटौतीकर्ता या जिससे कटौती की जा रही है, को प्रतिदाय धारा 54 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा :

परंतु कटौतीकर्ता को कोई प्रतिदाय प्रदान नहीं किया जाएगा यदि कटौती की गई राशि को, जिससे कटौती की जा रही है, के इलेक्ट्रोनिक नकद खाते में प्रत्यय कर दिया गया है ।

**52.** (1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रत्येक इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्रचालक" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), अभिकर्ता न होते हुए भी, अन्य प्रदायकर्त्ताओं द्वारा किए गए ऐसे कराधेय प्रदायों जिनके संबंध में प्रतिफल का संग्रहण प्रचालक द्वारा किया गया है के शुद्ध मूल्य के एक प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर, जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार अधिसूचित करे, से संगणित राशि का संग्रहण करेगा। स्रोत पर कर का संग्रहण ।

**व्याख्या.–** इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति कराधेय प्रदायों के शुद्ध मूल्य से अभिप्राय है, किसी माह में प्रचालक के माध्यम से सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन अधिसूचित सेवाओं से भिन्न, मालों या सेवाओं या दोनों के कराधेय प्रदायों के संकलित मूल्य में से घटाए गए उक्त माह में प्रदायकर्ताओं को वापिस किए गए कराधेय प्रदायों का सकल मूल्य होगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राशि का संग्रह करने की शक्ति प्रचालक से वसूली किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन संग्रहित राशि का भुगतान प्रचालक द्वारा सरकार को उस मास, जिसमें ऐसा संग्रह किया गया था, के अंत के बाद दस दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जाएगा।

(4) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राशि का संग्रह करता है, उसके माध्यम से किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदायों, जिसमें उसके माध्यम से वापस किये गये मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय शामिल हैं तथा मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहित राशि के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में ऐसे मास के अंत के बाद दस दिन के भीतर इलेक्ट्रोनिकी रूप में एक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(5) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राशि को संग्रहित करता है, उसके माध्यम से किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदायों, जिसमें उसके माध्यम से वापस किए गए मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय शामिल हैं तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहित राशि के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्त वर्ष के अंत के आगामी 31 दिसंबर से पूर्व इलेक्ट्रोनिकी रूप में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(6) यदि कोई प्रचालक उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें कोई लोप या गलत विशिष्टियां पाता है, जो कि संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या कर प्राधिकारियों के प्रवर्तन कार्यकलापों से भिन्न है तो वह ऐसे उस मास, जिसके दौरान ऐसा लोप या गलत विशिष्टियां ध्यान में आई हैं, के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में लोप या गलत विशिष्टियों को धारा 50 की उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज के भुगतान के अधीन रहते हुए ठीक करेगा :

परंतु किसी लोप या गलत ब्यौरों के ऐसे शुद्धीकरण करने की अनुमति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए देय तिथि या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् नहीं दी जाएगी ।

(7) प्रदायकर्ता, जिसने प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किया है, संगृहित राशि और उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत प्रचालक की विवरणी में उपदर्शित राशि का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपने इलेक्ट्रोनिक नकद खाते में प्रत्यय का दावा करेगा ।

(8) उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत प्रदाय के ब्यौरों का इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संबंधित प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदाय के तत्स्थानी ब्यौरों के साथ ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मिलान किया जाएगा ।

(9) जहां उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदाय पूर्ति के ब्यौरे धारा 37 के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत तत्स्थानी ब्यौरों के साथ मिलान नहीं करते है तो इस विसंगति की संसूचना दोनों व्यक्तियों को ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, दी जाएगी ।

(10) राशि, जिसके संबंध में उपधारा (9) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको प्रदायकर्ताओं द्वारा विधिमान्य विवरणी में या प्रचालक द्वारा उस मास के विवरण में, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई थी, ठीक नहीं किया जाता है तो उसे उक्त प्रदायकर्ता के उस मास के पश्चात्‌वर्ती मास की विवरणी में जिसमें विसंगति की सूचना दी गई थी के आउटपुट कर दायित्वत में ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, जोड़ा जाएगा जहां प्रचालक द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदायों पूर्तियों का मूल्य प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुति जावक प्रदायों के मूल्य से अधिक है ।

(11) संबंधित प्रदायकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (10) के अधीन कोई राशि जोड़ी गई है, वह ऐसे प्रदाय के संबंध में धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर से जोडी गई राशि पर उस तिथि से जब ऐसा कर देय था, से भुगतान की तिथि तक संगणित ब्याज सहित कर का भुगतान करेगा ।

(12) कोई प्राधिकारी जो उपायुक्त की पदवी से नीचे का न हो, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से पूर्व या उनके क्रम के दौरान प्रचालक को निम्नलिखित से संबंधित ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नोटिस की तामील कर सकेगा–

(क) किसी कालावधि के दौरान ऐसे प्रचालक के माध्यम से प्रभावित माल या सेवा या दोनों के प्रदाय; या

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) ऐसे प्रचालक के माध्यम से प्रदाय कर रहे प्रदायकर्ताओं द्वारा गोदामों या भांडागारों, चाहे किसी भी नाम से वे ज्ञात हों, में रखे मालों का स्टॉक, जो प्रचालक द्वारा प्रबंधित हो और ऐसे प्रदायकर्ताओं ने जिसे कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषित किया है,

जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(13) प्रत्येक प्रचालक, जिस पर उपधारा (12) के अधीन नोटिस की तामील की गई है, ऐसे नोटिस की तामील की तिथि से पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करेगा ।

(14) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (12) के अधीन तामील किए गए नोटिस द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, कार्रवाई जो धारा 122 के अधीन की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शास्ति का दायी होगा, जो पच्चीस हजार रूपए तक हो सकेगी ।

**व्याख्या.–** इस धारा के प्रयोजनों के लिए "संबंधित प्रदायकर्ता" अभिव्यक्ति का अर्थ प्रचालक के माध्यम से माल या सेवा या दोनों का प्रदाय करने वाला प्रदायकर्ता होगा ।

**53.** धारा 49 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) के अधीन कर बकाया के भुगतान के लिए इस अधिनियम के अधीन लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विधिमान्य विवरणी में उपदर्शित है, किये जाने पर राज्य कर के रूप में संगृहित राशि से इस प्रकार उपयोग किए गए प्रत्यय के बराबर राशि को घटा दिया जाएगा और राज्य सरकार राज्य कर लेखे से इस प्रकार घटाई गई राशि के समतुल्य राशि को एकीकृत कर लेखे में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरित करेगी । इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण ।

## अध्याय XI

## प्रतिदाय

**54.** (1) ऐसे कर पर भुगतान किए गए किसी कर तथा ब्याज, यदि कोई हो, उसके द्वारा भुगतान की गई किसी अन्य राशि के प्रतिदाय का दावा करने वाला कोई व्यक्ति सुसंगत तिथि से दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा : कर प्रतिदाय ।

परंतु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 49 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार इलेक्ट्रोनिक नकद खाते में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करता है वह धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा ।

(2) संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम 46), के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो धारा 55 के अधीन अधिसूचित है, जो मालों या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों पर उसके द्वारा भुगतान किए गए कर के प्रतिदाय का हकदार है, ऐसे प्रतिदाय के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, में उस तिमाही, जिसमें ऐसा प्रदाय प्राप्त किया गया था, के अंतिम दिन से छह मास की समाप्ति से पूर्व आवेदन कर सकेगा ।

(3) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी कर अवधि के अंत में किसी इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगा :

परन्तु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा नहीं स्वीकार किया जाएगा—

(i) कर का भुगतान किए बिना किए गए शून्य दर प्रदाय;

(ii) जहां इनपुट पर कर प्रत्यय के संचित होने का कारण इनपुट कर दर की तुलना में आउटपुट प्रदायों पर कर की दर उच्चतर होते हुए (शून्य कर दर या पूर्णतः कर मुक्त प्रदायों से भिन्न), सिवाय ऐसे मालों और सेवाओं या दोनों के प्रदाय जो परिषद् की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं :

परंतु यह और कि उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय को उन मामलों में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जहां भारत से निर्यात किए गए माल निर्यात शुल्क की शर्त के अध्यधीन है :

परंतु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय के किसी प्रतिदाय को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता ऐसी प्रदायों पर भुगतान किए गए एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है ।

(4) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे–

(क) ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य जो यह सिद्ध करने के लिए विहित किए जाएं कि आवेदक को प्रतिदाय देय है ; और

(ख) ऐसे दस्तोवेजी या अन्य साक्ष्य (धारा 33 में निर्दिष्ट दस्तावेजों सहित) जैसा कि आवेदक यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत करे कि कर की राशि और ब्याज, यदि कोई है, का भुगतान किया गया है या ऐसे किसी कर या किसी अन्य राशि का भुगतान किया गया है जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया गया है, उस राशि को उससे संग्रहित किया गया था या उसके द्वारा भुगतान किया गया था तथा ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया गया है :

परंतु जहां प्रतिदाय के रूप में दावा की गई राशि दो लाख रूपए से कम है, तो आवेदक के लिए कोई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा किंतु वह उसके पास उपलब्ध दस्तावेज या अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित करते हुए एक घोषणा दायर कर सकेगा कि ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया गया है।

(5) यदि किसी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि दावा किए गए प्रतिदाय की संपूर्ण राशि या उसके किसी भाग का प्रतिदाय किया जा सकता है तो वह तदनुसार आदेश करेगा और इस प्रकार अवधारित राशि को धारा 57 में निर्दिष्टि निधि में जमा करेगा ।

(6) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी इस निमित्त परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की शून्य दर के मद्दे प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में अनन्तिम आधार पर इस प्रकार दावा की गई राशि, जिसमें स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की राशि को छोड़कर, के नब्बे प्रतिशत का प्रतिदाय ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुरक्षापायों के अधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाए, कर सकेगा तथा तत्पश्चात् उपधारा (5) के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रतिदाय के अंतिम निपटान के लिए आदेश करेगा ।

(7) समुचित अधिकारी उपधारा (5) के अधीन सभी परिप्रेक्ष्यों में संपूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन के भीतर आदेश जारी करेगा ।

(8) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रतिदेय राशि को निधि में जमा किए जाने के स्थान पर आवेदक को भुगतान किया जाएगा यदि ऐसी राशि निम्नालिखित से संबंधित है–

(क) शून्य–दर वाले मालों या सेवाओं या दोनों या इनपुट या इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग ऐसी शून्य–दर वाले प्रदायों के लिए किया गया है, पर भुगतान किए गए कर का प्रतिदाय;

(ख) उपधारा (3) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय;

(ग) ऐसे प्रदाय पर भुगतान किए गए कर का प्रतिदाय, जिसको या तो पूर्णतः या अंशतः उपलब्ध नहीं कराया गया है और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है या जहां कोई प्रतिदाय वाउचर जारी किया गया है ;

(घ) धारा 77 के अनुसरण में कर का प्रतिदाय ;

(ङ) कर और ब्याज, यदि कोई हो, या आवेदक द्वारा भुगतान की गई कोई राशि, यदि उसने ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया हो; या

(च) आवेदकों के ऐसे अन्य वर्ग, जैसा कि सरकार परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, द्वारा वहन किया जाने वाला कर या ब्याज ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(9) अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी सिवाय उपधारा (8) के उपबंधों के अनुसरण के, कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।

(10) जहां किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (3) के अधीन कोई प्रतिदाय देय है, जिसने कोई विवरणी प्रस्तुत करने में चूक की है या जिससे कोई कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान किए जाने की अपेक्षा है, जिस पर किसी न्यायालय, अधिकरण या अपील प्राधिकरण ने विनिर्दिष्ट तिथि तक कोई रोक नहीं लगाई है, समुचित अधिकारी—

(क) देय प्रतिदाय के भुगतान को रोक सकेगा जब तक उक्त व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने या यथास्थिति, कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान नहीं किया जाता;

(ख) देय प्रतिदाय में से किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य राशि का, जिसका भुगतान करने के लिए कराधेय व्यक्ति दायी है किंतु जो इस अधिनियम या विद्यमान विधि के अधीन भुगतान न की हुई रहती है, कटौती कर सकेगा ।

**व्याख्या.—** इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट तिथि" अभिव्यक्ति का अर्थ इस अधिनियम के अधीन अपील दायर करने की अंतिम तिथि होगा ।

(11) जहां कोई आदेश जिससे प्रतिदाय उद्भूत हुआ है किसी अपील या आगे की कार्यवाहियों की विषय—वस्तु है या जहां इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियां लंबित हैं और आयुक्त का यह मत है कि ऐसा प्रतिदाय अनुदत्त करने से उक्त अपील या अन्य कार्यवाही में अपकरण या किए गए कपट के कारण राजस्व के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है तो वह कराधेय व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रतिदाय को उस समय तक, जैसा वह अवधारित करे, रोक सकेगा ।

(12) जहां उपधारा (11) के अधीन किसी प्रतिदाय को रोका गया है तो धारा 56 में दी गई किसी बात के होते हुए भी कराधेय व्यक्ति छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर ब्याज का हकदार होगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए, यदि अपील या और कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप वह प्रतिदाय का हकदार हो जाता है ।

(13) इस धारा में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा जमा की गई अग्रिम कर की राशि का तब तक प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने उस समस्त कालावधि के लिए, जिसके लिए उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, के प्रवृत्त रहने की अवधि के लिए धारा 39 के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां प्रस्तुत न कर दी हों ।

(14) इस धारा में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन किसी प्रतिदाय का आवेदक को भुगतान नहीं किया जाएगा यदि राशि एक हजार रूपए से कम है ।

**व्याख्या.—** इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(1) "प्रतिदाय" में माल या सेवा या दोनों का शून्य—दर प्रदाय या ऐसे शून्य दर प्रदायों को करने के लिए उपयोग किए गए इनपुटों या इनपुट सेवाओं के लिए कर का प्रतिदाय या निर्यात के रूप में समझे गए मालों के प्रदाय पर कर प्रतिदाय या उपधारा (3) के अधीन यथा उपबंधित उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय सम्मिलित है ।

(2) "सुसंगत तिथि" से अभिप्राय है—

(क) भारत से बाहर निर्यात किए गए मालों की दशा में, जहां स्वयं ऐसे मालों के लिए या ऐसे मालों में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं, जैसी भी स्थिति हो, के संबंध में भुगतान किए गए कर का प्रतिदाय उपलब्ध है,—

(i) यदि मालों का निर्यात समुद्र या वायु मार्ग द्वारा किया जाता है तो वह तिथि जिसको पोत या वह वायुयान, जिसमें ऐसे मालों की लदाई की जाती है, भारत छोड़ता है; या

(ii) यदि मालों का निर्यात भूमि मार्ग से किया जाता है तो वह तिथि जिसको ऐसे माल सीमा से गुजरते हैं ; या

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL CLARITY

(iii) यदि मालों का निर्यात डाक द्वारा किया जाता है तो संबंधित डाकघर द्वारा भारत से बाहर स्थान पर मालों के प्रेषण की तिथि;

(ख) मालों के प्रदाय को निर्यात समझे जाने की दशा में जहां भुगतान किए गए कर का प्रतिदाय मालों के संबंध में उपलब्ध है, वह तिथि जिसको ऐसे समझे गए निर्यातों के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की गई है ;

(ग) भारत से बाहर सेवाओं के निर्यात की दशा में जहां भुगतान किए गए कर का प्रतिदाय, सेवाओं के लिए स्वयं या ऐसी सेवाओं में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं, जैसी भी स्थिति हो, के संबंध में उपलब्ध है तो तिथि—

(i) संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भुगतान की रसीद, जहां सेवाओं के प्रदाय को ऐसे भुगतान की प्राप्ति से पूर्व पूरा कर लिया गया है ; या

(ii) बीजक जारी करना, जहां सेवाओं के लिए भुगतान बीजक जारी करने की तिथि से पूर्व अग्रिम में प्राप्त कर लिया गया था ;

(घ) उस मामले में जहां कर किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के न्यायनिर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदेय हो जाता है तो ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश की संसूचना की तिथि;

(ङ) उपधारा (3) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के मामले में उस वित्त वर्ष का अंत, जिसमें ऐसे प्रतिदाय का दावा उद्भूत होता है ;

(च) उस मामले में, जहां कर का अनंतिम रूप से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन भुगतान किया जाता है तो उसके अंतिम निर्धारण के पश्चात् कर के समायोजन की तिथि ;

(छ) प्रदायकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति के मामले में ऐसे व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तिथि; और

(ज) किसी अन्य मामले में कर के भुगतान की तिथि।

कतिपय मामलों में प्रतिदाय ।

**55.** सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ या कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य, बहुपक्षीय वित्तीत संस्थान और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम 46) के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, विनिर्दिष्ट करेगी जो कि ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो विहित की जाए, के अधीन रहते हुए उनके द्वारा प्राप्त मालों या सेवाओं या दोनों का अधिसूचित प्रदाय पर भुगतान किए गए कर के प्रतिदाय का दावा करने का हकदार होंगे ।

विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज ।

**56.** यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है और उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तिथि के साठ दिन के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उक्त धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् की तिथि से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तिथि तक ब्याज भुगतानयोग्य होगा :

परंतु जहां प्रतिदाय के लिए कोई दावा किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा दायर किसी आदेश, जो अंतिम आदेश है, से उद्भूत होता है और उसका ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप दायर आवेदन की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो परिषद् की सिफारिशों पर नौ प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, पर आवेदन की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन के समाप्ति के पश्चात् की तिथि से ऐसा प्रतिदाय करने की तिथि तक ब्याज भुगतानयोग्य होगा ।

**व्याख्या.—** इस धारा के प्रयोजनों के लिए जहां किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन समुचित अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध प्रतिदाय का आदेश किया जाता है तो अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उक्त उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश माना जाएगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

**57.** सरकार उपभोक्ता कल्याण निधि के नाम से पुकारी जाने वाली एक निधि का गठन करेगी और उस निधि में– उपभोक्ता कल्याण निधि ।

(क) धारा 54 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट राशि;

(ख) निधि में जमा की गई राशि के विनिधान से कोई आय; और

(ग) उसके द्वारा प्राप्त ऐसी अन्य धन राशियां,

ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में जमा की जाएंगी।

**58.** (1) निधि में जमा की गई सभी राशियों का सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए ऐसी रीति में उपयोग किया जाएगा, जो विहित की जाए । निधि का उपयोग ।

(2) सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निधि के संबंध में उचित और पृथक् लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखों का एक वार्षिक विवरण भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श से ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो विहित किया जाए ।

## अध्याय XII

## निर्धारण

**59.** प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन भुगतानयोग्य करों का स्वतः निर्धारण करेगा और धारा 39 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक करावधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा । स्वतः निर्धारण।

**60.** (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कराधेय व्यक्ति मालों या सेवाओं या दोनों के मूल्य का अवधारण करने में या उसको लागू कर की दर का अवधारण करने में असमर्थ है तो वह उचित अधिकारी को लिखित में अन्तिम आधार पर कर के भुगतान के कारणों को देते हुए अनुरोध करेगा और समुचित अधिकारी ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से नब्बे दिन से अपश्चात् अवधि के भीतर अनन्तिम आधार पर ऐसी दर पर या ऐसे मूल्य पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कर के भुगतान को अनुज्ञात करेगा । अनंतिम निर्धारण ।

(2) अनन्तिम आधार पर कर के भुगतान को अनुज्ञात किया जा सकेगा यदि कराधेय व्यक्ति ऐसे प्ररूप में एक बंध–पत्र जो विहित किया जाए और ऐसा प्रतिभू या ऐसी प्रतिभूति, जो समुचित अधिकारी ठीक समझे, जो कराधेय व्यक्ति को अंतिम रूप से निर्धारित कर और अन्तिम रूप से निर्धारित कर की राशि के बीच के अंतर का भुगतान करने के लिए बाध्य करती हो, निष्पादित करता है ।

(3) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश की संसूचना की तिथि से छह मास से अनधिक अवधि के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए यथा अपेक्षित ऐसी सूचना को विचार में लेने के पश्चात् अंतिम निर्धारण आदेश पारित करेगा –

परंतु इस उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि को पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए तथा आयुक्त द्वारा चार वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा ।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मालों या सेवाओं के प्रदाय या दोनों पर अन्तिम निर्धारण के अधीन भुगतानयोग्य कर, किंतु जिसका भुगतान धारा 39 की उपधारा (7) या इसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट नियत तिथि तक नहीं किया गया है, पर धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट दर पर मालों या सेवाओं या दोनों की उक्त प्रदाय के संबंध में कर का भुगतान करने की नियत तिथि के पश्चात् वास्तविक भुगतान की तिथि तक ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा चाहे ऐसी राशि का भुगतान अंतिम निर्धारण के लिए आदेश जारी करने से पूर्व या पश्चात् किया गया हो ।

(5) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन अंतिम निर्धारण के आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय का हकदार हो जाता है तो धारा 54 की उपधारा (8) के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे प्रतिदाय पर धारा 56 में यथा उपबंधित ब्याज का भुगतान किया जाएगा ।

**61.** (1) समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित ब्यौरे के सही होने का सत्यापन करने के लिए संवीक्षा करेगा और ध्यान में आई विसंगतियों, यदि कोई हों, की ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में सूचना देगा तथा उस पर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा । विवरणियों की संवीक्षा ।

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) स्पष्टीकरण के स्वीकार्य पाए जाने की दशा में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को तदनुसार सूचित किया जाएगा और इस संबंध में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

(3) समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के तीस दिन की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि, जो उसके द्वारा मंजूर की जाए, में समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने की दशा में या जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात् उस मास की विवरणी में, जिसमें विसंगति स्वीकार की गई थी, सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी कार्रवाई आरंभ कर सकेगा, जिसके अंतर्गत धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अधीन कार्रवाईयां हैं या धारा 73 या धारा 74 के अधीन कर और अन्य बकाया का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा ।

विवरणियों को दायर नहीं करने वाले का निर्धारण ।

**62.** (1) धारा 73 या धारा 74 में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति धारा 46 के अधीन नोटिस की तामील के पश्चात् भी धारा 39 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी सुसंगत सामग्री जो उपलब्ध है या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को विचार में लेने के पश्चात् और अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से उक्त व्यक्ति का कर निर्धारण करेगा तथा वित्त वर्ष, जिससे भुगतान न किए गए कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा ।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील से तीस दिन के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत कर देता है तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा किंतु धारा 47 के अधीन विलंब फीस के भुगतान या धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज का भुगतान करने का दायित्व जारी रहेगा ।

अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का निर्धारण ।

**63.** धारा 73 या धारा 74 में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी जहां कोई कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होते हुए भी रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असफल रहता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन रद्द कर दिया गया है किंतु जो कर का भुगतान करने का दायी था तो समुचित अधिकारी सुसंगत कर अवधि के लिए अपनी सर्वोत्तम जानकारी से उक्त व्यक्ति के निर्धारण के लिए अग्रसर होगा तथा वित्त वर्ष, जिससे भुगतान न किए गए कर संबंधित हैं, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा :

परंतु व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई निर्धारण आदेश नहीं किया जाएगा ।

कतिपय विशेष मामलों में संक्षिप्त निर्धारण ।

**64.** (1) समुचित अधिकारी उसकी जानकारी में किसी व्यक्ति के कर दायित्व को उपदर्शित करने वाले साक्ष्य के आने पर अपर आयुक्त् या संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा से राजस्व के हित का संरक्षण करने के लिए ऐसे व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण के लिए अग्रसर होते हुए निर्धारण आदेश जारी करेगा यदि उसके पास यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार हो कि ऐसा करने में कोई विलंब करने से राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है :

परंतु जहां कराधेय व्यक्ति, जिससे दायित्व संबंधित है, का अभिनिश्चयन नहीं किया जा सकने और ऐसा दायित्व मालों के प्रदाय से सम्बंधित होने की दशा में ऐसे मालों के प्रभारी व्यक्ति को निर्धारण का दायी कराधेय व्यक्ति समझा जाएगा और वह इस धारा के अधीन कर और देय अन्य राशि का भुगतान करने का दायी होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन के भीतर कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर या यदि स्वयंप्रेरणा से अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त यह विचार करता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है तो वह ऐसे आदेश को वापस ले लेगा और धारा 73 और धारा 74 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

## अध्याय XIII

## लेखा परीक्षा

कर प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा ।

**65.** (1) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ऐसी कालावधि, ऐसी बारम्बारता और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में लेखापरीक्षा कर सकेगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान या अपने कार्यालय में लेखापरीक्षा का संचालन कर सकेंगे ।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, लेखापरीक्षा के संचालन से कम से कम पन्द्रह कार्य दिवस पूर्व विहित रीति से सूचित किया जायेगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षा को, लेखापरीक्षा के प्रारंभ होने की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा :

परंतु जहां आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में लेखापरीक्षा तीन मास के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए छह मास की अनधिक अवधि के लिए कालावधि का विस्तार कर सकेगा ।

**व्याख्या.–** इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "लेखापरीक्षा का प्रारंभ" अभिव्यक्ति का अर्थ वह तिथि, जिस तिथि को कर प्राधिकारियों द्वारा मांगे गए अभिलेख और अन्य दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपलब्ध करा दिए जाते हैं या कारबार के स्थान पर, लेखापरीक्षा के वास्तविक आरंभ की तिथि, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हों।

(5) लेखापरीक्षा के प्रक्रम में प्राधिकृत अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकेगा,––

(i) लेखा बहियां या अन्य दस्तावेजों जो वह अपेक्षा करे, के सत्यापन के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करने ;

(ii) उसे ऐसी जानकारी, जो वह अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की तथा लेखापरीक्षा के समय पर पूर्ण करने के लिए सहायता प्रदान करने की ।

(6) लेखापरीक्षा के पूर्ण होने पर समुचित अधिकारी तीस दिन के भीतर उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसके अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई है, निष्कर्षों, उसके अधिकारों और बाध्यताओं तथा ऐसे निष्कर्षों के कारणों से सूचित करेगा ।

(7) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का भुगतान न करने का पता लगने या कम कर भुगतान किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ करेगा ।

**66.** (1) यदि संवीक्षा, जांच, अन्वेषण या उसके समक्ष किन्ही अन्य कार्यवाहियों के प्रक्रम में, सहायक आयुक्त की पदवि से नीचे के किसी अधिकारी का मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित में यह मत है कि मूल्य की सही रूप से घोषणा नहीं की गई है या लिया गया प्रत्यय सामान्य सीमाओं के भीतर नहीं है तो वह आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लिखित संसूचना द्वारा उसके अभिलेखों, जिसके अंतर्गत लेखा बहियां भी हैं, की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार, जैसा कि आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, से जांच करवाने और लेखापरीक्षा करवाने का निदेश दे सकेगा । विशेष लेखापरीक्षा ।

(2) इस प्रकार नामनिर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार नब्बे दिन की कालावधि के भीतर ऐसी लेखापरीक्षा को उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और प्रमाणित रिपोर्ट जिसमें ऐसे अन्य ब्यौरों का वर्णन, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, करते हुए उक्त सहायक आयुक्त को प्रस्तुत करेगा :

परंतु सहायक आयुक्त उसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार द्वारा किए गए आवेदन पर या किसी तात्विक और पर्याप्त कारण से उक्त कालावधि का नब्बे दिन की और कालावधि से विस्तार कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के उपबंध इस बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लेखों की लेखापरीक्षा इस अधिनियम या तत्स्मय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन की गई है ।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन विशेष लेखापरीक्षा के आधार पर एकत्रित किसी सामग्री, जिसका इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, के संबंध में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(5) उपधारा (1) के अधीन अभिलेखों की जांच और लेखापरीक्षा के खर्च जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार का पारिश्रमिक भी शामिल है, का आयुक्त द्वारा निर्धारण और भुगतान किया जाएगा तथा ऐसा निर्धारण अंतिम होगा ।

(6) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का भुगतान न करने का पता लगने या कम कर भुगतान किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ करेगा ।

## अध्यायय XIV

## निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी

निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति।

**67.** (1) जहां समुचित अधिकारी जो संयुक्त आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि–

(क) जहां किसी कराधेय व्यक्ति ने मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अपने पास रखे गए मालों के स्टॉक के संबंध में किसी संव्यवहार को छिपाया है या इस अधिनियम के अधीन उसकी हकदारी से अधिक इनपुट कर प्रत्यय का दावा किया है या वह कर अपवंचन के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन में लिप्त रहा है; या

(ख) मालों के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति या किसी भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान का स्वामी या प्रचालक ऐसे मालों को रख रहा है जिन पर कर का भुगतान नहीं किया गया है या उसने अपने लेखों या मालों को ऐसी रीति में रखा है जिससे इस अधिनियम के अधीन देय कर का अपवंचन होने की संभावना है,

तो वह लिखित में राज्य कर के किसी अधिकारी को लिखित में कराधेय व्यक्ति के कारबार या मालों के परिवहन के कारबार में लगे हुए व्यक्तियों या भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान के स्वामी या प्रचालक के किसी स्थान का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) जहां समुचित अधिकारी संयुक्त आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो के पास या तो उपधारा (1) के अधीन किए गए निरीक्षण के अनुसरण में या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि कोई माल जो जब्त के लिए दायी है या कोई दस्तावेज या बहियां या चीजें, जो उसके मत में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी, जिन्हें किसी स्थान पर छिपाकर रखा गया है तो वह राज्य कर के किसी अन्य अधिकारी को तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या ऐसे मालों, दस्तावेजों या बहियों या चीजों की तलाशी ले सकेगा और अभिग्रहण कर सकेगा :

परंतु जहां ऐसे मालों को अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है तो समुचित अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी मालों के स्वामी या अभिरक्षक पर एक आदेश तामिल कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुमति के सिवाय मालों को नहीं हटाएगा, अलग नहीं करेगा या अन्यथा उनसे संव्यवहार नहीं करेगा :

परंतु यह और कि इस प्रकार अभिग्रहण किए गए दस्तावेज या बहियां या चीजें ऐसे अधिकारी द्वारा केवल तब तक प्रतिधारित की जाएंगी जब तक वह उनकी परीक्षा के लिए और इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के लिए आवश्यक हैं ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट दस्तावेज, बहियां या चीजें या कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज, बहियां या चीजें जिन्हें इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन नोटिस जारी करने के लिए आधार नहीं बनाया गया है, को ऐसे व्यक्ति को उक्त नोटिस जारी करने की तिथि से तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर वापस कर दिया जाएगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को किसी परिसर के दरवाजे को सील करने की या तोड़ने की या किसी अलमारी, इलेक्ट्रोनिक युक्ति, बाक्स, संदूक, जिसमें व्यक्ति के कोई माल, लेखें, रजिस्टर या दस्तावेजों को छिपाए जाने का संदेह है, जहां ऐसे परिसर, अलमारी, इलेक्ट्रोनिक युक्ति, बाक्स, संदूक तक उसके पहुंच को रोका जाता है, वहां उन्हें तोड़कर खोल सकेगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(5) वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से उपधारा (2) के अधीन किन्हीं दस्तावेजों को अभिग्रहण किया गया है, उनकी प्रतियां बनाने या उनसे प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थित में ऐसे स्थान और ऐसे समय जो ऐसा अधिकारी इस निमित्त उपदर्शित करे, उद्धरण लेने का हकदार होगा, सिवाय जहां ऐसी प्रतियां बनाना या ऐसा उद्धरण लेना, समुचित अधिकारी की राय में, जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा ।

(6) उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार अभिग्रहण किया गया माल अनन्तिम आधार पर बंधपत्र निष्पादित करने पर और क्रमशः ऐसी रीति और ऐसे मात्रा की प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर, जो विहित की जाए, लागू कर, ब्याज और भुगतानयोग्य शास्ति, जैसी भी स्थिति हो, के भुगतान पर निर्मुक्त किया जा सकेगा ।

(7) जहां उपधारा (2) के अधीन किन्हीं मालों का अभिग्रहण किया गया है और मालों के अभिग्रहण से छह मास की अवधि के भीतर उनके संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है तो मालों को उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा जिसके कब्जे से उनका अभिग्रहण किया गया था :

परंतु पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर छह मास की अवधि को समुचित अधिकारी द्वारा अधिकतम छह मास की और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा ।

(8) सरकार, शीघ्र नष्ट होने या खतरनाक या, समय के साथ मालों के मूल्य में अवक्षयण होने वाली प्रकृति के मालों या मालों के लिए भंडारण स्थान की कमी या किन्हीं अन्य सुसंगत विचारणों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा मालों या मालों के ऐसे वर्ग को, जिसका समुचित अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण के पश्चात् यथासंभव शीघ्र निपटान किया जाएगा, निर्दिष्ट कर सकेगी ।

(9) जहां उपधारा (8) के अधीन विनिर्दिष्ट माल होते हुए किसी माल का, जिनको समुचित अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण किया गया है, वह ऐसे मालों की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक सूची तैयार करेगा ।

(10) तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के उपबंध, जहां तक हो सके इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि उक्त संहिता की धारा 165 उपधारा (5) में "मजिस्ट्रेट" शब्द, जहां–कहीं यह आता है, के स्थान पर "आयुक्त" शब्द प्रतिस्थापित कर दिया गया था ।

(11) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण है कि किसी व्यक्ति ने कर का अपवंचन किया है या वह किसी कर के भुगतान के अपवंचन का प्रयास कर रहा है, वह कारणों को लेखाबद्ध करते हुए उसके समक्ष प्रस्तुत ऐसे व्यक्ति के लेखों, रजिस्टरों या दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा और उनकी रसीद देगा और उन पर इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अभियोजन के लिए कार्यवाहियों के संबंध में जब तक आवश्यक हो, उन्हें रोके रखेगा।

(12) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के सम्बन्ध में कर बीजक या प्रदाय का बिल के निर्गमन की जाँच करने के उद्देश्य से उसके कारबार परिसर से माल या सेवाओं या दोनों का क्रय कर सकेगा और ऐसे अधिकारी द्वारा इस प्रकार क्रय किए गए मालों के वापस करने पर ऐसा कराधेय व्यक्ति या कारबार परिसर का कोई प्रभारी व्यक्ति इस प्रकार भुगतान की गई राशि का पूर्व में जारी कर बीजक या बिल को रद्द करने के पश्चात् प्रतिदाय करेगा ।

संचलन में मालों का निरीक्षण।

**68.** (1) सरकार ऐसी राशि से अधिक मूल्य के, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, मालों के किसी प्रेषण करने वाले वाहन के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेजों और ऐसी युक्तियों की, जो विहित की जाए, रखे जाने की अपेक्षा कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन वहन किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों के ब्यौरों को ऐसी रीति में विधिमान्य किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(3) जहां उपधारा (1)में निर्दिष्ट किसी वाहन को किसी स्थान पर समुचित अधिकारी द्वारा रोक लिया जाता है तो वह उक्त वाहन के प्रभारी व्यक्ति से उक्त उपधारा के अधीन विहित दस्तावेजों और युक्तियों का सत्यापन करने के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और उक्त व्यक्ति दस्तावेजों और युक्तियों के प्रस्तुत करने का दायी होगा तथा मालों के निरीक्षण करवाने की भी स्वीकृति देगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

गिरफ्तार करने की शक्ति ।

**69.** (1) जहां आयुक्त के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किया है जो उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) या (ii) या उपधारा (2)के अधीन दंडनीय है तो वह आदेश द्वारा, राज्य कर के किसी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत करेगा ।

(2) जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तो व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार से अवगत करवाएगा और उसे चौबीस घंटें के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए,–

(क) जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी जमानत मंजूर की जाएगी या जमानत के व्यतिक्रम में मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा के लिए भेजा जाएगा ;

(ख) असंज्ञेय और जमानतीय अपराध की दशा में, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर या अन्यथा निर्मुक्त करने के प्रयोजन के लिए उपायुक्त या सहायक आयुक्त के पास वहीं शक्तियां होंगी और वह उन्ही उपबंधों के अधीन रहेगा जिनके अधीन किसी पुलिस स्टेशन का प्रभारी व्यक्ति होता है।

व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन करने की शक्ति ।

**70.** (1) इस अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी को किसी व्यक्ति को समन करने की, जिसकी उपस्थिति को किसी जांच में वह साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है, उसी रीति में शक्ति सन्निहित होगी जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5), के उपबन्धों के अधीन किसी सिविल न्यायालय को दी गई है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी जांच को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45), की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ के भीतर "न्यायिक कार्यवाहियां" समझा जाएगा।

कारबार परिसरों तक पहुंच।

**71.** (1) समुचित अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी जो संयुक्त आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के किसी स्थान तक, लेखाबहियां, दस्तावेजों, कंप्यूटरों, कम्प्यूटर प्रोग्रामों, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, चाहे किसी कंप्यूटर में प्रतिष्ठापित हो या अन्यथा, अपेक्षित अन्य ऐसी चीजों जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हों, लेखापरीक्षा, संवीक्षा, सत्यापन और जांच के लिए, जो राजस्व के हितार्थ आवश्यक हो, तक पहुंच होगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्थान का प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति, मांग किए जाने पर, उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को या समुचित अधिकारी द्वारा तैनात लेखापरीक्षा दल या धारा 66 के अधीन नामनिर्दिष्ट लागत लेखाकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट को–

(i) ऐसे अभिलेख, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया या रखा गया है और समुचित अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, घोषित किया गया है ;

(ii) तुलनपत्र या उसका समतुल्य;

(iii) वार्षिक वित्तीय लेखे, सम्यक् रूप से लेखापरीक्षित, जहां अपेक्षित हो ;

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18), की धारा 148 के अधीन लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो ;

(v) आय–कर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 43), की धारा 44कख के अधीन आय–कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो ; और

(vi) कोई अन्य सुसंगत अभिलेख,

अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार द्वारा संवीक्षा करने के लिए उस दिन से, जब ऐसी मांग की गई थी, पन्द्रह कार्य दिवस से अनधिक अवधि के भीतर या ऐसी और अधिक अवधि, जो उक्त अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा अनुमत की जाए, उपलब्ध कराएगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

समुचित अधिकारियों की सहायता के लिए अधिकारी।

**72.** (1) पुलिस, रेल, सीमाशुल्क के सभी अधिकारियों और भू–राजस्व के संग्रहण में लगे हुए उन अधिकारियों, जिनमें ग्रामीण अधिकारी, केंद्रीय कर के अधिकारी और संघ राज्य क्षेत्र कर के अधिकारी शामिल हैं, इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समुचित अधिकारियों की सहायता करेंगे ।

(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा, अधिकारियों के किसी अन्य वर्ग को इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जब आयुक्त द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए, समुचित अधिकारियों को सहयोग प्रदान करने हेतु सशक्त करेगी और अपेक्षा करेगी ।

## अध्याय XV

## मांग और वसूली

कपट या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन या छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से भुगतान न किये गये कर या कम भुगतान कर या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का निर्धारण ।

**73.** (1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या कर अपवंचन के लिए कर तथ्यों को छिपाए जाने से भिन्न किसी कारण से किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया या उसका उपयोग किया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस तामील करेगा कि क्यों न वह नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि के साथ धारा 50 के अधीन उस पर भुगतानयोग्य ब्याज और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उदग्रहणीय शास्ति का भुगतान करे ।

(2) समुचित अधिकारी, उपधारा (10) के अधीन आदेश जारी करने के लिए विनिर्दिष्ट समय–सीमा से कम से कम तीन मास पूर्व उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई नोटिस जारी किया गया है तो समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन आने वाली ऐसी कालावधियों से भिन्न किन्हीं कालावधियों में भुगतान न किए गए कर या कम भुगतान किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए या उपभोग किये गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण, कर से प्रभार्य व्यक्ति पर तामील कर सकेगा।

(4) ऐसे विवरण की तामील को ऐसे व्यक्ति पर, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधि से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए प्रयुक्त आधार वही हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है, नोटिस की तामील समझा जाएगा।

(5) कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन नोटिस की तामील या उपधारा (3) के अधीन विवरण पूर्व धारा 50 के अधीन उस पर भुगतानयोग्य ब्याज के साथ कर की राशि का अपने स्वयं के अवधारण पर या उचित अधिकारी के अवधारण पर कर का भुगतान कर सकेगा और उचित अधिकारी को ऐसे भुगतान की लिखित रूप में सूचना देगा।

(6) समुचित अधिकारी, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, इस प्रकार भुगतान किए गए कर या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन भुगतानयोग्य भुगतान किए गए कर अथवा किसी शास्ति के बारे में, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन नोटिस या उपधारा (3) के अधीन विवरण तामील नहीं करेगा।

(7) जहां समुचित अधिकारी की यह राय है कि उपधारा (5) के अधीन भुगतानयोग्य राशि वास्तविक रूप से भुगतानयोग्य राशि से कम है तो वह ऐसी राशि के संबंध में, जो वास्तविक रूप से भुगतानयोग्य राशि से कम होती है, के लिए उपधारा (1) में यथा उपबंधित नोटिस जारी करेगा ।

(8) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कर से प्रभार्य कोई व्यक्ति धारा 50 के अधीन भुगतानयोग्य ब्याज के साथ उक्त कर का कारण बताओ नोटिस जारी करने के तीस दिन के भीतर भुगतान कर देता है, तो कोई शास्ति भुगतानयोग्य नहीं होगी और उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा ।

(9) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् कर, ब्याज और कर के दस प्रतिशत के समतुल्य राशि या दस हजार रूपए, जो भी उच्चतर हो, के बराबर शास्ति निर्धारित करेगा जो ऐसे व्यक्ति द्वारा देय हो और एक आदेश जारी करेगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(10) समुचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन आदेश को उस वित्त वर्ष, जिसके लिए कर भुगतान नहीं किया गया था या कम भुगतान किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया था या गलत उपयोग किया गया था या त्रुटिवश प्रतिदाय प्राप्त किया गया था, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा ।

(11) उपधारा (6) या उपधारा (8) में दी गई किसी बात के होते हुए भी उपधारा (9) के अधीन शास्ति वहां भुगतानयोग्य होगी जहां स्वतः निर्धारित कर या कर के रूप में एकत्रित किसी राशि को ऐसे भुगतानयोग्य कर की नियत तिथि से तीस दिन की कालावधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया है ।

कपट या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन या छिपाने के कारण से भुगतान न किए गए कर या कम भुगतान किए गए कर या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का निर्धारण ।

**74.** (1) जहां उचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या कर अपवंचन के लिए तथ्यों को छिपाए जाने के कारण से किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया या उसका उपयोग किया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस तामील करेगा कि क्यों न वह नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि के साथ धारा 50 के अधीन उस पर भुगतानयोग्य ब्याज और नोटिस में निर्दिष्ट कर की राशि के समतुल्य राशि की शास्ति का भुगतान करे।

(2) समुचित अधिकारी, उपधारा (10) में आदेश जारी करने के लिए, विनिर्दिष्ट समय–सीमा से कम से कम छह मास पूर्व उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई नोटिस जारी किया गया तो, समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न किन्हीं कालावधियों में भुगतान न किए गए कर या कम भुगतान किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए या उपभोग किये गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण, कर से प्रभार्य व्यक्ति पर तामील कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन विवरण की तामील को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (1) के अधीन आने वाली ऐसी कर अवधियों के लिए प्रयुक्त आधार, कपट या कोई मिथ्या कथन या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर तथ्यों को छिपाए जाने के सिवाय, वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है, धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस की तामील समझा जाएगा ।

(5) कर से प्रभार्य व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन नोटिस की तामील से पूर्व, धारा 50 के अधीन उसके द्वारा भुगतानयोग्य ब्याज के साथ कर की राशि का अपने स्वयं के अवधारणा पर या समुचित अधिकारी के अवधारणा पर कर तथा ऐसे कर पर पंद्रह प्रतिशत के बराबर शास्ति का भुगतान कर सकेगा और उचित अधिकारी को ऐसे भुगतान की लिखित रूप में सूचना देगा ।

(6) समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, इस प्रकार भुगतान किए गए कर या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन भुगतानयोग्य किसी शास्ति के लिए उपधारा (1) के अधीन नोटिस की तामील नहीं करेगा ।

(7) जहां समुचित अधिकारी की यह राय है कि उपधारा (5) के अधीन भुगतान की गई राशि वास्ताविक रूप से भुगतानयोग्य राशि से कम है, तो वह ऐसी राशि के संबंध में, जो वास्तविक रूप से भुगतानयोग्य राशि से कम होती है, के लिए उपधारा (1) में यथा उपबंधित नोटिस जारी करेगा ।

(8) जहां उपधारा (1) के अधीन कर से प्रभार्य कोई व्यक्ति धारा 50 के अधीन भुगतानयोग्य ब्याज के साथ उक्त कर का और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का नोटिस जारी करने के तीस दिन के भीतर भुगतान कर देता है तो उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा ।

(9) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से देय कर की राशि, ब्याज और शास्ति का अवधारण करेगा और आदेश जारी करेगा ।

(10) समुचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन आदेश को उस वित्त वर्ष, जिसके लिए कर भुगतान नहीं किया गया था या कम भुगतान किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया था या गलत उपयोग किया गया था या त्रुटिवश प्रतिदाय प्राप्त किया गया था, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि से पांच वर्ष के भीतर या गल्त प्रतिदाय की तिथि से पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(11) जहां कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (9) के अधीन आदेश की तामील की गई है, धारा 50 के अधीन उस पर भुगतान ब्याज के साथ कर और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति का आदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर भुगतान कर देता है, तो ऐसे नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा ।

**व्याख्या 1.–** धारा 73 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(i) "उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियां" अभिव्यक्ति में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी ;

(ii) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का भुगतान करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी किया जाता है और ऐसी कार्यवाहियों को धारा 73 या धारा 74 के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध पूरा कर लिया गया है तो धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 130 के अधीन शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा ।

**व्याख्या 2.–** इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "छिपाना" अभिव्यक्ति का अर्थ ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिन्हें कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्या दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुतत करने में असफल होगा।

कर अवधारण के संबंध में साधारण उपबंध।

**75.** (1) जहां किसी नोटिस की तामील या आदेश के जारी करने पर किसी न्यायालय या अपील अधिकरण के किसी आदेश द्वारा रोक लगा दी जाती है तो ऐसी रोक की अवधि को, धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) तथा धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में, जैसी भी स्थिति हो, विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने से अपवर्जित किया जाएगा ।

(2) जहां कोई अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन जारी नोटिस इस कारण से मान्य नहीं है कि कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या कर अपवंचन के लिए तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं होता है जिसको नोटिस जारी किया गया था, तो समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतानयोग्य कर का यह मानते हुए अवधारण करेगा कि धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया गया था ।

(3) जहां अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में किसी आदेश को जारी करने की अपेक्षा है, तो ऐसा आदेश उक्त निर्देश की संसूचना की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा ।

(4) सुनवाई का अवसर वहां प्रदान किया जाएगा जहां कर या शास्ति से प्रभार्य व्यक्ति का लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होता है या जहां ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निर्णय अपेक्षित है ।

(5) समुचित अधिकारी यदि कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारण उपदर्शित किया जाता है तो उक्त व्यक्ति को समय प्रदान करेगा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए सुनवाई को स्थगित कर देगा :

परंतु ऐसा कोई स्थगन कार्यवाहियों के दौरान किसी व्यक्ति को तीन बार से अधिक के लिए प्रदान नहीं किया जाएगा।

(6) समुचित अधिकारी, अपने आदेश में, सुसंगत तथ्यों तथा अपने निर्णय के आधार का अधिकथन करेगा।

(7) आदेश में मांग किए गए कर, ब्याज और शास्ति की राशि नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगी और नोटिस में विनिर्दिष्ट आधारों से भिन्न आधारों पर किसी मांग की पुष्टि नहीं की जाएगी ।

(8) जहां अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय समुचित अधिकारी द्वारा अवधारित कर की राशि को परिवर्तित करता है, तो ब्याज और शास्ति की राशि, इस प्रकार परिवर्तित कर की राशि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार परिवर्तित होगी ।

(9) कम भुगतान किए गए या भुगतान नहीं किए गए कर पर ब्याज भुगतानयोग्य होगा चाहे कर दायित्व का अवधारण करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो या नहीं ।

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL CLARITY

(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा यदि धारा 73 की उपधारा (10) में यथा उपबंधित तीन वर्ष के भीतर या धारा 74 की उपधारा (10) में यथा उपबंधित पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है ।

(11) कोई मुद्दा, जिस पर अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अपना निर्णय लिया गया है जो किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में राजस्व के हित के प्रतिकूल है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय के विरुद्ध कोई अपील लंबित है तो अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण के निर्णय की तिथि या अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तिथि के बीच की कालावधि को धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट कालावधि की संगणना करने में वहां अपवर्जित किया जाएगा जहां कार्यवाहियां उक्त धाराओं के अधीन कारण बताओ सूचना जारी करने के माध्यम से प्रारंभ की गई हैं ।

(12) धारा 73 या धारा 74 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्वतः निर्धारित कर की कोई राशि पूर्णत या अंशतः भुगतान के बिना रहती है या ऐसे कर पर भुगतानयोग्य ब्याज की कोई राशि भुगतान के बिना रहती है तो उसकी धारा 79 के उपबंधों के अधीन वसूली की जाएगी ।

(13) जहां धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है तो उसी कृत्य या लोप के लिए उसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

संगृहित किंतु सरकार को भुगतान न किया गया कर ।

**76.** (1) अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय के किसी आदेश या निदेश में या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गई प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में किसी राशि का संग्रह किया है और उक्त राशि का सरकार को भुगतान नहीं किया है, तो वह तुरंत इस बात के होते हुए कि प्रदायों, जिनके संबंध में ऐसी राशि का संग्रह किया गया है, कराधेय है या नहीं, उक्त राशि का सरकार को भुगतान करेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी राशि का सरकार को भुगतान किया जाना अपेक्षित है और जिसका भुगतान नहीं किया गया है, तो समुचित अधिकारी ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए दायी व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट उक्त राशि को उसके द्वारा सरकार को भुगतान क्यों नहीं किया जाना चाहिए तथा नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि के समतुल्य शास्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उस पर अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिए ।

(3) समुचित अधिकारी उस व्यक्ति द्वारा, जिस पर उपधारा (2) के अधीन नोटिस की तामील की गई है, के अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से देय राशि का निर्धारण करेगा और तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अवधारित राशि का भुगतान करेगा ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्टि व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने के अतिरिक्त उस पर धारा 50 के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर उसके द्वारा संगृहित राशि की तिथि से सरकार को उसके द्वारा ऐसी राशि का भुगतान करने की तिथि तक ब्याज का भुगतान करने का भी दायी होगा।

(5) वहां सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा जहां ऐसे व्यक्ति से, जिसको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होता है ।

(6) समुचित अधिकारी नोटिस जारी करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा।

(7) जहां आदेश जारी करने पर न्यायालय या अपील अधिकरण के किसी आदेश द्वारा रोक लगाई जाती है तो ऐसी रोक की कालावधि को एक वर्ष की कालावधि की संगणना करने में अपवर्जित किया जाएगा।

(8) समुचित अधिकारी, अपने आदेश में, अपने निर्णय के सुसंगत तथ्यों तथा आधार को अधिकथित करेगा।

(9) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन सरकार को भुगतान की गई राशि का उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रदायों के संबंध में व्यक्ति द्वारा भुगतानयोग्य कर, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(10) जहां उपधारा (9) के अधीन समायोजन के पश्चात् कोई आधिक्य शेष बचता है, तो ऐसे आधिक्य की राशि का या तो निधि में प्रत्यय किया जाएगा या उस व्यक्ति को प्रतिदाय किया जाएगा जिसने ऐसी राशि को चुकाया है।

(11) वह व्यक्ति, जिसने राशि को चुकाया है, धारा 54 के उपबंधों के अनुसार उसका प्रतिदाय करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

गलती से संगृहित किया गया और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को भुगतान किया गया कर।

**77.** (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे उसके द्वारा अंतःराज्यीय प्रदाय समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर केंद्रीय कर और राज्य कर भुगतान किया है, किंतु जिसे पश्चात्वर्ती रूप से अंतर–राज्य प्रदाय अभिनिर्धारित किया गया है, को इस प्रकार भुगतान की गई राशि का ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्रतिदाय किया जाएगा ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा अंतर्राज्यिक प्रदाय समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर एकीकृत कर भुगतान किया है, किन्तु जिसे पश्चात्वर्ती रूप से अंतःराज्यीय प्रदाय अभिनिर्धारित किया गया है, से, यथास्थिति, भुगतानयोग्य राज्य कर की राशि पर ब्याज का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं होगी ।

वसूली कार्यवाहियों का आरंभ किया जाना।

**78.** इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में कराधेय व्यक्ति द्वारा भुगतानयोग्य किसी राशि को ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की तामील की तिथि से तीन मास की कालावधि के भीतर भुगतान किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर वसूली कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी :

परंतु जहां उचित अधिकारी राजस्व हित में ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए, उक्त कराधेय व्यक्ति से उसके द्वारा तीन मास से कम ऐसी अवधि जो विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

कर की वसूली।

**79.** (1) जहां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को भुगतानयोग्य किसी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो समुचित अधिकारी निम्नलिखित एक या अधिक ढंगों से राशि को वसूल कर सकेगा, अर्थात्:–

(क) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को देय किसी राशि को जिस पर उसका स्वामित्व हो और उचित अधिकारी या ऐसे अन्य किसी विनिर्दिष्ट आधिकारी के नियंत्रण में हो, से इस प्रकार कटौती कर सकेगा या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से उस राशि की कटौती करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(ख) उचित अधिकारी भुगतानयोग्य राशि की वसूली या अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से उस राशि की वसूली की अपेक्षा उस व्यक्ति के किन्हीं मालों जो समुचित या ऐसा अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियत्रंण में हो, को निरुद्ध और विक्रय करके कर सकेगा।

(ग) (i) उचित अधिकारी, लिखित सूचना के द्वारा, ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को जिससे किसी ऐसे व्यक्ति को कोई धन देय है या हो सकता है या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जो ऐसे व्यक्ति के लिए या उसके मद्दे कोई धन धारण करता है या पश्चातवर्ती रूप में धारण कर सकेगा, निदेश दे सकेगा कि वह सरकार को, विनिर्दिष्ट रीति से धन देय होने पर या धारण करने पर तुरन्त नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जो धन देय होने या धारण करने के पूर्व नहीं हो उतना धन जितना इस अधिनियम के अधीन उस व्यक्ति से देय राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त हो या कुल धन जब वह उक्त राशि के बराबर या उससे कम हो, जमा कर दें;

(ii) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपखंड (i) के अधीन नोटिस जारी किया है ऐसे नोटिस का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और विशिष्टतया, जहां ऐसा नोटिस किसी डाकघर, बैंककारी कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी किया जाता है तो, किसी पासबुक, जमा रसीद, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज को, किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या भुगतान किए जाने से पूर्व किसी प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, इस बात के होते हुए भी कि प्रतिकूल कोई नियम, पद्धति या अपेक्षा है, को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा

(iii) व्यक्ति जिसे उपखंड (i) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, सरकार को उसके अनुसरण में भुगतान करने में असफल रहने की दशा में, वह नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और उसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी परिणाम लागू होंगे;

COURT BOOK

(iv) उपखंड (i) के अधीन नोटिस जारी करने वाला अधिकारी, किसी भी समय, ऐसे नोटिस का संशोधन कर सकेगा या प्रतिसंहरण कर सकेगा या नोटिस के अनुसरण में किसी भुगतान के लिए समय का विस्तार कर सकेगा ;

(v) उपखंड (i) के अधीन जारी नोटिस की अनुपालन में कोई भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति को व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन भुगतान करने वाला समझा जाएगा और ऐसे भुगतान सरकार के पास जमा किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व का रसीद में विनिर्दिष्ट राशि की सीमा तक अच्छा और पर्याप्त निर्वहन समझा जाएगा;

(vi) व्यतिक्रमी व्यक्ति के किसी दायित्व का उपखंड (i) के अधीन जारी नोटिस की तामील के पश्चात् निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति निर्वहन किए गए दायित्व के सीमा तक या व्यतिक्रमी के कर, ब्याज और शास्ति के दायित्व की सीमा तक इनमें से जो भी कम हो, व्यक्तिगत रूप से सरकार के प्रति दायी होगा;

(vii) जहां किसी व्यक्ति पर उपखण्ड (i) के अधीन नोटिस तामील किया गया है वहां नोटिस जारी करने वाले अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि मांग धन या उसका कोई भाग व्यतिक्रम वाले व्यक्ति, को देय नहीं था, या जिस समय उस पर नोटिस की तामील की गई थी उस समय ऐसे व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से कोई धन उस पर धारित नहीं था, और मांगा गया धन या उसका कोई भाग ऐसे व्यक्ति को देय होने को या ऐसे व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से ऐसे व्यक्ति का कोई धन उस पर धारित होने की संभावना नहीं है, तो इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात से ऐसे व्यक्ति द्वारा सरकार को यथास्थिति ऐसा कोई धन या उसके किसी भाग का भुगतान करने की अपेक्षा किया जाना नहीं समझा जाएगा;

(घ) समुचित अधिकारी, इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति की या उसके नियंत्रणाधीन किसी चल या अचल संपत्ति को भुगतनार्थ जब्त कर सकेगा और उसे तब तक निरुद्ध कर सकेगा जब तक कि भुगतानयोग्य राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है और उक्त देय राशि का कोई भाग या जब्त संपति की लागत या संपत्ति को रखने की लागत अगले तीस दिन की कालावधि के पश्चात् भी भुगतान किए बिना रहती है तो वह उक्त संपत्ति का विक्रय कर सकेगा तथा ऐसे विक्रय के आगमों से भुगतानयोग्य राशि को चुकाया जाएगा तथा आधिक्य प्राप्त राशि को ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाएगा ;

(ङ) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति से बकाया राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र तैयार करेगा और इसे उस जिले के कलक्टर या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को भेजेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति की संपत्ति है या जहां वह निवास करता है या अपना कारबार करता है और उक्त कलक्टर या उक्त अधिकारी, ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर, ऐसे व्यक्ति से उसके अधीन विनिर्दिष्ट राशि को वसूल करने के लिए अग्रसर होगा मानो कि वह भू–राजस्व का बकाया था ;

(च) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) में दी गई किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी समुचित मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन दायर कर सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से उसके अधीन विनिर्दिष्ट राशि को वसूल करने के लिए ऐसे अग्रसर होगा मानो यह उसके द्वारा अधिरोपित कोई जुर्माना था ;

(2) जहां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या इसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन निष्पादित कोई बंधपत्र या अन्य लिखित यह उपबंध करता है कि ऐसे लिखित के अधीन बकाया किसी राशि को उपधारा (1) में अधिकथित रीति में वसूल किया जा सकता है, तो वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राशि उस उपधारा के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाएगी ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(3) जहां कर, ब्याज या शास्ति की कोई राशि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को देय है और जो भुगतान किए बिना रहती है, तो केन्द्रीय कर का समुचित अधिकारी उक्त कर बकाया की वसूली के प्रक्रम में उक्त व्यक्ति से राशि की ऐसी वसूली कर सकता है मानो वह केन्द्रीय कर का बकाया थी और इस प्रकार वसूल की गई राशि का सरकार के खाते में जमा करेगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन वसूल की गई राशि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को देय राशि से कम है, तो संबंधित सरकारों के खाते में राशि का जमा प्रत्येक ऐसी सरकार को देय राशि के अनुपात में किया जाएगा ।

कर और अन्य राशि का किस्तों में भुगतान ।

**80.** किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा दायर किए गए आवेदन पर, आयुक्त कारणों को लेखबद्ध करते हुए भुगतान के लिए समय का विस्तार कर सकेगा या इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी विवरणी में स्वतः निर्धारित दायित्व के अनुसार बकाया राशि से भिन्न किसी राशि के भुगतान को धारा 50 के अधीन ब्याज के भुगतान के अधीन रहते हुए और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए चौबीस से अनधिक मासिक किस्तों में भुगतान करने के लिए अनुमति दे सकेगा :

परंतु जहां किसी नियत तिथि को किसी एक किस्त के भुगतान में कोई व्यतिक्रम होता है तो ऐसी तिथि को देय शेष राशि बकाया हो जाएगी और तुरंत देय होगा तथा किसी और नोटिस की ऐसे व्यक्ति पर तामील किए बिना, वसूली का दायी होगा ।

कतिपय मामलों में संपत्ति अंतरण का शून्य होना।

**81.** जहां कोई व्यक्ति, उससे किसी राशि के देय हो जाने के पश्चात्, उसकी या उसके कब्जे की किसी संपत्ति पर कोई प्रभार सृजित करता है या उससे विक्रय, बंधक रखने, विनिमय या किसी अन्य विधि से अंतरण चाहे, जो भी हो, द्वारा अपने किसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में सरकारी राजस्व पर कपट करने के आशय से करता है तो ऐसा प्रभार या अंतरण उक्त व्यक्ति द्वारा भुगतानयोग्य किसी कर या किसी अन्य राशि के संबंध में कोई दावा अमान्य हो जाएगाः

परंतु यह कि ऐसा प्रभार या अंतरण अमान्य नहीं होगा यदि वह पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भावपूर्वक किया गया हो या इस अधिनियम के अधीन ऐसी लंबित कार्यवाहियों, के नोटिस के बिना उक्त व्यक्ति द्वारा देय कर या किसी अन्य राशि के लिए किया गया हो या समुचित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से किया जाता हो।

कर का संपत्ति पर पहला प्रभार होना ।

**82.** दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 31) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, तत्समय लागू किसी अन्य विधि में दी गई किसी अन्य बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर, ब्याज या शास्ति के लेखे, भुगतानयोग्य कोई राशि, जिसके लिए वह सरकार को भुगतान करने का दायी है, का ऐसे कराधेय व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर पहला प्रभार होगा ।

कतिपय मामलों में राजस्व के संरक्षण के लिए अनन्तिम कुर्की ।

**83.** (1) जहां धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 67 या धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लंबन के दौरान आयुक्त की यह राय है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा अन्तिम रूप से ऐसे कराधेय व्यक्ति की संपत्ति, जिसमें बैंक खाता भी शामिल है, की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कुर्की कर सकेगा ।

(2) ऐसी प्रत्येक अनन्तिम कुर्की का उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तिथि से एक वर्ष की कालावधि की समाप्ति के बाद प्रभाव नहीं होगा ।

कतिपय वसूली कार्यवाहियों का जारी रहना और विधिमान्यकरण।

**84.** जहां इस अधिनियम के अधीन भुगतानयोग्य किसी कर, शास्ति, ब्याज या किसी अन्य राशि (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "सरकारी देय" कहा गया है), के संबंध में किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को किसी नोटिस की तामील की जाती है और ऐसे सरकारी देयों के संबंध में कोई अपील या पुनरीक्षण आवेदन दायर किया जाता है या कोई अन्य कार्यवाहियां संस्थित की जाती है तब–

(क) जहां ऐसे सरकारी देयों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में बढ़ा दिया जाता है तो आयुक्त कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को उस राशि के संबंध में जिसके द्वारा ऐसे सरकारी देय को बढ़ा दिया जाता है, की वसूली के लिए दूसरा मांग नोटिस जारी करेगा और ऐसे सरकारी देय के संबंध में कोई वसूली कार्यवाहियां, जो उस पर तामील किये गये मांग के नोटिस में आती हैं, ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व किसी नए मांग नोटिस की तामील के बिना उस प्रक्रम से जारी रहेंगी, जिस पर ऐसी कार्यवाहियां ऐसे निपटान के ठीक पूर्व थी ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) जहां ऐसे सरकारी देयों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में कम कर दिया जाता है तो,–

(i) आयुक्त के लिए कराधेय व्यक्ति पर मांग के नए नोटिस की तामील करना आवश्यक नहीं होगा ;

(ii) आयुक्त ऐसी कमी की उसे और समुचित प्राधिकारी, जिसके पास वसूली कार्यवाहियां लंबित हैं, को सूचना देगा ;

(iii) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व उस पर तामील की गई मांग के आधार पर संस्थित कोई वसूली कार्यवाहियां इस प्रकार कम की गई राशि के संबंध में उसी प्रक्रम से, जिस पर ऐसी कार्यवाहियां ऐसे निपटान से ठीक पूर्व थी, जारी रहेंगी ।

## अध्याय XVI

## कतिपय मामलों में भुगतान का दायित्व

कारबार के अंतरण की दशा में दायित्व।

**85.** (1) जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के लिए दायी है, अपने कारबार का पूर्णतया या भागतः विक्रय, उपहार, पट्टा, इजाजत और अनुज्ञप्ति, भाड़ा या किसी अन्य रीति, चाहे जो भी हो, अंतरण करता है तो कराधेय व्यक्ति और वह व्यक्ति, जिसको इस प्रकार कारबार का अंतरण किया गया है, संयुक्त रूप से और पृथक रूप से पूर्णतया या ऐसे अंतरण के परिमाण तक कराधेय व्यक्ति से ऐसे अंतरण तक देय कर, ब्याज या किसी अन्य शास्ति, चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे अंतरण से पूर्व किया गया हो किंतु जो भुगतान के बिना रहती है या जिसका तत्पश्चात् अवधारण किया गया है, के लिए दायी होगा ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अंतरिती ऐसे कारबार को स्वयं के नाम से या किसी अन्य के नाम से चलाता है, तो वह ऐसे अंतरण की तिथि से उसके द्वारा प्रदाय किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों के लिए कर का भुगतान करने और यदि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है तो विहित समय के भीतर अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए आवेदन करने का, दायी होगा ।

अभिकर्ता और प्रधान व्यक्ति का दायित्व ।

**86.** जहां कोई अभिकर्ता अपने प्रधान व्यक्ति के निमित्त कराधेय वस्तुओं की प्रदाय करता है या उन्हें प्राप्त करता है तो ऐसा अभिकर्ता और उसका प्रधान व्यक्ति, संयुक्त रूप से और पृथकतः, इस अधिनियम के अधीन ऐसे मालों पर भुगतानयोग्य कर का भुगतान करने के लिए दायी होंगे।

कंपनियों के समामेलन या विलयन की दशा में दायित्व।

**87.** (1) जब दो या अधिक कंपनियों का किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्यथा के निर्णय के अनुसरण में समामेलन या विलयन होता है और निर्णय का आदेश किए जाने की तिथि के पूर्व से प्रभावी होना है तथा दो या उससे अधिक ऐसी कंपनियों ने एक दूसरे को उस तिथि से प्रारंभ होने वाली अवधि से आदेश के प्रभावी होने की तिथि के बीच मालों या सेवाओं की या दोनों को प्रदाय किया है या मालों को या सेवाओं को या दोनों को प्राप्त किया है तब प्रदाय और प्राप्ति के ऐसे संव्यवहारों को संबंधित कंपनियों के प्रदाय या प्राप्ति आवर्त में सम्मिलित किया जाएगा और वे तद्नुसार कर का भुगतान करने के दायी होंगे ।

(2) उक्त आदेश में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसी दो या अधिक कंपनियों को उक्त आदेश की तिथि तक की अवधि के लिए भिन्न कंपनियां समझा जाएगा और उक्त कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उक्त आदेश की तिथि से रद्द किया जाएगा ।

परिसमापन के अधीन कंपनियों की दशा में दायित्व।

**88.** (1) जब किसी कंपनी को किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेशों के अधीन या अन्यथा, परिसमाप्त किया जा रहा है, तो कंपनी की किन्हीं परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए परिसमापक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "परिसमापक" निर्दिष्ट किया गया है), अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर, आयुक्त को अपनी नियुक्ति की सूचना देगा ।

(2) आयुक्त, ऐसी जांच करने के पश्चात् या ऐसी सूचना मंगाने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, उस तिथि से तीन मास के भीतर, जब वह परिसमापक की नियुक्ति की सूचना प्राप्त करता है, परिसमापक को और वह राशि, जो उसकी राय में किसी कर, ब्याज या शास्ति देने के लिए पर्याप्त है, जो तब या तत्पश्चात् कंपनी द्वारा भुगतानयोग्य है या भुगतानयोग्य हो जाती है, अधिसूचित करेगा ।

(3) जब किसी प्राइवेट कंपनी को परिसमाप्त किया जाता है और इस अधिनियम के अधीन कंपनी पर किसी अवधि के लिए चाहे परिसमापन के क्रम में या तत्पश्चात् अवधारित कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर बकाया है, के दौरान हर ऐसा व्यक्ति जो कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथक रूप से ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का, जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, भुगतान करने के लिए दायी होगा ।

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL CLARITY

प्राइवेट कंपनियों के निदेशकों का दायित्व ।

**89.** (1) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18), में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी प्राइवेट कंपनी से किसी अवधि के लिए मालों या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है, बकाया है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि के दौरान प्राइवेट कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथक रूप ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का, सिवाय जब तक वह यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी किसी गंभीर उपेक्षा, दुष्किरण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, भुगतान करने के लिए दायी होगा ।

(2) जहां प्राइवेट कंपनी को किसी पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तित किया जाता है और किसी अवधि के लिए, जिसके दौरान ऐसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी थी, मालों या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय के संबंध में किसी कर, ब्याज या शास्ति के ऐसे संपरिवर्तन से पूर्व वसूली नहीं की जा सकती है, तो उपधारा (1) में दी गई कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जो ऐसी प्राइवेट कंपनी का, ऐसी प्राइवेट कंपनी के ऐसे मालों या सेवाओं की या दोनों के प्रदाय के विरूद्ध किसी कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में, निदेशक था :

पंरतु इस उपधारा में दी गई कोई बात ऐसे निदेशक पर अधिरोपित शास्ति वैयक्तिक के लिए लागू नहीं होगी ।

फर्म के भागीदारों का कर का भुगतान करने के लिए दायित्व।

**90.** किसी संविदा के प्रतिकूल के होते हुए भी और तत्समय लागू किसी अन्य विधि के होते हुए भी, जहां कोई फर्म इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी है, तो फर्म और फर्म का प्रत्येक भागीदार, ऐसे भुगतान के लिए, संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी होगा:

परन्तु जहां कोई भागीदार फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है, तो वह या फर्म उक्त भागीदार की सेवानिवृत्ति की तिथि को इस निमित्त लिखित सूचना द्वारा आयुक्त को संसूचित करेगा और ऐसा भागीदार अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक बकाया कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान करने का, चाहे उस तिथि को बकाया निर्धारित किया जाए या नहीं, दायी होगा :

परन्तु यह और कि यदि ऐसी कोई सूचना सेवानिवृत्ति की तिथि से एक मास के भीतर नहीं दी जाती है, तो प्रथम परन्तुक के अधीन ऐसे भागीदार का दायित्व उस तिथि तक बना रहेगा जब ऐसी सूचना आयुक्त द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है ।

अभिरक्षकों, न्यासियों आदि का दायित्व ।

**91.** जहां कोई कारबार, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति भुगतानयोग्य है, को किसी अव्यस्क या किसी अन्य, अक्षम व्यक्ति के निमित्त और ऐसे अव्यस्क या अन्य अक्षम व्यक्ति के फायदे के लिए किसी अभिरक्षक, न्यासी या अभिकर्ता द्वारा चलाया जाता है तो ऐसे अभिरक्षक या न्यासी या अभिकर्ता पर कर, ब्याज या शास्ति उसी रूप में और उसी सीमा तक उद्गृहीत की जाएगी और वसूली जाएगी जैसे कि उसका ऐसे अव्यस्क या अन्य अक्षम व्यक्ति के लिए अवधारण किया जाता और वसूली जाती, यदि वह व्यस्क या सक्षम व्यक्ति होता और जैसे कि वह स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

प्रतिपाल्य अधिकरण इत्यादि के दायित्व ।

**92.** जहां किसी कराधेय व्यक्ति की संपदा या संपदा के किसी भाग जिसके संबंध में कोई कारबार है, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति कराधेय है, किसी प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी या किसी प्रापक या प्रबंधक (जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति, चाहे किसी भी पदनाम से ज्ञात हो, जो वास्तव में कारबार का प्रबंध करता है), जिसकी नियुक्ति किसी न्यायालय के आदेश के अधीन की गई है, के नियंत्रणाधीन है, कर, ब्याज या शास्ति प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी या किसी प्रापक या प्रबन्धक से उद्गृहीत की जाएगी और वसूली जाएगी ठीक वैसे जैसे उसका कराधेय व्यक्ति के लिए अवधारण किया जाता और वसूली की जाती, जैसे कि कराधेय व्यक्ति स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

कतिपय मामलों में कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान करने के लिए दायित्व के संबंध में विशेष उपबंध ।

**93.** (1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 31), में यथा उपबंधित के सिवाय, जहां कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी है, तब—

(क) यदि व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु के बाद उसके विधिक प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी रखा जाता है, तो ऐसा विधिक प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति से बकाया कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा; और

COURT BOOK

(ख) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु से पूर्व या उसके पश्चात् जारी नहीं रखा जाता है, तो उसके विधिक प्रतिनिधि मृतक की संपदा से उस परिमाण तक, जहां तक संपदा ऐसे व्यक्ति के इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान चुकाने में सक्षम है, भुगतान करने के लिए दायी होगा,

चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण उसकी मृत्यु से पूर्व किया गया हो किंतु जो उसकी मृत्यु के पश्चात् भुगतान किए बिना रहा हो या मृत्यु के बाद अवधारित किया गया है ।

(2) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 31), में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति भुगतान करने के लिए दायी है, हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के समूह है और हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम के विभिन्न सदस्यों या सदस्यों के समूह के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया है, तब, प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का समूह, संयुक्त रूप से या पृथक रूप से इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति से बंटवारे के समय तक कर, ब्याज या बकाया शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा, चाहे ऐसे कर, शास्ति या ब्याज का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किन्तु जो बंटवारे के पश्चात् भुगतान किए बिना रह गया है या बंटवारे के बाद अवधारित किया गया है ।

(3) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 31), में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी है, एक फर्म है और फर्म का विघटन कर दिया गया है, तब, प्रत्येक व्यक्ति, जो भागीदार था, संयुक्त या पृथक् रूप से इस अधिनियम के अधीन फर्म से देय, ब्याज या शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किंतु बंटवारे के पश्चात् भुगतान के बिना रह गया है या बंटवारे के पश्चात् अवधारित किया गया है।

(4) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 31), में यथा उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी है,—

(क) किसी अव्यस्क का अभिरक्षक है, जिसकी ओर से अभिरक्षक द्वारा कारबार चलाया जाता है ; या

(ख) कोई न्याासी है, जो हितग्राही किसी न्यास के अधीन कारबार का संचालन करता है,

तब, यदि संरक्षण या न्यास को समाप्त कर दिया जाता है, अव्यस्क या हितग्राही कराधेय व्यक्ति से संरक्षण या न्यास के समापन के समय तक बकाया कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण संरक्षण या न्यास के समापन से पूर्व किया गया हो, किन्तु भुगतान किए बिना रह गया है या के पश्चात अवधारित किया गया हो।

अन्य मामलों में दायित्व ।

**94.** (1) जहां कराधेय व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब ने कारबार करना बंद कर दिया है,—

(क) ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब द्वारा ऐसे कारबार को बंद करने की तिथि तक इस अधिनियम के अधीन भुगतानयोग्य कर, ब्याज या शास्ति का निर्धारण ऐसे किया जाएगा मानो कारबार बंद हुआ ही न हो ; और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो कारबार को ऐसे बंद करने के समय ऐसी फर्म या ऐसे संगम या कुटुंब का सदस्य था, ऐसा बंद करना होते हुए भी फर्म, संगम या कुटुंब पर अवधारित कर और ब्याज के भुगतान के लिए और अधिरोपित शास्ति का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से दायी होगा, चाहे ऐसे कर और ब्याज का निर्धारण या शास्ति को उससे पूर्व अधिरोपित किया गया है या ऐसा बंद करने के पश्चात् अधिरोपित किया गया है और पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध जहां तक हो सके ऐसे व्यक्ति या भागीदार या सदस्यों पर ऐसे लागू होंगे मानो वह कराधेय व्यक्ति था ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) जहां फर्म या व्यक्तियों के संगम के गठन में कोई परिवर्तन होता है तो फर्म के भागीदार या संगम के सदस्य, जैसा कि वह पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थे और जैसे कि वह उसके पश्चात् विद्यमान हैं, धारा 90 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी फर्म या व्यक्तियों से उसके पुनर्गठन की कालावधि से पूर्व बकाया कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी होंगे ।

(3) उपधारा (1) के उपबंध, जहां तक हो सके, कराधेय व्यक्ति, जो विघटित हो गई फर्म या व्यक्तियों का संगम है को या कराधेय व्यक्ति, जो अविभक्त हिन्दू कुटुंब है, जिसने उसके द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के संबंध में विभाजन किया है, को लागू होंगे और तदनुसार उस उपधारा में बंद करने के प्रतिनिर्देश का ऐसे विघटन या विभाजन के समान लगाया जाएगा।

**व्याख्या.–** इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,–

(i) "सीमित दायित्व भागीदार" जो सीमित दायित्व भागीदार अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) के उपबंधों के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत किया गया है, को भी एक फर्म के रूप में माना जाएगा;

(ii) "न्यायालय" से अभिप्राय है, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ।

## अध्यापय XVII

## अग्रिम विनिर्णय

**95.** इस अध्याय में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं ।

(क) "अग्रिम विनिर्णय" से अभिप्राय है, किसी प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा किसी आवेदक को, धारा 97 की उपधारा (2) या धारा 100 की उपधारा (1) में मालों या सेवाओं या दोनों के प्रदाय, जिसे आवेदक द्वारा किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव के संबंध में विनिर्दिष्ट विषयों या प्रश्नों पर दिया गया अग्रिम निर्णय ;

(ख) "अपील प्राधिकरण" से अभिप्राय है, धारा 99 के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए गठित अपील प्राधिकरण ;

(ग) "आवेदक" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति;

(घ) "आवेदन" से अभिप्राय है, धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को किया गया आवेदन ;

(ङ) "प्राधिकरण" से अभिप्राय है, धारा 96 के अधीन गठित, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण।

**96.** (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, हरियाणा अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण का गठन करेगी : अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का गठन ।

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, किसी अन्य राज्य में अवस्थित किसी प्राधिकरण को राज्य के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित करेगी ।

(2) प्राधिकरण निम्नालिखित से मिलकर बनेगा–

(i) केंद्रीय कर के अधिकारियों में से एक सदस्य ; और

(ii) राज्य कर के अधिकारियों में से एक सदस्य,

जिन्हें क्रमशः केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(3) सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति का ढंग और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

**97.** (1) इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, उन प्रश्नों को अभिलिखित करते हुए, जिन पर अग्रिम विनिर्णय की इच्छा की गई है, एक आवेदन करेगा । अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) वह प्रश्न, जिस पर इस अधिनियम के अधीन अग्रिम विनिर्णय की इच्छा की जाती है, निम्नलिखित के संबंध में होगा,––

(क) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों का वर्गीकरण;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना का लागू होना ;

(ग) मालों या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के समय और मूल्य का अवधारण ;

(घ) भुगतान किए गए या भुगतान किए गए समझे गए कर के इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेयता;

(ङ) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों पर कर भुगतान के दायित्व का अवधारण ;

(च) क्या आवेदक से रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा है;

(छ) क्या आवेदक द्वारा किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के संबंध में किए गए किसी विशिष्ट कार्य के विषय या परिणाम उन मालों या सेवाओं या दोनों का, इस अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर, प्रदाय होता है।

आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया।

**98.** (1) किसी आवेदन की प्राप्ति पर, प्राधिकरण उसकी एक प्रति को संबंधित अधिकारी को अग्रेषित करवाएगा और यदि आवश्यक हो, तो उससे सुसंगत अभिलेख प्रस्तुरत करने की मांग करेगाः

परंतु किसी मामले में जहां प्राधिकारी द्वारा किन्ही अभिलेखों की मांग की गई है, तो ऐसे अभिलेखों को, यथासंभव शीघ्र, उक्त संबंधित अधिकारी को लौटा दिया जाएगा ।

(2) प्राधिकारी आवेदन और मांगे गए अभिलेखों की जांच करने के पश्चात् तथा आवेदक या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने के बाद और संबंधित अधिकारी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, आदेश द्वारा, या तो आवेदन को स्वीकार करेगा या अस्वीकार कर देगाः

परंतु प्राधिकारी वहां आवेदन को अस्वीकार नहीं करेगा जहां आवेदन में उठाया गया प्रश्न पहले से ही लंबित है या आवेदक के किसी मामले में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसका निर्णय किया जा चुका है :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी आवेदन को, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि जहां आवेदन को अस्वीकार किया जाता है, तो उसके अस्वीकार किए जाने के कारणों को आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति आवेदक और संबंधित अधिकारी को भेजी जाएगी।

(4) जहां किसी आवेदन को उपधारा (2) के अधीन स्वीकार किया जाता है, ऐसी और सामग्री, जो उसके समक्ष आवेदक द्वारा रखी जाए या प्रधिकारी द्वारा प्राप्त की जाए, की जांच के पश्चात् और आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ–साथ संबंधित अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर इसके अग्रिम विनिर्णय की उद्घोषणा की जाएगी।

(5) जहां प्राधिकरण के सदसय ऐसे किसी प्रश्न पर मतभेद रखते है, जिस पर अग्रिम विनिर्णय की मांग की गई है, वे उस बिन्दु या उन बिन्दुओं को अभिलिखित करेंगे, जिन पर वह मतभेद रखते है और ऐसे प्रश्नों पर सुनवाई और निर्णय के लिए अपील प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेंगे।

(6) प्राधिकरण आवेदन की प्राप्ति की तिथि से नब्बे दिन के भीतर लिखित में अग्रिम विनिर्णय की घोषणा करेगा।

(7) प्राधिकारी द्वारा उदघोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति, सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित तथा ऐसी रीति में प्रमाणित जो विहित की जाये, आवेदक, सम्बन्धित अधिकारी तथा अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को ऐसी उद्घोषणा के बाद भेजी जाएगी।

अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन ।

**99.** सरकार, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अधिसूचना द्वारा, हरियाणा माल और सेवाकर अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक अपील प्राधिकरण का गठन करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा–

(i) बोर्ड द्वारा यथा पदाभिहित केंद्रीय कर मुख्य आयुक्त; और

(ii) राज्य कर आयुक्त :

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, किसी अन्य राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी अपील प्राधिकरण को राज्य के लिए अपील प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी।

**100.** (1) धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय से व्यथित संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी या आवेदक, अपील प्राधिकरण को अपील कर सकता है। अपील प्राधिकरण को अपील ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस तिथि, जिसको विनिर्णय के विरुद्ध की गई अपील की, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी या आवेदक को संसूचना दी जाती है, से तीस दिन की अवधि के भीतर दायर की जाएगीः

परंतु अपील प्राधिकारी का यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित किया गया था, तो वह तीस दिन से अनधिक और अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत करना अनुज्ञात कर सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में, ऐसी फीस के साथ तथा ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सत्यापित की जाएगी।

**101.** (1) अपील प्राधिकरण अपील या संदर्भ के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह अपील किए गए आदेश या निर्दिष्ट आदेश की पुष्टि करने के लिए या उपांतरित करने के लिए ठीक समझे । अपील प्राधिकरण के आदेश ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश धारा 100 के अधीन अपील के दायर करने या धारा 98 की उपधारा 5 के अधीन संदर्भ करने की तिथि से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा।

(3) जहां अपील प्राधिकरण के सदस्य अपील या संदर्भ में निर्दिष्ट किसी बिन्दु या बिन्दुओं पर मतभेद रखते हैं, तो यह समझा जायेगा कि अपील या संदर्भ के अधीन प्रश्न के संबंध में कोई अग्रिम विनिर्णय जारी नहीं किया जा सकता है ।

(4) उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति अपील प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित तथा ऐसी रीति में प्रमाणित, जो विहित की जाए, ऐसी उद्घोषणा के बाद आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी तथा प्राधिकारी को भेजी जाएगी ।

**102.** प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण धारा 98 या धारा 101 के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश की ऐसी त्रुटियों जो अभिलेख पटल पर स्पष्ट हो, और जो प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण की जानकारी में यदि ऐसी त्रुटि स्वयं आती है, या उसकी जानकारी में सम्बंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी, आवेदक या अपीलार्थी द्वारा लायी जाती है, को आदेश पारित करने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर संशोधित कर सकेगा : अग्रिम विनिर्णय की परिशुद्धि ।

परंतु ऐसी कोई परिशुद्धि, जिसका प्रभाव कर दायित्व में वृद्धि करने या इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेय राशि को कम करने के रूप में होता है, को तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक या अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

**103.** (1) इस अध्याय के अधीन प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय केवल निम्निलिखित पर बाध्यकर होगा– अग्रिम विनिर्णय का लागू होना।

(क) उस आवेदक पर, जिसने अग्रिम विनिर्णय के लिए धारा 97 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में उसकी अपेक्षा की थी;

(ख) आवेदक के संबंध में संबंधित अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले अधिकारी पर।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय तब तक बाध्यकर होगा जब तक कि मूल अग्रिम विनिर्णय की समर्थनकारी विधि, तथ्य या परिस्थितियां न बदल गइ हों।

**104.** (1) जहां प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण यह पाता है कि धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन या धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय को आवेदक या अपीलार्थी द्वारा कपट या तात्विक तथ्यों को छिपाने या तथ्यों के दुव्यवर्पदेशन द्वारा प्राप्त किया गया है, तो वह, आदेश द्वारा, ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर देगा और तत्पश्चात् इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी उपबंध आवेदक या अपीलार्थी पर ऐसे लागू होंगे मानो ऐसा अग्रिम विनिर्णय कभी हुआ ही नहीं था : कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक या अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान न किया गया हो।

**व्याख्या.–** धारा 73 की उपधारा (2) तथा उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (2) तथा उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय इस उपधारा के अधीन ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तिथि से प्रारंभ होने वाली और आदेश की तिथि को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जाएगी।

प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण की शक्तियां।

**105.** (1) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को, निम्नलिखित के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी–

(क) प्रकटीकरण और निरीक्षण ;

(ख) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ग) कमीशन जारी करना और लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना ।

(2) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण धारा 195 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा, किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के अध्याय XXVI के प्रयोजनों के लिए नहीं, और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 193 तथा धारा 228 के अर्थ के भीतर तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया ।

**106.** प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को, इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन, अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।

## अध्याय XVIII

## अपील और पुनरीक्षण

अपील प्राधिकारी को अपीलें।

**107.** (1) इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति तिथि जिसको ऐसा निर्णय या आदेश ऐसे व्यक्ति को संसूचित किया जाता है, से तीन मास के भीतर ऐसा अपील प्राधिकारी, जो विहित किया जाए, को अपील कर सकेगा।

(2) जहां किसी कार्यवाही जिसमें न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) के अधीन कोई निर्णय या आदेश पारित किया है वहां आयुक्त उक्त निर्णय या आदेश की वैधानिकता या औचित्य के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या केन्द्रीय कर आयुक्त के निवेदन पर ऐसी कार्यवाही के अभिलेख की मांग और परीक्षण कर सकेगा तथा आदेश द्वारा ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए जो उक्त निर्णय या आदेश से उद्भूत होते हैं, उक्त निर्णय या आदेश की संसूचना की तिथि से छह मास के भीतर अपील प्राधिकारी को आवेदन करने के लिए किसी अधीनस्थ अधिकारी को निदेश दे सकेगा जैसा आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) जहां, उपधारा (2) के अधीन आदेश के अनुसरण में, प्राधिकृत अधिकारी अपील प्राधिकारी को आवेदन करता है, वहां ऐसे आवेदन को अपील प्राधिकारी द्वारा ऐसे निपटाया जायेगा मानो यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निर्णय या आदेश के विरुद्ध की गई अपील हो और ऐसे प्राधिकृत अधिकारी कोई अपीलकर्ता थे तथा अपील से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध ऐसे आवेदन पर लागू होंगे।

(4) अपील प्राधिकारी, यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि अपीलकर्ता, तीन मास या छह मास, जैसी भी स्थिति हो, की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था, तो वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अनुज्ञात करेगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में की जाएगी और ऐसी रीति में सत्यपित की जाएगी, जो विहित की जाए ।

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील दायर नहीं की जाएगी यदि अपीलकर्ता ने–

(क) अपेक्षित आदेश से उद्भूत किसी कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति की राशि ऐसे भाग का पूर्ण रूप में भुगतान नहीं किया हो, जैसा उसके द्वारा स्वीकार किया गया है; और

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील दायर की गई है, से उद्भूत विवाद में कर की बकाया राशि के दस प्रतिशत के बराबर धनराशि का भुगतान नहीं किया हो।

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन अपीलकर्ता ने राशि का भुगतान कर दिया है, वहां बकाया राशि के लिए वसूली कार्यवाहियां स्थगित समझी जाएंगी ।

(8) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देगा।

(9) अपील प्राधिकारी, यदि उसे अपील सुनवाई की किसी अवस्था पर पर्याप्त कारण दर्शित किया जाए तो पक्षकारों को या उनमें से किसी एक को समय प्रदान करेगा और लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की सुनवाई को स्थगित रखेगा :

परन्तु ऐसा कोई स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन बार से अधिक के लिए प्रदान नहीं किया जाएगा ।

(10) अपील प्राधिकारी, अपील की सुनवाई के समय पर, अपीलकर्ता को अपील के आधारों में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए अपील के किसी आधार को जोड़ना अनुज्ञात कर सकेगा, यदि यह समाधान हो जाता है कि अपील के आधारों से उस आधार का लोप जानबूझकर या युक्तियुक्त नहीं था।

(11) अपील प्राधिकारी, ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, अपील किये गये आदेश या निर्णय को संपुष्ट, उपांतरित या अपास्त करने का आदेश करेगा जो वह न्यायसंगत या उचित समझे, किन्तु उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मामला पुनःनिर्दिष्ट नहीं करेगा जिसने ऐसा निर्णय या आदेश पारित किया था :

परन्तु जब्ती के बदले में कोई फीस या शास्ति या जुर्माना बढ़ाने वाला अथवा वर्धित मूल्य के माल का जब्ती या प्रतिदाय की राशि या इनपुटकर प्रत्यय घटाने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो :

परन्तु यह और कि जहां अपील प्राधिकरण की जहां की राय है कि कोई कर भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है या गलती से प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत ढंग से प्राप्त किया गया है या उपयोग किया गया है, वहां अपीलकर्ता से ऐसा कर या इनपुट कर प्रत्यय के भुगतान की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया हो और धारा 73 या धारा 74 के अधीन विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर आदेश पारित किया गया हो। (12) अपील निपटारा करने वाले अपील प्राधिकरण का आदेश लिखित में होगा और अवधारण के बिन्दुओं, उनपर निर्णय और ऐसे निर्णय के कारण लिखित में होंगे।

(13) अपील प्राधिकारी, जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील की उसके दायर किए जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर सुनवाई और निर्णय करेगाः

परन्तु जहां आदेश का जारी किया जाना न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि, एक वर्ष की अवधि की गणना में अपवर्जित की जाएगी ।

(14) अपील के निपटारे पर, अपील प्राधिकारी उसके द्वारा पारित आदेश को अपीलकर्ता, प्रत्यर्थी और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संसूचित करेगा ।

(15) अपील प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की एक प्रति आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त पदाभिहित प्राधिकारी को और अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय कर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त पदाभिहित प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(16) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश, धारा 108 या धारा 113 या धारा 117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्तियां ।

**108.** (1) धारा 121 और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या उसके द्वारा प्राप्त किसी सूचना पर या केंद्रीय कर आयुक्त के अनुरोध पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा सकेगा और जांच कर सकेगा तथा यदि वह यह मानता है कि उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी ने इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) के अधीन कोई निर्णय या आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है और राजस्व के हितों के प्रतिकूल है तथा अवैध या अनुचित है अथवा उसने कतिपय तात्विक तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा है चाहे वे उक्त आदेश के जारी करने के समय उपलब्ध है या नहीं या भारत के नियंत्रण–महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी के पारिणामिक है, तो वह यदि आवश्यक हो तो ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे ऐसे निर्णय या आदेश के प्रचालन को स्थगित कर सकेगा और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह न्यायसंगत और उचित समझे जिसमें उक्त निर्णय या आदेश को वर्धित करना या उपांतरित करना या अपास्त करना भी शामिल है ।

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, यदि–

(क) आदेश धारा 107 या धारा 112 या धारा 117 या धारा 118 के अधीन अपील के अध्यधीन है; या

(ख) धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हुई है या पुनरीक्षित किए जाने वाले निर्णय या आदेश को पारित करने के पश्चात् तीन वर्ष से अधिक का समय समाप्त हो गया है; या

(ग) इस धारा के अधीन किसी पूर्वतर अवस्था पर आदेश को पहले ही पुनरीक्षण के लिए लिया जा चुका है; या

(घ) आदेश उपधारा (1) के अधीन शक्तियों के प्रयोग में पारित किया जा चुका हैः

परन्तु पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन जिस किसी बिन्दु पर उपधारा (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट अपील में उठाया नहीं गया और विनिश्चित नहीं किया गया पर ऐसे आदेश में अपील की तिथि से एक वर्ष की अवधि के समाप्त होने से पूर्व या उस उपधारा के खंड (ख) में विनिदिष्ट तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने से पूर्व, जो भी पश्चात्वर्ती हो, आदेश पारित कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षण में पारित प्रत्येक आदेश, धारा 113 या धारा 117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा ।

(4) यदि उक्त निर्णय या आदेश में कोई ऐसा मुद्दा अन्तर निहित है जिसमें अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय ने किसी अन्य कार्यवाही में अपना निर्णय दिया है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कोई अपील लंबित है, अपील अधिकरण के निर्णय की तिथि या उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि और उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तिथि के बीच व्यतीत अवधि उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की गणना करने में अपवर्जित कर दी जाएगी जहां पुनरीक्षण के लिए कार्यवाहियां इस धारा के अधीन नोटिस जारी करने के माध्यम से प्रारंभ की गई हैं ।

(5) उपधारा (1) के अधीन जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अपील अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अवधि की परिसीमा की गणना में अपवर्जित कर दी जाएगी।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति,–

(i) "अभिलेख" में इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के समय किसी कार्यवाही से संबंधित उपलब्ध सभी अभिलेख सम्मिलित होंगे ;

(ii) "विनिश्चय" में पुनरीक्षण प्राधिकारी की पदवी के नीचे के किसी अधिकारी द्वारा दी गई सूचना सम्मिलित होगी।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठें ।

**109.** (1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपील अधिकरण होगा ।

(2) राज्य में अवस्थित राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों का गठन और अधिकारिता, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), की धारा 109 या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होगी।

अपील अधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य, उनकी अर्हताएं, नियुक्ति, सेवा की शर्तें आदि।

**110.** राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, पदावधि, पद से त्यागपत्र और हटाया जाना, केंन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), की धारा 110 के उपबंधों के अनुसार होगा।

अपील अधिकरण के समक्ष प्रक्रिया।

**111.** (1) अपील अधिकरण, अपने समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों या अपील को निपटाते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा आबद्ध नहीं होगा, लेकिन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों और इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन निर्देशित होगा, अपील अधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

(2) अपील अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए, की शक्तियां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन सिविल न्यायालय में यथा विहित शक्तियों के समान होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद के विचारण के समय होंगी, अर्थात्:—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करने और शपथ पर उसका परीक्षण करने;

(ख) दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने;?

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1), की धारा 123 और 124 के उपबंधों के अध्यधीन किसी भी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे किसी अभिलेख या दस्तावेज की प्रति मंगाने;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करने;

(च) किसी प्रतिवेदन को चूक के लिए खारिज करने अथवा उसे एकपक्षीय विनिश्चित करने;

(छ) किसी प्रतिवेदन को चूक के लिए खारिज करने का कोई आदेश या अपने द्वारा पारित किसी एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने; और

(ज) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।

(3) अपील अधिकरण द्वारा किया गया कोई आदेश उसी रीति में लागू होगा मानों किसी न्यायालय द्वारा उसके यहां लंबित किसी वाद में की गई डिक्री थी और यह अपील अधिकरण के लिए विधि सम्मत होगा कि वह अपने आदेशों के निष्पादन के लिए स्थानीय सीमाओं के भीतर न्यायालय को भेजे, जिसकी अधिकारिता में,—

(क) कंपनी के विरुद्ध आदेश की दशा में, जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आदेश की दशा में, जहां संबद्ध व्यक्ति स्वेच्छा से निवास करता है या लाभ के लिए कारबार या व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है।

(4) अपील अधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता, (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45), की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ के भीतर और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी और अपील अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2), की धारा 195 और अध्याय XXVI के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL CLARITY

अपील अधिकरण को अपील।

**112.** (1) इस अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 या केंन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), के अधीन उसके विरूद्ध पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तिथि से, ऐसे आदेश के विरुद्ध तीन मास के भीतर अपील कर सकता है।

(2) अपील अधिकरण ऐसी किसी अपील को अपने विवेक के अनुसार स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है जहां अंतर्वलित कर या इनपुट कर प्रत्यय या अंतर्वलित कर या इनपुट कर प्रत्यय में अंतर या ऐसे आदेश द्वारा अवधारित जुर्माने, फीस या शास्ति की राशि पचास हजार रूपए से अधिक न हो।

(3) आयुक्त, किसी आदेश की वैद्यानिकता या औचित्य के संबध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए, स्वप्रेरणा से, या केन्द्रीय कर आयुक्त के निवेदन पर, इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश का अभिलेख मांग सकता है और परीक्षण कर सकता है और आदेश द्वारा, अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को ऐसी तिथि, जिसको उक्त आदेश से उद्‌भुत ऐसे बिन्दुओं, जो आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के निर्धारण के लिए उक्त आदेश पारित किया गया है, से छह मास के भीतर अपील अधिकरण में अपील करने का निदेश कर सकता है।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन आदेश के अनुसरण में, प्राधिकृत अधिकारी अपील अधिकरण को आवेदन करता है, तो ऐसा आवेदन अपील अधिकरण इस प्रकार निपटाएगा मानों यह धारा 107 की उपधारा (11) के अधीन या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील की गई थी और इस अधिनियम के उपबंध ऐसे आवेदन को लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन दायर अपीलों के संबंध में लागू होते हैं ।

(5) सूचना की प्राप्ति पर कि इस धारा के अधीन अपील की गई है, पक्षकार, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, किसी बात के होते हुए भी कि उसने ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के विरुद्ध अपील नहीं की है, नोटिस की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर, विहित रीति में सत्यापित प्रतिआक्षेपों का ज्ञापन, आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, के किसी भाग के विरूद्ध दायर करेगा और ऐसा ज्ञापन अपील अधिकरण द्वारा ऐसे निस्तारित किया जाएगा मानों यह उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की गई अपील थी।

(6) अपील अधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् तीन मास के भीतर अपील स्वीकार कर सकता है, या उपधारा (5) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् पैंतालीस दिन के भीतर प्रतिआक्षेपों का ज्ञापन दायर करने के लिए अनुमति दे सकता है, यदि यह समाधान हो जाए कि इसको उस अवधि में प्रस्तुत न कर पाने का उपयुक्त कारण था।

(7) अपील अधिकरण को अपील ऐसे प्ररूप, ऐसी रीति में सत्यापित और ऐसी फीस, जो विहित की जाए, सहित होगी।

(8) कोई भी अपील उपधारा (1) के अधीन तब तक दायर नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी निम्नलिखित का भुगतान नहीं करता है,–

(क) पूर्ण कर, ब्याज, जुर्माना, फीस की राशि के ऐसे भाग और अधिरोपित आदेश से उत्पन्न शास्ति, जो उसके द्वारा स्वीकार की गई हो, और

(ख) धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त, उक्त आदेश से उद्‌भुत विवाद में कर की शेष राशि के बीस प्रतिशत के बराबर धनराशि जिसके संबंध में अपील दायर की गई है।

(9) जहां अपीलार्थी उपधारा (8) के अनुसार राशि का भुगतान कर चुका है, तो शेष राशि की वसूली की कार्यवाहियां अपील के निस्तारण तक स्थगित समझी जाएंगी ।

(10) अपील अधिकरण के समक्ष–

(क) त्रुटि को ठीक करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई अपील; या

(ख) अपील या किसी आवेदन का प्रत्यावर्तन करने हेतु,

प्रत्येक आवेदन ऐसी फीस सहित होगा, जो विहित किया जाए।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

अपील अधिकरण के आदेश ।

**113.** (1) अपील अधिकरण, अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात्, विनिश्चय या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है, का पुष्टिकरण, उपांतरण या अपास्त करते हुए उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह ठीक समझे या अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या मूल न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को ऐसे निदेशों, जैसा वह ठीक समझे, के साथ मामले को अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात्, यदि आवश्यक हों, नये न्यायनिर्णयन या विनिश्चय के लिए वापस भेज सकता है।

(2) अपील अभिकरण, अपील की सुनवाई के किसी भी समय पर यदि पर्याप्त कारण दिया गया है, तो कारणों को अभिलिखित करते हुए पक्षकारों या उन में से किसी को समय प्रदान कर सकता है और अपील की सुनवाई स्थगित कर सकता हैः

परन्तु कोई भी ऐसा स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन बार से अधिक नहीं प्रदान किया जाएगा।

(3) अपील अभिकरण, यहां तक कि अभिलेख को देखते ही प्रकट किसी गलती का सुधार करने के लिए उपधारा (1) के अधीन इसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकता है, यदि ऐसी गलती आदेश की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर स्वयं उसके संज्ञान में आती है या आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त या अपील के किसी पक्षकार द्वारा संज्ञान में लाई जाती है :

परन्तु कोई भी संशोधन, जो वापसी या इनपुट कर प्रत्यय के निर्धारण में वृद्धि या कमी को प्रभावित करता है या किसी अन्य पक्षकार के दायित्व में अन्यथा वृद्धि करता है, इस उपधारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक पक्षकार को सुनने का अवसर प्रदान न किया गया हो।

(4) अपील अधिकरण, जहां तक संभव हो, अपील के दायर होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्येक अपील सुनेगा और विनिश्चय करेगा।

(5) अपील अधिकरण इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी, मूल न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, अपीलार्थी और आयुक्त या अधिकारिता रखने वाला केन्द्रीय कर आयुक्त को भेजेगा।

(6) धारा 117 या धारा 118 में उपबंधित के सिवाय, अपील पर अपील अधिकरण द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा और पक्षकारों पर आबद्धकारी होगा।

राज्य अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां।

**114.** राज्य अध्यक्ष, राज्य में अपील अभिकरण के राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों पर ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जाएंः

परन्तु राज्य अध्यक्ष को अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों, जैसा वह ठीक समझे, को राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के किसी सदस्य या किसी अधिकारी को, ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा कि ऐसा सदस्य या अधिकारी ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य अध्यक्ष के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

अपील दाखिल करने के लिए भुगतान की गई राशि की वापसी पर ब्याज ।

**115.** जहां अपीलार्थी द्वारा धारा 107 की उपधारा (6) या धारा 112 की उपधारा (8) के अधीन, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के किसी आदेश के परिणामस्वरूप धारा 56 के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज वापस किया जाना अपेक्षित है, तो राशि की भुगतान की तिथि से ऐसी राशि की वापसी की तिथि तक ऐसी वापसी के संबंध में ब्याज भुगतानयोग्य होगा।

प्राधिकृत प्रतिनिधि की हाजिरी।

**116.** (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी, या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए हकदार है या अपेक्षित है, जब इस अधिनियम के अधीन, इस धारा के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, शपथ या कथन पर परीक्षण के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने से अन्यथा अपेक्षित हो, प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से हाजिर हो सकता है।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "प्राधिकृत प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति का अर्थ है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से हाजिर होने के लिए उस द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति–

(क) उसका रिश्तेदार या नियमित कर्मचारी है; या

(ख) ऐसा कोई अधिवक्ता जो भारत में किसी न्यायालय में प्रैक्टिस करने का हकदार है, और जिसे भारत में किसी न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है ; या

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ग) कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट, लागत लेखापाल या कंपनी सचिव, जो प्रैक्टिस करने का प्रमाण–पत्र रखता है और जिसे प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है; या

(घ) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के वाणिज्य कर विभाग या बोर्ड का सेवानिवृत्त अधिकारी जिसने सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान ग्रुप ख राजपत्रित अधिकारी की रैंक से अन्यून पद पर कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो:

परंतु ऐसा कोई अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति या पदत्याग की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के समक्ष हाजिर होने के लिए हकदार नहीं होगा ; या

(ङ) कोई व्यक्ति जो संबद्ध रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से माल और सेवा कर प्रैक्टिसकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

(3) कोई व्यक्ति,–

(क) जो सरकारी सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो; या

(ख) जो इस अधिनियम, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), समेकित माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13), या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 14) या विद्यमान विधि या माल के विक्रय या माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर कर लगाने से संबंधित राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किन्हीं अधिनियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से संबंधित किसी अपराध का दोषसिद्ध हो; या

(ग) जो विहित प्राधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया हो ; या

(घ) जो दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत हो चुका हो,

उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित के संबंध में किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए पात्र नहीं होगा–

(i) खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में सदैव के लिए; और

(ii) खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में उस अवधि के दौरान जब तक दिवालियापन जारी रहे।

(4) कोई व्यक्ति जो केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या अन्य राज्य के माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन अयोग्य घोषित किया गया है, इस अधिनियम के अधीन भी अयोग्य समझा जाएगा।

उच्च न्यायालय को अपील ।

**117.** (1) अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है और उच्च न्यायालय ऐसी अपील को स्वीकार कर सकता है, यदि यह समाधान हो जाए कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अर्न्तनिहित है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील, व्यथित व्यक्ति द्वारा आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, प्राप्त करने की तिथि से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर दायर की जाएगी और यह ऐसे प्रारूप में, सत्यापित रीति, जो विहित की जाए, में होगी :

परन्तु उच्च न्यायालय उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसी अवधि में इसको दायर न कर पाने का समुचित कारण था ।

(3) जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाए कि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न अन्तर्निहित है वहां वह उस प्रश्न को निश्चित करेगा और केवल इस प्रकार निश्चित प्रश्न पर अपील की सुनवाई करेगा तथा प्रतिवादी अपील की सुनवाई के दौरान कि मामले में ऐसा प्रश्न अर्न्तनिहित नहीं है, बहस करने के लिए अनुज्ञेय होंगे:

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परन्तु इस उपधारा की किसी बात के बारे में न्यायालय द्वारा निश्चित न किए गए विधि के किसी अन्य सारवान प्रश्न पर, अपील अभिलिखित किए जाने वाले कारणों हेतु, सुनवाई करने की न्यायालय की शक्ति को समाप्त करने या अल्पीकरण करने के रूप में नहीं समझा जाएगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अर्न्तनिहित है ।

(4) उच्च न्यायालय इस प्रकार निश्चित विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और आधारों, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है, को अन्तर्विष्ट करते हुए उस पर ऐसा निर्णय प्रदान करेगा और ऐसी लागत लगा सकता है, जो वह ठीक समझे ।

(5) उच्च, न्यायालय किसी ऐसे वाद को अवधारित कर सकता है, जो–

(क) राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों द्वारा अवधारित न किया गया हो; या

(ख) उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट ऐसे विधि के प्रश्न पर विनिश्चय के कारण राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारण किया गया हो ।

(6) जहां उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील दायर की गई हो, तो यह उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों से कम की न्यायपीठ द्वारा नहीं सुनी जाएगी और ऐसे न्यायाधीशों के मत या न्यायाधीशों, यदि कोई हों, के बहुमत के मत के अनुसार विनिश्चय की जाएगी ।

(7) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां न्यायाधीश विधि के उस बिंदु को बताएंगे जिस पर वे मतांतर रखते हैं और वहां केवल उस बिंदु पर उच्च न्यायालय के एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा मामले को सुना जाएगा और ऐसे न्यायाधीशों, जिन्होंने पहले इस मामले को सुना है, सहित के बहुमत के मत के अनुसार ऐसे बिंदु पर विनिश्चय किया जाएगा ।

(8) जहां उच्च न्यायालय ने इस धारा के अधीन दायर अपील में न्यायनिर्णय दे दिया है, तो ऐसे न्यायनिर्णय इसकी सत्यापित प्रतिलिपि के आधार पर किसी पक्ष द्वारा लागू किया जाएगा ।

(9) इस अधिनियम में अन्यथा से उपबंधित के सिवाय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 को केन्द्रीय अधिनिय 5) के उपबंध, जो उच्च न्यायालय को अपील करने से संबंधित हैं, जहां तक संभव हो, इस धारा के अधीन अपील के मामलों में लागू होंगे ।

उच्चतम न्यायालय को अपील।

**118.** (1) ऐसी अपील जो उच्चतम न्यायालय में होगी–

(क) अपील अधिकरण की राष्ट्रीय न्यायपीठ या प्रांतीय न्यायपीठों द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध; या

(ख) किसी भी मामले में धारा 117 के अधीन की गई अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध, जो इसकी स्वप्रेरणा या व्यथित पक्षकार द्वारा या उसके निमित्त किए गए आवेदन पर, न्यायनिर्णय या आदेश के पारित होने के तुरंत बाद, उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि उच्त्तम न्यायालय को अपील करने के लिए उचित मामला है ।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनिय 5) के उपबंध, जो उच्चतम न्यायालय को अपील करने से संबंधित हैं, जहां तक संभव हो, इस धारा के अधीन अपील के मामलों में उस तरह लागू होंगे जैसे उच्च न्यायालय की डिग्री की अपील के मामले में लागू होते हैं ।

(3) जहां उच्च न्यायालय का न्यायनिर्णय, अपील में बदला या उल्टा गया हो, वहां उच्चतम न्यायालय का आदेश उच्च न्यायालय के न्यायनिर्णय के मामले में धारा 117 में यथा उपबंधित रीति में लागू होगा।

अपील इत्यादि के होते हुए भी भुगतान की जाने वाली देय धन–राशि।

**119.** किसी बात के होते हुए भी, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई है, तो धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण की राष्ट्रीय या प्रांतीय न्यायपीठों द्वारा पारित किसी आदेश या धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण के राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों द्वारा पारित किसी आदेश या धारा 117 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप सरकार को दी जाने वाली देय धनराशि इस प्रकार पारित आदेश के अनुसार भुगतानयोग्य होगी।

कतिपय मामलों में अपील का दायर नहीं किया जाना।

**120.** (1) आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन राज्य कर के अधिकारी द्वारा दायर की जाने वाली अपील या आवेदन के विनियमन के प्रयोजनों के लिए ऐसी वित्तीय सीमा, जैसा वह उचित समझे, नियत करते हुए, समय–समय पर, आदेशों या अनुदेशों या निर्देशों को जारी कर सकता है।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में, राज्य कर का कोई अधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या आवेदन दायर नहीं करता है, तो यह राज्य कर के ऐसे अधिकारी को किसी अन्य मामले में अंर्तनिहित समान या समतुल्य मुद्दे या विधि के प्रश्न के विरुद्ध अपील या आवेदन दायर करने से नहीं रोकेगा ।

(3) किसी बात के होते हुए भी, यह तथ्य है कि उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर के किसी अधिकारी द्वारा कोई अपील या आवेदन दायर नहीं किया गया है, तो कोई व्यक्ति, अपील या आवेदन में पक्षकार होते हुए भी, दावा नहीं करेगा कि किसी अपील या आवेदन के दायर न किए जाने पर विवादित मुद्दे पर विनिश्चय से राज्य कर का अधिकारी अवगत था।

(4) अपील अधिकरण या न्यायालय ऐसी अपील या आवेदन को सुनते समय, उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर के अधिकारी द्वारा अपील या आवेदन दायर न किए जाने की परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।

गैर–अपीलीय विनिश्चय और आदेश ।

**121.** इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, राज्य कर के किसी अधिकारी द्वारा लिए गए किसी विनिश्चिय या पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी, यदि ऐसा लिया गया विनिश्चय या पारित आदेश निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक मामलों से संबंधित है अर्थात्:–

(क) कार्यवाहियों को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को सीधे अंतरित करने में सशक्त आयुक्त या अन्य प्राधिकारी के किसी आदेश; या

(ख) लेखा पुस्तक, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों को जब्त करने या रोके रखने से संबंधित किसी आदेश; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन अभियोजन की मंजूरी देने वाले किसी आदेश; या

(घ) धारा 80 के अधीन पारित किसी आदेश ।

## अध्याय 19

## अपराध और शास्तियां

कतिपय अपराधों के लिए शास्ति।

**122.** (1) जहां कोई कराधेय व्यक्ति जो–

(i) किसी बीजक के जारी किए बिना किसी माल या सेवा या दोनों का प्रदाय करता है या ऐसी किसी प्रदाय के संबंध में गलत या झूठा बीजक जारी करता है;

(ii) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में माल या सेवा या दोनों की प्रदाय किए बिना बीजक या बिल जारी करता है;

(iii) कर के रूप में किसी राशि का संग्रह करता है लेकिन उसको सरकार को, उस तिथि, जिसको ऐसा भुगतान देय हो गया है, से तीन मास की अवधि से परे उसका भुगतान करने में असफल रहता है;

(iv) इस अधिनियम के उपबंधों की उल्लंघना में किसी कर का संग्रह करता है लेकिन उसको सरकार को, उस तिथि, जिसको ऐसा भुगतान देय हो गया है, से तीन मास की अवधि से परे उसका भुगतान करने में असफल रहता है ;

(v) धारा 51 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती करने में असफल रहता है, या उक्त उपधारा के अधीन कटौती की जाने वाली अपेक्षित राशि से कम राशि की कटौती करता है, या जहां वह उपधारा (2) के अधीन सरकार को कर के रूप में संग्रह की गई राशि का भुगतान करने में असफल रहता है ;

(vi) धारा 52 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर संग्रह करने में असफल रहता है, या उक्त उपधारा के अधीन संग्रह की जाने वाली अपेक्षित राशि से कम राशि की कटौती करता है या जहां वह सरकार को धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन कर के रूप में संगृहीत की गई राशि का भुगतान करने में असफल रहता है;

(vii) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों की उल्लंघना में चाहे पूर्णतः या आंशिक रूप से माल या सेवाओं या दोनों की वास्तविक रसीद के बिना इनपुट कर प्रत्यय लेता या उपभोग करता है ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(viii) इस अधिनियम के अधीन कर की वापसी कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त करता है;

(ix) धारा 20 या इसके अधीन बनाए गए नियमों की उल्लंघना में इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है या बांटता है ;

(x) इस अधिनियम के अधीन देय कर के भुगतान का अपवंचन करने के आशय से वित्तीय अभिलेखों को बदलता है या झूठलाता है या फर्जी लेखों या दस्तातवेजों को प्रस्तुत करता है या किसी झूठी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करता है ;

(xi) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी है लेकिन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असफल रहता है ;

(xii) रजिस्ट्रकरण का आवेदन करते समय या उसके बाद रजिस्ट्रीकरण के विवरण के संबंध में कोई झूठी सूचना देता है ;

(xiii) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकता है या प्रवारित करता है ;

(xiv) इस निमित यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना किसी कराधेय माल का परिवहन करता है;

(xv) इस अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन के लिए अपने आवर्त को छिपाता है;

(xvi) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को रखने, बनाए रखने या प्रतिधारित करने में असफल रहता है ;

(xvii) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान झूठी सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है;

(xviii) ऐसे किन्हीं मालों का प्रदाय, परिवहन या भंडारण करता है जिसके लिए उसको विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि ये इस अधिनियम के अधीन जब्ती करने के लिए दायी हैं ;

(xix) किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण का प्रयोग करते हुए किसी बीजक या दस्तावेज को जारी करता है ;

(xx) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेजों से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है;

(xxi) किसी माल को निष्पादित या छेड़छाड़ करता है जो इस अधिनियम के अधीन रोका, जब्त या कुर्क किया हुआ है,

तो वह दस हजार रूपए या अपवंचित कर या धारा 51 के अधीन कटौती न किए गए या कम कटौती किए गए या कटौती किए गए परंतु सरकार को भुगतान नहीं किए गए कर या धारा 52 के अधीन संगृहीत नहीं किए गए या कम संगृहीत किए गए या संगृहीत किए गए परंतु सरकार को भुगतान नहीं किए गए कर या अनियमित रूप से प्राप्त किए गए या हस्तान्तरित किए गए या वितरित किए गए इनपुट कर प्रत्यय या कपटपूर्ण ढंग से दावा की गई वापसी के समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, की शास्ति के भुगतान के लिए दायी होगा।

(2) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय करता है जिन पर किसी कर का भुगतान नहीं किया है या कम भुगतान किया है या त्रुटिपूर्ण ढंग से वापस लिया है, या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत रूप से लिया है या उपयोग किया है,–

(क) कपट या किसी जानबूझकर मिथ्या अभिकथन या कर अपवंचना के लिए तथ्यों को छुपाया जाने से अन्यथा किसी कारण के लिए ऐसा व्यक्ति दस हजार रूपए या उसकी और देय कर का दस प्रतिशत, जो भी अधीक हो, की शास्ति के लिए दायी होगा ;

(ख) कपट या किसी जानबूझकर मिथ्या अभिकथन या कर अपवंचना के लिए तथ्यों को छुपाया जाने के कारण ऐसा व्यक्ति दस हजार रूपए या उसकी ओर देय कर के समतुल्य, जो भी अधीक हो, शास्ति के लिए दायी होगा।

(3) कोई व्यक्ति जो–

(क) उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (xxi) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी के लिए सहायता या दुष्प्रेरण करता है;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) किसी ऐसे माल का कब्जा प्राप्त करता है या उसके परिवहन, हटाने, जमा करने, रखने, छिपाने, प्रदाय करने या क्रय करने या किसी अन्य रीति में किसी प्रकार अपने को संबद्ध करता है, जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए नियमों के अधीन जब्ती के लिए दायी है;

(ग) किसी ऐसी सेवा को प्राप्त करता है या इसकी प्रदाय से किसी प्रकार संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा के किसी प्रदाय को करता है जिसके लिए वह जानता है या विश्वास करने का कारण है कि यह इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों की उल्लंघना है;

(घ) जब किसी जांच में साक्ष्य देने के लिए हाजिर होने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सम्मन जारी होने पर राज्य कर अधिकारी के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है;

(ङ) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार बीजक जारी करने में असफल रहता है या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक की प्रविष्टि करने में असफल रहता है,

तो ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपए तक बढाई जा सकती है।

सूचना विवरणी देने में असफल रहने पर शास्ति।

**123.** यदि कोई व्यक्ति जिससे धारा 150 के अधीन सूचना विवरणी देना अपेक्षित है, वह उसकी उपधारा (3) के अधीन जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है, तो समुचित अधिकारी निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के प्रत्येक दिन, जिसके दौरान ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है, के लिए एक सौ रूपए की शास्ति के लिए दायी होगाः

परंतु इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति पांच हजार से अधिक नहीं होगी ।

आंकड़े देने में असफल रहने पर जुर्माना।

**124.** यदि किसी व्यक्ति से धारा 151 के अधीन सूचना या विवरणी देने की अपेक्षा की गई है,–

(क) उस धारा के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी सूचना या विवरणी युक्तियुक्त कारण के बिना देने में असफल रहता है; या

(ख) कोई सूचना या विवरणी, जिसे वह जानता है कि झूठी है, को जानबूझ–कर प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत करवाता है,

तो वह ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रूपए तक हो सकता है और आगे अपराध जारी रहने की दशा में, प्रथम दिन के बाद प्रत्येक दिन, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पच्चीस हजार रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, के लिए अतिरिक्त जुर्माने से, जो एक सौ रूपए बढाया जा सकता है, दंडनीय होगा।

साधारण शास्ति ।

**125.** कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों, जिसके लिए इस अधिनियम में पृथक् रूप से कोई शास्ति उपबंधित नहीं है, का उल्लंघन करता है, तो ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपए तक बढ़ाई जा सकती है।

शास्ति से संबंधित साधारण अनुशासन।

**126.** (1) इस अधिनियम के अधीन कोई भी अधिकारी, कर विनियमन या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के छोटे भंग और विशिष्टतया दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती, जिसे आसानी से शुद्ध किया जा सकता है तथा जो कपटपूर्ण आशय या समग्र लापरवाही के बिना की गई हैं, के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं करेगा।

व्याख्या.–इस उपधारा के प्रयोजन के लिए–

(क) कोई भंग, जिसमें पांच हजार रूपए से कम का कर अंतर्वलित है, "छोटा भंग" माना जाएगा;

(ख) दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती, आसानी से शुद्ध की जा सकने वाली है, यदि वह अभिलेख पर कोई प्रत्यक्ष त्रुटि है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होगी तथा भंग की कोटि और गंभीरता के अनुपात में होगी ।

(3) किसी भी व्यक्ति पर, उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना, कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(4) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी, किसी विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षा के भंग के उद्देश्य से शास्ति अधिरोपित करते समय भंग की प्रकृति और लागू विधि, विनियम या प्रक्रियाएं, जिनके अधीन भंग के लिए शास्ति की राशि विनिर्दिष्ट की गई है, विनिर्दिष्ट करेगा।

(5) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अधिकारी द्वारा भंग की खोज से पहले कर विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षा के भंग की परिस्थितियां इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को स्वेच्छा प्रकट कर देता है, तो समुचित अधिकारी उस व्यक्ति के लिए शास्ति की गणना करते समय इस तथ्य पर न्यूनकारी घटक के रूप में विचार करेगा ।

(6) इस धारा के उपबंध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट शास्ति या तो नियत राशि है या नियत प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त है।

कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।

**127.** जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि कोई व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है और वह धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में नहीं आती है, तो वह ऐसे व्यक्ति को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति उदगृहीत करने का आदेश जारी कर सकता है।

शास्ति या शुल्क या दोनों के अधित्यजन करने की शक्ति ।

**128.** सरकार, अधिसूचना द्वारा, करदाताओं के ऐसे वर्ग के लिए धारा 122 या धारा 123 या धारा 125 में निर्दिष्ट किसी शास्ति या धारा 47 में निर्दिष्ट किसी विलंब फीस भागतः या पूर्णतः और परिषद् की सिफारिश पर उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी न्यूनीकरण परिस्थितियों के अधीन अधित्यजन कर सकती है।

अभिरक्षा, अभिग्रहण और माल की निर्मुक्ति तथा अभिवहन में प्रवहण।

**129.** (1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति किसी माल का परिवहन या माल का भंडारण करता है जब वे अभिवहन में इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों की उल्लंघना करते हैं, तो ऐसे सभी माल और उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधनों के रूप में प्रयुक्त प्रवहण और ऐसे माल और प्रवहण से संबंधित दस्तावेज अभिरक्षा में लेने या अभिग्रहण के लिए दायी होंगे तथा अभिरक्षा या अभिग्रहण के बाद निम्नलिखित आधारों पर निर्मुक्त किए जाएंगे,–

(क) ऐसे माल पर लागू कर और भुगतानयोग्य कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के भुगतान पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि या पच्चीस हजार रूपए, जो भी कम हो, के भुगतान पर, जहां माल का स्वामी ऐसे कर और शास्ति के भुगतान के लिए आगे आता है;

(ख) ऐसे माल पर लागू कर और उस पर भुगतान की गई कर राशि को कम करते हुए माल के मूल्य का पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति के भुगतान पर, और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर राशि या पच्चीस हजार रूपए, जो भी कम हो, के भुगतान पर, जहां माल का स्वामी ऐसे कर और शास्ति के भुगतान के लिए आगे नहीं आता है;

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में खंड (क) या खंड (ख) के अधीन भुगतानयोग्य राशि के बराबर प्रतिभूति देने परः

परंतु कोई भी ऐसे माल या प्रवहण, माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति को अभिरक्षा या अभिग्रहण के आदेश की तामील कराए बिना अभिरक्षा में नहीं लिया जाएगा या का अभिग्रहण नहीं किया जाएगा ।

(2) धारा 67 की उपधारा (6) के उपबंध, माल और प्रवहण की अभिरक्षा और अभिग्रहण को यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(3) माल या प्रवहण की अभिरक्षा या अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी, भुगतानयोग्य कर और शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और उसके पश्चात्, खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कर और शास्ति के भुगतान के लिए आदेश पारित करेगा ।

(4) संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना उप–धारा (3) के अधीन कोई भी कर, ब्याज या शास्ति अवधारित नहीं की जाएगी ।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि के भुगतान पर, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएंगी ।

(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी ऐसी अभिरक्षा या अभिग्रहण के सात दिन के भीतर उपधारा (1) में यथा उपबंधित कर और शास्ति की राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, तो आगे कार्यवाहियां धारा 130 के उपबंधों के अनुसार आरंभ की जाएंगीः

परंतु जहां अभिरक्षा या अभिग्रहण का माल शीघ्र नष्ट होने योग्य है या खतरनाक है या समय के साथ मूल्य में कमी होने की सम्भावना है, तो उक्त सात दिन की अवधि समुचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकती है।

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL CLARITY

माल या प्रवहण की जब्ती और शास्ति का उद्ग्रहण।

**130.** (1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति–

(i) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों की उल्लंघना में कर भुगतान के अपवंचन के आशय से माल की प्रदाय या प्राप्त करता है; या

(ii) किसी ऐसे माल के लिए लेखा नहीं रखता है जिस पर वह इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के लिए दायी है; या

(iii) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किए बिना इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी किसी माल की प्रदाय करता है; या

(iv) कर भुगतान के अपवंचन के आशय से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों की उल्लघंना करता है; या

(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों की उल्लंघना में माल को ढोने के लिए परिवहन साधन के रूप में किसी प्रवहण का प्रयोग करता है जब तक प्रवहण का स्वामी यह सिद्ध न कर दे कि यह स्वामी की स्वयं, उसके अभिकर्ता, यदि कोई हो और प्रवहण के कार्यप्रभारी व्यक्ति की जानकारी या मिलीभगत के बिना इस प्रकार प्रयोग किया गया है,

तब ऐसे सभी माल या प्रवहण जब्ती के लिए दायी होंगे और व्यक्ति धारा 122 के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा।

(2) जब कभी किसी माल या प्रवहण की जब्ती इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है, तो उसको न्यायनिर्णयन करने वाला अधिकारी माल के स्वामी को जब्ती के बदले में ऐसे जुर्माने, जो उक्त अधिकारी ठीक समझे, का भुगतान करने का विकल्प देगाः

परंतु उद्ग्रहणीय ऐसा जुर्माना, जब्त किए गए माल पर प्रभारित कर घटाने के पश्चात् उसके बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगाः

परंतु यह और कि उद्ग्रहणीय ऐसा जुर्माना और शास्ति, धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की राशि से कम नहीं होगीः

परंतु यह और कि जहां माल या भाड़े पर यात्रियों को ढोने में कोई ऐसा प्रवहण प्रयुक्त किया गया है, तो प्रवहण के स्वामी को प्रवहण की जब्ती के बदले में उसमें परिवहन किए जा रहे माल पर भुगतानयोग्य कर के बराबर जुर्माने का भुगतान करने का विकल्प दिया जाएगा।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी माल या प्रवहण की जब्ती के बदले में कोई जुर्माना अधिरोपित किया गया है, वहां ऐसे माल या प्रवहण का स्वामी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, इसके अतिरिक्त, ऐसे माल या प्रवहण के संबंध में भुगतानयोग्य कोई कर, शास्ति और प्रभारों के लिए दायी होगा।

(4) माल या प्रवहण की जब्ती या शास्ति के अधिरोपण के लिए कोई भी आदेश ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना जारी किया नहीं जाएगा ।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी माल या प्रवहण को जब्त कर लिया गया है, वहां ऐसे माल या प्रवहण का स्वामित्व उसके बाद सरकार में निहित हो जाएगा ।

(6) जब्ती के न्यायनिर्णयन का समुचित अधिकारी, जब्त वस्तुओं का कब्जा लेगा और को धारण करेगा तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी ऐसे समुचित अधिकारी की मांग पर ऐसा कब्जा लेने और धारण करने में उसका सहयोग करेगा ।

(7) समुचित अधिकारी, स्वयं के समाधान के बाद कि जब्त माल या प्रवहन इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में अपेक्षित नहीं है और जब्ती के बदले में जुर्माने का भुगतान करने हेतु तीन मास से अनधिक युक्तियुक्त समय देने के बाद, ऐसे माल या प्रवहण का निस्तारण करेगा और उसके विक्रय आगमों को सरकार के पास जमा करेगा।

जब्ती या शास्ति का अन्य दण्डों में बाधा नहीं डालना।

**131.** दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 केन्द्रीय अधिनियम 2)में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन की गई जब्ती या अधिरोपित शास्ति, किसी अन्य दंड, जिससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन दायी है, को प्रदान करने से नहीं रोकेगी।

**132.** (1) जो कोई भी निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है, अर्थात् — कतिपय अपराधों के लिए दंड ।

(क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों की उल्लंघना में किसी बीजक को जारी किए बिना किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय कर अपवंचन के आशय से करता है;

(ख) इनपुट कर प्रत्यय या कर की वापसी के अनुचित उपयोग या प्रयोग करते हुए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों की उल्लंघना में माल या सेवा या दोनों का प्रदाय कोई बीजक या बिल जारी किये बिना करता है;

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल का प्रयोग करते हुऐ इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है;

(घ) कर के रूप में कोई राशि संगृहीत करता है किन्तु उसे उस तिथि, जिसको ऐसा भुगतान देय हो जाता है, से तीन मास की अवधि से अधिक तक सरकार को भुगतान करने में असफल रहता है ;

(ङ) कर अपवंचन, कपट से इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करना या कपट से वापसी प्राप्त करना और जहां ऐसा अपराध खंड (क) से (घ) में नहीं आता है;

(च) इस अधिनियम के अधीन देय कर के भुगतान के अपवंचन के आशय से वित्तीय अभिलेखों को बदलता है या झूठलाता है या झूठे लेखा या दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है या कोई झूठी सूचना प्रस्तुत करता है;

(छ) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकता है या प्रवारित करता है;

(ज) किसी माल, जिसे वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जब्त करने के लिए दायी है, का कब्जा अर्जित करता है या परिवहन करने, हटाने, जमा करने, रखने, छिपाने, प्रदाय करने, क्रय करने या उसके संव्यवहार में किसी अन्य रीति में स्वयं को किसी तरह संबद्ध रखता है;

(झ) सेवाओं को प्राप्त करता है या सेवाओं की प्रदाय में किसी अन्य प्राकर से संबंद्ध रखता है, या सेवाओं की किसी प्रदाय के संव्यवहार में किसी अन्य रीति में लगा रहता है, जिसको वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में है;

(ञ) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है;

(ट) किसी सूचना को देने में असफल रहता है, जो उस द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दी जानी अपेक्षित है या (बिना युक्तियुक्त विश्वास सहित, जिसे सिद्ध करने का भार उस पर है कि उसके द्वारा दी गई सूचना सत्य है) झूठी सूचना देता है; या

(ठ) इस धारा के खंड (क) से (ट) में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी के कारित करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है, तो–

(i) जहां कर अपवंचन की राशि या गलत रूप से ली गई या प्रयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की राशि या गलत रूप से वापस प्राप्त की गई राशि पांच सौ लाख रूपए से अधिक है, तो ऐसे मामलों में, ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से ;

(ii) जहां कर अपवंचन की राशि या गलत रूप से ली गई या प्रयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की राशि या गलत रूप से वापस प्राप्त की गई राशि दो सौ लाख रूपए से अधिक है लेकिन पांच सौ लाख रूपए से अनधिक है, तो ऐसे मामलों में, ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकता है और जुर्माने से ;

(iii) जहां कर अपवंचन की राशि या गलत रूप से ली गई या प्रयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की राशि या गलत रूप से वापस प्राप्त की गई राशि एक सौ लाख रूपए से अधिक है लेकिन दो सौ लाख रूपए से अनधिक है, तो ऐसे मामलों में, ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकता है और जुर्माने से ;

COURT BOOK EMPOWERING LEGAL CLARITY

(iv) जहां वह खंड (च) या खंड (छ) या खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करता है या अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, तो ऐसे मामलों में, वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) जहां इस धारा के अधीन अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया कोई व्यक्ति पुनः इस धारा के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया है, तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

(3) उपधारा (1) के खंड (i), (ii) और (iii) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट कारावास, न्यायालय के न्यायनिर्णय में अभिलिखित किए जाने वाले प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों की अनुपस्थिति में, छह मास से कम अवधि का नहीं होगा ।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध, उपधारा (5) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय, असंज्ञेय और जमानतीय होंगे।

(5) उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट और उस उपधारा के खंड (i) के अधीन दंडनीय अपराध, संज्ञेय और गैर जमानतीय होंगे।

(6) कोई व्यक्ति आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा ।

**व्याख्या.**— इस धारा के प्रयोजन के लिए, पद "कर" में इस अधिनियम, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) के उपबन्धों के अधीन अपवंचित कर की राशि या गलत रूप से ली गई या प्रयुक्त की गई इनपुट कर प्रत्यय की राशि या गलत रूप से वापस प्राप्त की गई राशि तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 14) के अधीन उदगृहीत उपकर सम्मिलित है।

अधिकारियों और कतिपय अन्य व्यक्तियों का दायित्व।

**133.** (1) जहां धारा 151 के अधीन सांख्यिकियों के संग्रहण या उनके समेकन या कंप्यूटरीकरण के संबंध में लगा हुआ कोई व्यक्ति या यदि धारा 150 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना तक पहुंच रखने वाला राज्य कर का कोई अधिकारी या यदि समान पोर्टल पर सेवा के उपबंधों के संबंध में लगा कोई व्यक्ति या समान पोर्टल का अभिकर्ता, उक्त धाराओं के अधीन उसके कर्तव्यों के निष्पादन या इस अधिनियम के अधीन या तत्समय लागू किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के प्रयोजन से अन्यथा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत की गई किसी सूचना या विवरणी के अंश जानबूझकर प्रकट करता है, तो ऐसे कारावास से जो छह मास तक हो सकता है या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रूपए तक हो सकता है या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति,—

(क) जो सरकारी सेवक है, इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अभियोजित नहीं किया जाएगा;

(ख) जो सरकारी सेवक नहीं है, इस धारा के अधीन अपराध के लिए आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना अभियोजित नहीं किया जाएगा ।

अपराध का संज्ञान।

**134.** कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना नहीं लेगा और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई न्यायालय किसी ऐसे अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

आपराधिक मानसिक दशा का अनुमान ।

**135.** इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त के भाग पर आपराधिक मानसिक दशा अपेक्षित है, न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता का अनुमान लगाएगा, लेकिन यह अभियुक्त के लिए तथ्य सिद्ध करने के लिए एक बचाव होगा कि वह उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य के संबंध में ऐसी मानसिक दशा का नहीं था।

**व्याख्या**—इस धारा के प्रयोजनों हेतु,—

(i) "आपराधिक मानसिक दशा" अभिव्यक्ति में आशय, उद्देश्य, तथ्य का ज्ञान, और तथ्य में विश्वास या विश्वास करने का कारण सम्मिलित है;

(ii) तथ्य केवल तब सिद्ध किया हुआ कहा जाएगा जब न्यायालय इस पर युक्तियुक्त संदेह के बिना विश्वास करता है और जब इसकी विद्यमानता केवल संभाव्यता की प्राथमिकता द्वारा स्थापित नहीं है ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

**136.** इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के दौरान धारा 70 के अधीन जारी किसी सम्मन के संदर्भ में हाजिर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया और हस्ताक्षरित कथन, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में तथ्य की सत्यता सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा, जिसमें निम्नलिखित होगा– कतिपय परिस्थितियों के अधीन कथनों की सुसंगतता।

(क) जब किसी व्यक्ति, जिसने कथन किया है, की मृत्यु हो गयी है या मिल नहीं रहा है या साक्ष्य देने में अक्षम है या विरोधी पक्ष द्वारा दूर रखा गया है, या जिसकी उपस्थिति विलम्ब राशि या खर्च के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है, मामले की परिस्थितियों के अधीन न्यायालय अनुचित मानता है; या

(ख) जब किसी व्यक्ति, जिसने कथन किया है, का न्यायालय के समक्ष मामले में साक्षी के रूप में उसका परीक्षण किया गया है और न्यायालय का मत है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कथन को न्याय हित में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

**137.** (1) जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति एक कंपनी है, तो वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के लिए दोषी समझी जाएगी और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के दायी होंगे: कंपनियों द्वारा अपराध।

(2) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत या उनके भाग पर किसी लापरवाही की मौनानुकूलता से किया गया है, तो वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के दायी होंगे।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किसी भागीदारी फर्म या किसी सीमित दायित्व भागीदारी या किसी हिन्दू अविभक्त परिवार या किसी न्यास के होते हुए किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो भागीदार या कर्ता या प्रबन्ध न्यासी को उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का दायी होगा और ऐसे व्यक्तियों पर उपधारा (2) के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(4) इस धारा में दी गई कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड के लिए दायी नहीं बनाएगी, यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध की रोकथाम लिए सम्यक् तत्परता बरती थी ।

**व्याख्याः**– धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(i) "कंपनी" से अभिप्राय है, कोई निगमित निकाय और इसमें फर्म या व्यष्टियों का अन्य समूह भी शामिल हैं; और

(ii) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से अभिप्राय उस फर्म में भागीदार।

**138.** (1) इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध या तो अभियोजन के संस्थित करने से पूर्व या उसके पश्चात् अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, को ऐसी प्रशमन राशि का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, भुगतान करने पर आयुक्त द्वारा प्रशमित किया जा सकता है : अपराधों का प्रशमन।

परंतु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी–

(क) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट अपराधों और खंड (ठ) में विनिर्दिष्ट अपराधों, जो उक्त उपधारा के खंड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट अपराधों से संबंधित हैं, में से किसी अपराध के संदर्भ में एक बार प्रशमित होने के लिए अनुज्ञात किया गया है ;

(ख) कोई व्यक्ति, जो एक करोड़ रूपए से अधिक मूल्य की प्रदाय के संबंध में इस अधिनियम के अधीन या किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) के उपबंधों के अधीन खंड (क) से भिन्न किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमित होने के लिए अनुज्ञात किया गया है ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ग) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने वाला अभियुक्त है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी कोई अपराध है;

(घ) कोई व्यक्ति, जो किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है ;

(ङ) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (छ) या खंड (ञ) या खंड (ट) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध करने वाला अभियुक्त है; और

(च) व्यक्तियों या अपराधों का कोई अन्य वर्ग जो विनिर्दिष्ट किया जाएः

परंतु यह और कि इस धारा के उपबंधों के अधीन अनुज्ञात कोई प्रशमन किसी अन्य विधि के अधीन संस्थित कार्यवाहियों, यदि कोई हों, पर प्रभाव नहीं डालेगाः

परंतु यह और कि ऐसे अपराधों में केवल अंतर्वलित कर, ब्याज और शास्ति का भुगतान करने के पश्चात् प्रशमन अनुज्ञात होगा ।

(2) इस धारा के अधीन अपराधों के प्रशमन के लिए राशि, ऐसी होगी जो न्यूनतम राशि जो दस हजार रूपए से कम न हों या शामिल कर का पचास प्रतिशत, जो भी अधिक हो, और अधिकतम राशि, जो तीस हजार रूपए से कम से कम न हो या कर का एक सौ पचास प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के अध्यधन विहित की जाए।

(3) आयुक्त द्वारा अवधारित ऐसी प्रशमन राशि के भुगतान पर, अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन, उसी अपराध के लिए आगे कोई कार्यवाही संस्थित नहीं होगी और अन्य दांडिक कार्यवाहियां, यदि उक्त अपराध के संबंध में पहले से ही संस्थित हैं, समाप्त हो जांएगी।

## अध्याय XX

## संक्रमणकालीन उपबंध

विद्यमान करदाताओं का प्रवर्जन ।

**139.** (1) नियत दिन से ही विद्यमान विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत और विधिमान्य स्थायी खाता संख्या रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनन्तिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, जिसे जब तक उपधारा (2) के अधीन अन्तिम प्रमाणपत्र द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता, रद्दकरण के लिए दायी होगा, यदि इस प्रकार विहित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है।

(2) रजिस्ट्रीकरण का अंतिम प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, प्रदान किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया नहीं समझा जाएगा यदि उक्त रजिस्ट्रीकरण ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में रद्द किया गया है कि वह धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था ।

इनपुट कर प्रत्यय के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं।

**140.** (1) धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विद्यमान विधि के अधीन उसके द्वारा नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, मूल्य वर्धित कर की राशि, यदि कोई हो, के प्रत्यय को अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में अग्रनीत करने का हकदार होगाः

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्यय लेने हेतु अनुज्ञात नहीं होगा, अर्थात्:—

(i) जहां प्रत्यय की उक्त राशि इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं है; या

(ii) जहां वह नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती छह मास की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां प्रस्तुत नहीं करता है ; या

(iii) जहां प्रत्यय की उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी वापसी के दावे करने वाली ऐसी छूट की अधिसूचना के अधीन बेचे गए मालों से सम्बन्धित हैः

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परंतु यह और कि उक्त प्रत्यय की उतनी राशि, जो केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 74) की धारा 3, धारा 5 की उपधारा (3), धारा 6, धारा 6क या धारा 8 की उपधारा (8) से संबंधित किसी ऐसे दावे के कारण है, जिसे केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति और अवधि के भीतर सिद्ध नहीं किया गया है, इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय खाते में जमा किए जाने की पात्र नहीं होगीः

परंतु यह और कि दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रत्यय के समतुल्य राशि का उस समय विद्यमान विधि के अधीन प्रतिदाय किया जाएगा जब उक्त दावों को केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति में सिद्ध कर दिया जाता है ।

(2) धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने का विकल्प देने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, पूंजी माल के संबंध में अनुपयुक्त इनपुट कर प्रत्यय की जमा, जो उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन, नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी में अग्रनीत नहीं है, ऐसी विहित रीति में, जो विहित की जाए, अपने इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय खाते में लेने लिए हकदार होगाः

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय उक्त प्रत्यय को जब तक प्रत्यय करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा जब तक इस अधिनियम के अधीन भी इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं है ।

**व्याख्या.–** इस धारा के प्रयोजन के लिए "अनुपयुक्त इनपुट कर प्रत्यय" अभिव्यक्ति से अभिप्राय है, इनपुट कर प्रत्यय की कुलयोग राशि, जिसके लिए उक्त व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन पूंजीगत मालों के संबंध में हकदार था, से विद्यमान विधि के अधीन कराधेय व्यक्ति द्वारा पूंजीगत मालों के संबंध पहले से ली गई इनपुट कर प्रत्यय की राशि घटाने के बाद शेष बची राशि।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था या जो किसी विद्यमान विधि के अधीन छूट प्राप्त माल या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, या ऐसे मालों, जिन पर राज्य में उनके विक्रय के प्रथम बिन्दु पर कर लगाया गया है और जिनका पश्चात्वर्ती विक्रय राज्य में कर के अध्यधीन नहीं है, के विक्रय में लगा था, किंतु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं या जहां व्यक्ति मालों, यदि कोई हों, के विक्रय के समय इनपुट कर के प्रत्यय के लिए हकदार था, अपने इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय खातों में स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टाक में धारित अर्ध–निर्मित इनपुटों या निर्मित मालों के संबंध में नियत दिन को मूल्य वर्धित कर के प्रत्यय के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, हकदार होगा, अर्थात्ः–

(i) इस अधिनियम के अधीन कराधेय प्रदाय करने के लिए ऐसे इनपुट या माल उपयोग किए गए हैं या उपयोग किए जाने के लिए के आशयित हैं;

(ii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे इनपुट पर इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है ;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे इनपुटों के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर के भुगतान के साक्ष्य के रूप में अपने कब्जे में बीजक या ऐसे अन्य विहित दस्तावेज रखता है ;

(iv) ऐसे बीजक या विहित दस्तावेज नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती बारह मासों से पूर्वतर जारी नहीं किए गए थेः

परंतु जहां किसी विनिर्माता या सेवाओं के प्रदाता से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इनपुटों के संबंध में कर के भुगतान के साक्ष्य के रूप में कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज नहीं रखता है, तब ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों, सीमाओं और सुरक्षा उपायों, जो विहित किए जाएं, के अध्यधीन होगा, जिसके अंतर्गत उक्त कराधेय व्यक्ति, मूल्यों में कमी करते हुए प्राप्तकर्ता को ऐसे प्रत्यय का लाभ पहुंचायेगा, को ऐसी दर पर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रत्यय अनुज्ञात होगा।

(4) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विद्यमान विधि के अधीन ऐसे कराधेय मालों के साथ–साथ छूट प्राप्त मालों या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, में लगा हुआ था, किंतु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं, निम्न अनुसार प्रत्यय को अपने इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय खाते में लेने का हकदार होगा,–

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(क) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन प्रस्तुत की गई किसी विवरणी में अग्रनीत मूल्य वर्धित कर के प्रत्यय की राशि, यदि कोई हो ; और

(ख) उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार ऐसे छूट प्राप्त मालों या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, के संबंध में नियत दिन को स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टॉक में धारित अर्ध–निर्मित इनपुटों या निर्मित मालों के संबंध में मूल्य वर्धित कर के प्रत्यय की राशि, यदि कोई हो।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुटों के सबंध में अपने इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय में मूल्य वर्धित कर का प्रत्यय, यदि कोई हो, लेने का हकदार होगा, किंतु जिसके संबंध में कर का भुगतान विद्यमान विधि के अधीन प्रदाता द्वारा किया गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसके बीजक या किसी अन्य कर भुगतान संबंधी दस्तावेज को नियत दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में अभिलिखित किया गया थाः

परंतु तीस दिन की अवधि पर्याप्त कारण दर्शित करने पर आयुक्त द्वारा और तीस दिन की अनधिक अवधि के लिए विस्तारित की जा सकती है :

परंतु यह और कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्यय के संबंध में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विवरणी प्रस्तुत करेगा कि इस उपधारा के अधीन लिया गया है।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो या तो किसी नियत दर पर कर का भुगतान करता था या विद्यमान विधि के अधीन भुगतानयोग्य कर के बदले में नियत राशि का भुगतान करता था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिन को अपने स्टॉक में धारित इनपुटों या स्टॉक में धारित अर्धनिर्मित इनपुटों या निर्मित मालों के संबंध में मूल्य वर्धित कर का प्रत्यय अपने इलेक्ट्रोनिक प्रत्यय खाते में लेने का हकदार होगा, अर्थातः–

(i) ऐसे इनपुट या माल इस अधिनियम के अधीन कराधेय प्रदाय करने के लिए उपयोग किए गए हैं या उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं;

(ii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर भुगतान नहीं करता है ;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है ;

(iv) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इनपुटों के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर के भुगतान के साक्ष्य के रूप में अपने कब्जे में बीजक या अन्य विहित दस्तावेज रखता है ; और

(v) ऐसे बीजक और अन्य विहित दस्तावेज नियत तिथि से ठीक पूर्ववर्ती बारह मासों से पूर्वतर जारी नहीं किए गए थे ।

(7) उपधारा (3), (4) और (6) के अधीन प्रत्यय की राशि ऐसी रीति में संगणित की जाएगी, जो विहित की जाए ।

छुटपुट कार्य के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध।

**141.** (1) जहां कारबार के स्थान पर प्राप्त किसी इनपुट को नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार ऐसे रूप में प्रेषित किया गया है या आगे प्रसंस्करण, जांच, मरम्मत, पुनर्नुकूलन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी छुटपुट कर्मकार को आंशिक रूप से प्रसंस्करण के पश्चात् प्रेषित किया गया है और ऐसे इनपुटों को उक्त स्थान पर नियत दिन को या उसके पश्चात् वापस भेजा जाता है, तो उस पर कोई कर भुगतानयोग्य नहीं होगा, यदि ऐसे इनपुटों को, छुटपुट कार्य के पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा, नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर वापस भेज दिया जाता हैः

परन्तु छह मास की अवधि, पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर, आयुक्त द्वारा दो मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ायी जा सकती हैः

परन्तु यह और कि यदि ऐसे इनपुट इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाए जाते हैं, तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किये जाने का दायी होगा।

(2) जहां कोई अर्ध–निर्मित माल कारबार के स्थान से नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार कतिपय विनिर्माणकारी प्रक्रियाएँ करने के लिए किन्हीं अन्य परिसरों को प्रेषित किया गया था और ऐसा माल (जिसे, इसके पश्चात्, इस उपधारा में "उक्त माल" कहा गया है) नियत दिन को या उसके पश्चात् उक्त स्थान को वापिस लौटाया जाता है, तो उस पर कोई कर भुगतानयोग्य नहीं होगा यदि उक्त माल, विनिर्माणकारी प्रक्रियाएं करने या अन्यथा के पश्चात्, नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान को लौटा दिया जाता हैः

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परन्तु छह मास की अवधि, पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर, आयुक्त द्वारा दो मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है:

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार में वसूल करने के लिए दायी होगा:

परन्तु यह और कि मालों को प्रेषित करने वाला व्यक्ति, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भारत में कर के भुगतान पर अथवा निर्यात के लिए कर के भुगतान के बिना प्रदाय करने के प्रयोजन के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसरों में उक्त मालों को अंतरित कर सकता है।

(3) जहां किन्हीं मालों का कारबार के स्थान से परीक्षण कराए जाने या किसी अन्य प्रक्रिया के लिए कर के भुगतान के बिना नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत अथवा अरजिस्ट्रीकृत किसी अन्य परिसर में प्रेषित किया गया था और ऐसे माल नियत दिन को अथवा उसके पश्चात् उक्त परिसर में वापस किए जाते हैं, तो कोई कर भुगतान नहीं होगा, यदि उक्त माल, परीक्षण के अधीन अथवा किसी अन्य प्रक्रिया के बाद, नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर वापस किए जाते हैं:

परन्तु छह मास की अवधि, पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर, आयुक्त द्वारा दो मास से अनधिक अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है:

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किए जाते हैं, तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार वसूल करने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह और कि मालों को प्रेषित करने वाला व्यक्ति, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भारत में कर के भुगतान पर अथवा निर्यात के लिए कर के भुगतान के बिना उक्त अन्य परिसरों से उक्त मालों को अंतरित कर सकता है।

(4) उपधारा (1), (2) और (3) के अधीन कर केवल उस समय भुगतान नहीं होगा, यदि मालों को प्रेषित करने वाला व्यक्ति और छुटपुट–कर्मकार ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, नियत दिन को उक्त व्यक्ति की ओर से छुटपुट–कर्मकार द्वारा स्टॉक में रखे इनपुटों या मालों के ब्यौरे की घोषणा करता है।

**142.** (1) जहां कोई ऐसे माल, जिन पर कर, यदि कोई हो, उसके विक्रय के समय पर विद्यमान विधि के अधीन भुगतान किया गया था, नियत दिन से छह मास पूर्व से पहले के नहीं हैं, तो नियत दिन के पश्चात् कारबार के स्थान पर वापस किए जाते हैं, तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन भुगतान किए गए कर को वापस लेने का पात्र होगा, जहां ऐसे माल नियत दिन से छह मास की अवधि के भीतर कारबार के उक्त स्थान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को वापस किए जाते हैं तथा ऐसे माल समुचित अधिकारी द्वारा संतोषजनक रूप में पहचान योग्य है: प्रकीर्ण संक्रमणकालीन उपबंध।

परन्तु यदि उक्त माल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा वापस किए जाते हैं, तो ऐसे मालों की वापसी प्रदाय के रूप में समझी जाएगी ।

(2) (क) जहां नियत दिन से पूर्व की गई किसी संविदा के अनुसरण में, किसी माल का मूल्य नियत दिन को अथवा इसके पश्चात् उससे पूर्व ऊपर की ओर पुनरीक्षित किया जाता है, तो ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसे मालों का विक्रय किया था, ऐसा पुनरीक्षण मूल्य तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसी विशिष्टियों, जो विहित की जाएं, में अंतर्विष्ट अनुपूरक बीजक अथवा डेबिट नोट प्राप्तकर्ता को जारी करेगा तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक अथवा डेबिट नोट को इस अधिनियम के अधीन की गई जावक प्रदाय के संबंध में जारी किया समझा जाएगा।

(ख) जहां, नियत दिन से पूर्व की गई किसी संविदा के अनुसरण में, किसी माल का मूल्य नियत दिन को अथवा इसके पश्चात् नीचे की ओर पुनरीक्षित किया जाता है, तो ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसने ऐसे मालों का विक्रय किया था, ऐसा पुनरीक्षित मूल्य तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसी विशिष्टियों, जो विहित की जाएं, में अंतर्विष्ट क्रेडिट नोट प्राप्तकर्ता को जारी करेगा तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे क्रेडिट नोट को इस अधिनियम के अधीन की गई जावक प्रदाय के संबंध में जारी किया समझा जाएगा :

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को केवल क्रेडिट नोट के जारी किए जाने पर उसके कर दायित्व को कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा यदि क्रेडिट नोट का प्राप्तकर्ता, कर दायित्व के ऐसे कम करने के लिए तत्स्थानी उसका इनपुट कर प्रत्यय घटाता है।

(3) नियत दिन से पूर्व, को या के पश्चात् विद्यमान विधि के अधीन भुगतान किए गए इनपुट कर प्रत्यय, कर, ब्याज अथवा कोई अन्य राशि के प्रतिदाय हेतु किसी व्यक्ति द्वारा दायर किए गए प्रतिदाय के लिए प्रत्येक दावा विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार निष्पादित किया जायेगा और उसके लिए प्रोदभूत की गई पारिणामिक किसी राशि का उक्त विधि के उपबन्धों के अनुसार उसे नगद भुगतान किया जाएगा :

परन्तु जहां इनपुट कर प्रत्यय की राशि के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा भागतः अस्वीकार किया जाता है, तो इस प्रकार अस्वीकृत राशि व्यपगत हो जाएगीः

परन्तु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय की किसी राशि का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत दिन को उक्त राशि के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है।

(4) नियत दिन से पूर्व या के पश्चात् निर्यात किए गए मालों के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन भुगतान किए गए किसी कर के प्रतिदाय हेतु नियत दिन के पश्चात् दायर किए गए प्रतिदाय हेतु प्रत्येक दावा, विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार निष्पादित किया जाएगाः

परन्तु जहां इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा भागतः अस्वीकार किया जाता है, तो इस प्रकार अस्वीकृत राशि व्यपगत हो जाएगीः

परन्तु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय की किसी राशि का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत दिन को उक्त राशि के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है।

(5) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, नियत दिन से पूर्व उलट दिए गए इनपुट कर प्रत्यय की कोई राशि, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी ।

(6) (क) विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए दावे के संबंध में संस्थित प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण, पुर्नविलोकन अथवा संदर्भ की प्रत्येक कार्यवाही, चाहे वह नियत दिन के पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, का निष्पादन विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा, तथा दावा करने वाले के लिए स्वीकार की गई पायी जाने वाली प्रत्यय की किसी राशि का विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार उसको नगद प्रतिदाय किया जाएगा और राशि, जो अस्वीकार की गई है, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगीः

परन्तु इनपुट कर प्रत्यय की किसी राशि का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत दिन को उक्त राशि के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है;

(ख) विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के संबंध में संस्थित प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन अथवा सन्दर्भ की प्रत्येक कार्यवाही, चाहे वह नियत दिन के पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, का निष्पादन विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा तथा यदि किसी प्रत्यय की राशि ऐसी अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या सन्दर्भ के परिणामस्वरूप वसूलीयोग्य है, तो विद्यमान विधि के अधीन जब तक उसकी वसूली नहीं कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और इस प्रकार वसूल की गई राशि इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(7) (क) विद्यमान विधि के अधीन किसी आउटपुट कर दायित्व के संबंध में संस्थित प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन अथवा सन्दर्भ की प्रत्येक कार्यवाही चाहे वह नियत दिन से पूर्व को या के पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, का निष्पादन विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा तथा यदि कोई राशि ऐसी अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या सन्दर्भ के परिणाम स्वरूप वसूलीयोग्य है, तो विद्यमान विधि के अधीन जब तक उसकी वसूली नहीं कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और इस प्रकार वसूल की गई राशि इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) विद्यमान विधि के अधीन किसी आउटपुट कर दायित्व के संबंध में संस्थित प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन अथवा सन्दर्भ की प्रत्येक कार्यवाही, चाहे वह नियत दिन से पूर्व, को या के पश्चात् की गई हो, का निष्पादन विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा तथा दावाकर्ता को अनुज्ञेय पाई जाने वाली कोई राशि विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार उसे नगद प्रतिदाय की जाएगी और अस्वीकार की गई राशि, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(8) (क) जहां विद्यमान विधि के अधीन चाहे नियत दिन से पूर्व अथवा को अथवा पश्चात् संस्थित निर्धारण या न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों के अनुसरण में कर, ब्याज, जुर्माना अथवा शास्ति की कोई राशि किसी व्यक्ति से वसूलयोग्य हो गई है, तो विद्यमान विधि के अधीन जब तक उसकी वसूली नहीं कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूली जाएगी तथा इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार वसूल की गई राशि इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी;

(ख) जहां विद्यमान विधि के अधीन संस्थित किसी निर्धारण अथवा न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों के अनुसरण में, चाहे वह नियत दिन से पूर्व, को या बाद में कर, ब्याज, जुर्माना अथवा शास्ति की कोई राशि कराधेय व्यक्ति को प्रतिदाययोग्य हो जाती है, तो उसे उक्त विधि के अधीन नकद प्रतिदाय की जाएगी तथा अस्वीकृत राशि, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी ।

(9) (क) जहां विद्यमान विधि के अधीन प्रस्तुत की गई कोई विवरणी, नियत दिन के पश्चात् पुनरीक्षित की जाती है, और यदि, ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में, कोई राशि वसूलीयोग्य पायी जाती है अथवा इनपुट कर प्रत्यय की कोई राशि अनुज्ञेय नहीं पायी जाती है, तो विद्यमान विधि के अधीन तब तक उसकी वसूली नहीं कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूली की जाएगी और इस प्रकार वसूल की गई राशि इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी ।

(ख) जहां विद्यमान विधि के अधीन प्रस्तुत की गई कोई विवरणी, नियत दिन के पश्चात किन्तु विद्यमान विधि के अधीन ऐसे पुनरीक्षण हेतु निर्दिष्ट समय सीमा में पुनरीक्षित की जाती है, और यदि, ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में, कोई राशि वापसीयोग्य पायी जाती है अथवा इनपुट कर प्रत्यय किसी कराधेय व्यक्ति को अनुज्ञेय पायी जाती है, तो विद्यमान विधि के अधीन उसे नकद में वापस की जाएगी तथा अस्वीकृत राशी, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(10) इस अध्याय में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, नियत दिन से पूर्व की गई किसी संविदा के अनुसरण में नियत दिन को या के पश्चात् माल या सेवा अथवा दोनों का प्रदाय इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर के लिए दायी होगा ।

(11) (क) धारा 12 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन माल पर कोई कर उस सीमा तक भुगतानयोग्य नहीं होगा जिस सीमा तक वह हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) के अधीन उक्त माल पर उद्गृहीत किया गया था ;

(ख) धारा 13 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सेवा पर कोई कर उस सीमा तक भुगतानयोग्य नहीं होगा जिस सीमा तक वह वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम 32), के अध्याय V के अधीन उक्त सेवाओं पर उद्गृहीत किया गया था ;

(ग) जहां दोनों हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) के अधीन और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम 32), के अध्याय V के अधीन किसी प्रदाय पर कर का भुगतान किया गया था, इस अधिनियम के अधीन कर उद्गृहीत किया जाएगा तथा कराधेय व्यक्ति नियत दिन के पश्चात् किए गए प्रदायों की सीमा तक विद्यमान विधि के अधीन मूल्य वर्धित कर या सेवा कर को प्रत्यय के रूप में लेने का हकदार होगा तथा ऐसा प्रत्यय ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में संगणित किया जाएगा।

(12) जहां कोई माल नियत दिन से पूर्व छह मास से अनधिक के अनुमोदन के आधार पर भेजा जाता है, तो क्रेता द्वारा अस्वीकृत किया जाता है या अनुमोदित नहीं किया जाता है और नियत दिन को अथवा के पश्चात् विक्रेता को वापस किया जाता है, तो उस पर कोई कर भुगतानयोग्य नहीं होगा यदि ऐसा माल नियत दिन से छह मास की अवधि के भीतर वापस किया जाता है:

परन्तु छह मास की उक्त अवधि, पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर, आयुक्त द्वारा दो मास से अनधिक अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है:

परन्तु यह और कि माल वापस करने वाले व्यक्ति द्वारा कर भुतानयोग्य होगा यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी होता है तथा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् वापस किया जाता है:

परन्तु यह और कि कर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा भुगतान किया जाएगा जिसने अनुमोदन के आधार पर माल को भेजा है यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी है, तथा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है ।

(13) जहां प्रदायकर्ता ने माल का कोई विक्रय किया है जिसके संबंध में हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था और नियत दिन से पूर्व उसके लिए बीजक भी जारी किया गया है, धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कोई कटौती उक्त धारा के अधीन कटौतीकर्ता द्वारा नहीं की जाएगी जहां उक्त प्रदायकर्ता को भुगतान नियत तिथि को या इसके पश्चात् किया जाता है।

(14) जहां प्रधान से संबंधित कोई माल या पूंजी माल नियत दिन को अभिकर्ता के परिसरों में रखा है, अभिकर्ता निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए ऐसे मालों या पूंजी माल पर भुगतान किए गए कर का प्रत्यय लेने के लिए हकदार होगा:

(i) अभिकर्ता इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति है;

(ii) प्रधान और अभिकर्ता, दोनों ही नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन को ऐसे अभिकर्ता के पास रखे मालों या पूंजी मालों के स्टॉक के ब्यौरों की घोषणा ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर करते हैं, जो इस निमित्त विहित किया जाए;

(iii) ऐसे मालों या पूंजी मालों के लिए बीजक नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती बारह मासों से पूर्व जारी नहीं किए गए थे ; और

(iv) प्रधान ने या तो ऐसे,––

(क) मालों ; या

(ख) पूंजी मालों,

के संबंध में या तो इनपुट कर प्रत्यय को वापस कर दिया है या प्राप्त नहीं किया है या ऐसा प्रत्यय प्राप्त करने के पश्चात् उक्त प्रत्यय, उसके द्वारा प्राप्त सीमा तक वापस कर दिया गया है।

**व्याख्या.–** इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए "पूंजी माल" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा, जो उसका हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003 (2003 का 6) में दिया गया है।

## अध्याय XXI

## प्रकीर्ण

छुटपुट कार्य की प्रक्रिया ।

**143.** (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे, इसमें, इसके पश्चात् इस धारा में ''प्रधान'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), सूचना के अधीन और ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाएं, छुटपुट कार्य के लिए छुटपुट कर्मकार को कर के भुगतान के बिना कोई इनपुट अथवा पूंजी माल भेज सकता है, तथा वहां से उसके बाद किसी अन्य छुटपुट कर्मकार और इसकी प्रकार भेज सकता है, तथा,–

(क) छुटपुट कार्य अन्यथा से पूरा हो जाने के पश्चात् इनपुट या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों या औजारों से भिन्न पूंजीगत माल को उसके किसी भी कारबार के स्थान से उनके भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर कर के भुगतान के बिना वापस लाएगा;

(ख) छुटपुट कार्य या अन्यथा से पूरा हो जाने के पश्चात् इनपुट या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों से भिन्न पूंजीगत माल के कर भुगतान पर भारत के भीतर अथवा निर्यात के लिए कर भुगतान अथवा कर के भुगतान के बिना, जैसी स्थिति हो, छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से उसके किसी स्थान पर उनके भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर प्रदाय करेगा:

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परन्तु प्रधान इस खंड के उपबन्धों के अनुसार छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से माल का प्रदाय तब तक नहीं करेगा जब तक उक्त प्रधान द्वारा निम्नलिखित मामले के सिवाए, छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान को उसके कारबार का अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषणा नहीं करता है,

(i) जहां छुटपुट कर्मकार धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; अथवा

(ii) जहां प्रधान ऐसे माल के प्रदाय में लगा हुआ है जैसा कि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है ।

(2) इनपुट अथवा पूंजीगत माल के लिए लेखों का उचित रख–रखाव का उत्तरदायित्व प्रधान का होगा।

(3) जहां छुटपुट कार्य हेतु भेजा गया इनपुट उपधारा (1) के खंड (क) के उपबन्धों के अनुसार छुटपुट कार्यों के पूरा होने के पश्चात् अथवा अन्यथा से प्रधान द्वारा वापस नहीं लिया जाता है अथवा उसके बाहर भेजे जाने के एक वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबन्धों के अनुसार छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से प्रदाय नहीं किया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि ऐसे इनपुट प्रधान द्वारा उस दिन को छुटपुट कर्मकार को प्रदाय किए गए थे, जब उक्त इनपुट बाहर भेजे गए थे ।

(4) जहां छुटपुट कार्य हेतु सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों या औजारों से भिन्न भेजे गए पूंजी माल उपधारा (1) के खंड (क) के उपबन्धों के अनुसार प्रधान द्वारा वापस नहीं लिए जाते हैं अथवा उसके बाहर भेजे जाने की तीन वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबन्धों के अनुसार छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से प्रदाय नहीं किए जाते हैं, तो यह समझा जाएगा कि ऐसे पूंजी माल प्रधान द्वारा छुटपुट कर्मकार को उस दिन प्रदाय किए गए थे, जब उक्त पूंजी माल बाहर भेजे गए थे ।

(5) उपधारा (1) और उपधारा (2) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, छुटपुट कार्य के दौरान किसी अपशिष्ट और उत्पादित स्क्रेप पर कर के भुगतान पर उसके कारबार के स्थान से सीधे छुटपुट कर्मकार के द्वारा प्रदाय किया जा सकता है, यदि ऐसा छुटपुट कर्मकार रजिस्ट्रीकृत है, अथवा यदि छुटपुट कर्मकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है, तो प्रधान द्वारा प्रदाय किया जाएगा ।

**व्याख्या.**– छुटपुट कार्य के उद्देश्यों हेतु, इनपुट में प्रधान या किसी छुटपुट कर्मकार द्वारा इनपुट पर कार्यान्वित उपचार या प्रक्रिया से उद्भूत होने वाले मध्यवर्ती माल सम्मिलित हैं ।

**144.** जहां कोई दस्तावेज– कतिपय मामलों में दस्तावेजों के बारे में उपधारणा।

(i) इस अधिनियम अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है; अथवा

(ii) इस अधिनियम अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण से अभिग्रहण किया गया है; अथवा

(iii) इस अधिनियम अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के क्रम में भारत से बाहर किसी स्थान से प्राप्त किया गया है,

और ऐसा दस्तावेज उसके अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसने उससे संयुक्त होने का प्रयास किया हो, के विरुद्ध अभियोजन साक्ष्य है, तो न्यायालय–

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, उपधारणा की जाएगी–

(i) ऐसे दस्तावेज की अंतर्वस्तु की सत्यता;

(ii) कि हस्ताक्षर और ऐसे दस्तावेज का प्रत्येक अन्य भाग जिसका तात्पर्य किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा हस्तलिखित हो अथवा जिसे न्यायालय ने उचित कारणों के लिए हस्ताक्षर कराया हो अथवा किसी विशेष व्यक्ति द्वारा हस्तलिखित किया गया हो और ऐसे निष्पादन या अभिप्रमाणित दस्तावेज की दशा में, कि यह ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित या अनुप्रमाणित किया गया है जिसके द्वारा यह इस प्रकार निष्पादित या अभिप्रमाणन किया जाना तात्पर्यित है;

(ख) किसी बात के होते हुए भी कि यह सम्यक् स्टांपित नहीं है, साक्ष्य में दस्तावेज स्वीकार करेगा, यदि ऐसा दस्तावेज साक्ष्य में अन्यथा ग्राह्य है ।

COURT BOOK

माईक्रो फिल्मों, दस्तावेजों की प्रतिकृति प्रतियों और कम्प्यूटर प्रिंट आउट की दस्तावेजों के रूप में और साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता ।

**145.** (1) तत्समय किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी,–

(क) किसी माईक्रोफिल्म में लगा हुआ चित्र या चित्रों के पुर्नउत्पादन या दस्तावेजों की माईक्रोफिल्म (चाहे वह बड़ी हो अथवा नहीं); या

(ख) किसी दस्तावेज की प्रतिकृति प्रति; या

(ग) किसी दस्तावेज में अन्तर्विष्ट कोई विवरण और जिसमें किसी कम्प्यूटर द्वारा जनित कोई मुद्रित सामग्री भी शामिल है, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जाए; या

(घ) किसी युक्ति या संचार माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रूप से भंडारित कोई सूचना, जिसमें ऐसी सूचना की हार्डप्रतियां भी शामिल है,

को इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रयोजन के लिए एक दस्तावेज के रूप में समझा जाएगा और उसके अधीन किसी कार्यवाही में, किसी और सबूत या मूल दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के बिना ऐसे ग्राह्य होगा, जैसे मूल दस्तावेज की कोई विषय–वस्तु के साक्ष्य के रूप में या उसमें कथित कोई तथ्य या प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हो ।

(2) इस अधिनियम तथा/या इसके अधीन बनाने गये नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में, इस धारा के आधार पर साक्ष्य में कथन करने की अपेक्षा की गयी है, कोई प्रमाणपत्र,–

(क) कथन अर्न्तविष्ट दस्तावेज को परिलक्षित करता है और उस रीति का वर्णन करता है जिसमें से इसे लिया गया है;

(ख) उस दस्तावेज को बनाने में शामिल किसी युक्ति की ऐसी विशिष्टियों को देता है जैसा यह प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हो कि दस्तावेज को किसी कम्प्यूटर द्वारा बनाया गया था,

प्रमाणपत्र में कथित किसी मामलें का साक्ष्य होगा और इस उपधारा से प्रयोजनों हेतु यह इसका कथन करने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी और विश्वास से कहा गया कथन होने के मामलें में पर्याप्त होगा।

सामान्य पोर्टल।

**146.** सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकरण, कर के भुगतान, विवरणी के प्रस्तुतीकरण, एकीकृत कर की संगणना और समाधान, इलेक्ट्रोनिक वे बिल और ऐसे अन्य कृत्यों और प्रयोजनों को जारी रखने के लिए, जो विहित किए जाएं, प्रसुविधा के लिए सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रोनिक पोर्टल को अधिसूचित कर सकती है।

डीम्ड निर्यात।

**147.** सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, जहां प्रदाय किया गया माल भारत से प्रस्थान नहीं करता है और ऐसी प्रदाय के लिए भुगतान भारतीय रुपए या संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो गया है, यदि ऐसा माल भारत में विर्निमित किया गया है, कतिपय माल के प्रदाय को ''डीम्ड निर्यात'' के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

कतिपय प्रक्रियाओं के लिए विशेष पद्धति।

**148.** सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, और ऐसी शर्तों और सुरक्षा के अध्यधीन, जो विहित किए जाए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्गों और ऐसे व्यक्तियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली विशेष पद्धति को अधिसूचित कर सकती है, जिसमें रजिस्ट्रीकरण से संबंधित, विवरणी का प्रस्तुतीकरण, कर का भुगतान और ऐसे व्यक्तियों का प्रशासन भी शामिल है।

माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग।

**149.** (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में उसके अभिलेख पर आधारित सरकार द्वारा माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग स्कोर समनुदेशित कर सकता है।

(2) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग स्कोर को ऐसे मानकों के आधार पर, जो विहित किए जाएं, अवधारित किया जा सकता है।

(3) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग स्कोर को अवधारित अन्तरालों पर अद्यतन किया जाएगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सूचित किया जाएगा तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए पब्लिक डोमेन में भी रखी जा सकती है।

सूचना विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता ।

**150.** (1) कोई व्यक्ति जो–

(क) कोई कराधेय व्यक्ति ; या

(ख) कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक निकाय या संस्था ; या

(ग) मूल्य विर्धित कर या विक्रय कर या राज्य उत्पाद कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार का कोई प्राधिकारी या उत्पाद–शुल्क या सीमा शुल्क के संग्रहण के लिए उत्तरदायी केन्द्र सरकार का कोई प्राधिकारी ; या

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(घ) आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 43) के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई आयकर प्राधिकारी ; या

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 45क के खंड (क) के अर्थ के अंतर्गत कोई बैकिंग कंपनी ; या

(च) कोई राज्य विद्युत बोर्ड या विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम 36) के अधीन कोई विद्युत वितरण या प्रसारण अनुज्ञप्तिधारक या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कृत्यों से न्यस्त कोई अन्य इकाई ; या

(छ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ; या

(ज) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अर्थ के भीतर कोई रजिस्ट्रार ; या

(झ) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) के अधीन मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी ; या

(ञ) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 30), की धारा 3 के खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई समाहर्त्ता ; या

(ट) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 42), की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ; या

(ठ) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम 22), की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड़) में निर्दिष्ट निक्षेपागार ; या

(ड) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 3 के अधीन यथा गठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी ; या

(ढ) माल और सेवा कर नेटवर्क, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18), के अधीन रजिस्ट्रर्ड कोई कंपनी, ; या

(ण) कोई व्यक्ति जिसको धारा 25 की उपधारा (9) के अधीन विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई है ; या

(त) सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, कोई अन्य व्यक्ति, जो विनिर्दिष्ट किया जाए,

होते हुए, तत्समय लागू किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण या लेखा विवरण के अभिलेख या कोई आवधिक विवरणी या कर भुगतान के ब्यौरे और माल या सेवा या दोनों के संव्यवहार के अन्य ब्यौरे या किसी बैंक खाता या विद्युत खपत से संबंधित संव्यवहार या माल या संपत्ति का क्रय–विक्रय या आदान प्रदान के संव्यवहार या किसी संपत्ति में अधिकार या हित को अंतर्विष्ट करने वाले दस्तावेज के अभिलेख के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है, ऐसी अवधि के संबंध में, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाएं, ऐसे प्राधिकारी या अभिकरण को सूचना विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) जहां आयुक्त, या इस निमित्त उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना विवरणी में दी गई सूचना को त्रुटिपूर्ण समझता है, तो ऐसी सूचना विवरणी भरने वाले व्यक्ति को ऐसी त्रुटि की सूचना देगा और उसको ऐसी सूचना की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर, या उसकी ओर से किए गए आवेदन पर ऐसी और अवधि के भीतर, जो उक्त प्राधिकारी अनुज्ञात करे, उसे त्रुटि के परिशोधन करने का एक अवसर देगा, और यदि त्रुटि का परिशोधन उक्त तीस दिन की अवधि या इस प्रकार अनुज्ञात और अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना विवरणी भरी हुई नहीं समझी जाएगी और इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे ।

(3) जहां कोई व्यक्ति, जिसके द्वारा विवरणी दिया जाना अपेक्षित है, उसे वह उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं देता है, तो उक्त प्राधिकारी उसे नोटिस तामील करने की तिथि से नब्बे दिन की अनधिक अवधि के भीतर ऐसी सूचना विवरणी देने की अपेक्षा का नोटिस दे सकता है और ऐसा व्यक्ति सूचना विवरणी प्रस्तुत करेगा।

COURT BOOK

आंकड़े संग्रहण करने की शक्ति।

**151.** (1) आयुक्त यदि यह समझता है कि ऐसा किया जाना आवश्यक है, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम द्वारा विचारित या से संबंधित किसी मामले के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण करने के निदेश दे सकता है।

(2) ऐसी अधिसूचना जारी करने पर, आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, संबंधित व्यक्तियों से ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में उन आंकड़ों के संग्रहण से संबंधित किसी मामले के संबंध में ऐसी सूचना या विवरणी देने की मांग कर सकता है।

सूचना के प्रकटन पर वर्जन ।

**152.** (1) धारा 150 या धारा 151 के प्रयोजनों के लिए दिए गए किसी मामले के संबंध में एकल विवरणी या उसके भाग की सूचना, सम्बन्धित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की लिखित सहमति के बिना, ऐसी रीति में प्रकाशित की जाएगी, ऐसी विशिष्टियाँ किसी विशिष्ट व्यक्ति की पहचान के प्रति निर्दिष्ट न हो और ऐसी सूचना इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी ।

(2) इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजन को छोड़कर, कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन आंकड़े संग्रहण में या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए संकलन या उसके कंप्यूटरीकरण में नहीं लगा हुआ है, को धारा 151 में निर्दिष्ट कोई सूचना या कोई एकल विवरणी को देखने या उस तक उसके पहुँचने की अनुमति नहीं होगी ।

(3) इस धारा की कोई भी बात, कराधेय व्यक्तियों के किसी वर्ग या संव्यवहार के वर्ग से संबंधित किसी सूचना के प्रकाशन पर लागू नहीं होगी, यदि आयुक्त की राय में, ऐसी सूचना का प्रकाशन लोकहित में वांछनीय है।

किसी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त करना।

**153.** कोई अधिकारी, जो सहायक आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो, मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित के संबंध को ध्यान में रखते हुए, उसके समक्ष संवीक्षा, जांच, अन्वेषण या किसी अन्य कार्यवाही के किसी भी स्तर पर किसी भी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त कर सकता है।

नमूनों को प्राप्त करने की शक्ति।

**154.** आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, जहां वह ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी कराधेय व्यक्ति के कब्जे से माल के नमूने ले सकता है, और इस प्रकार लिए गए किसी भी नमूने की रसीद उपलब्ध कराएगा ।

सबूत का भार ।

**155.** जहां कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है, ऐसे दावे को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा ।

व्यक्तियों को लोक सेवक समझा जाना।

**156.** इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने वाले सभी व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझा जाएगा।

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण।

**157.** (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए अपील अधिकरण के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों या उक्त अपील अधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी ।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्यथा विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी।

लोक सेवक द्वारा सूचना का प्रकट किया जाना।

**158.** (1) इस अधिनियम के अनुसार किय गए किसी कथन, दी गई विवरणी या प्रस्तुत किए गए लेखों या दस्तावेजों में, या इस अधिनियम (किसी दांडिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही से भिन्न) के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम में दिए गए साक्ष्य के किसी अभिलेख में या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के किसी अभिलेख में दिए गए सभी ब्यौरे, उपधारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, प्रकट नहीं किए जाएंगे।

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधाारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी से उपधारा (1) में निर्दिष्ट किन्हीं विशिष्टियों को इसके सम्मुख प्रस्तुत करने या उसकी बाबत उसके समक्ष साक्ष्य देने की अपेक्षा नहीं करेगा।

(3) इस धारा की कोई भी बात, निम्नलिखित के प्रकटीकरण पर लागू नहीं होगी,—

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(क) भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 49) या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन किसी अभियोजन के प्रयोजन के लिए किसी विवरण, विवरणी, लेखों, दस्तावेजों, साक्ष्य, शपथपत्र या अभिसाक्ष्य के संबंध में किन्हीं ब्यौरों ; या

(ख) इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या इस अधिनियम के कार्यान्वयन में कार्यरत किसी व्यक्ति को किन्हीं ब्यौरों ; या

(ग) ऐसे ब्यौरे, जब ऐसा प्रकटन किसी नोटिस की तामील या किसी मांग की वसूली की किसी प्रक्रिया में इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्ण प्रयोग द्वारा आवश्यक हैं ; या

(घ) किसी भी वाद या कार्यवाहियों में सिविल न्यायालय को किन्हीं ब्यौरों जिसमें इस अधिनियम के अधीन सरकार या कोई प्राधिकारी एक पक्षकार है जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य विधि के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से उत्पन्न होने वाले किसी मामले से संबंधित है, किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ऐसे किसी प्राधिकारी को प्राधिकृत करने के संबंध में; या

(ङ) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर प्राप्ति या कर के प्रतिदाय की लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अधिकारी के किन्हीं ब्यौरों; या

(च) ऐसे किन्हीं ब्यौरों जहां ऐसे ब्यौरे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी के आचरण के किन्हीं प्रयोजनों के लिए सुसंगत हैं; या

(छ) केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी के किन्हीं ब्यौरों, जो सरकार के किसी कर या शुल्क के उद्ग्रहण या वसूली हेतु समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो; या

(ज) किन्हीं ब्यौरों जिनके प्रकटन तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन कोई लोक सेवक या कोई अन्य कानूनी प्राधिकारी द्वारा उसकी या उसकी शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग द्वारा आवश्यक हो ; या

(झ) सशक्त किसी प्राधिकारी को किसी पेशारत अधिवक्ता, कर व्यवसायी, पेशारत लागत लेखाकार, पेशारत चार्टर्ड अकाउंटेंट, पेशारत कंपनी सचिव के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के सम्बन्ध में दुराचरण के अभियोग की किसी जाँच, विधि व्यवसाय, लागत लेखाकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव, जैसी भी स्थिति हो, के पेशा में लगे हुए सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु सुसंगत किन्हीं ब्यौरों का प्रकटन; या

(ञ) स्वचालित प्रणाली के डाटा प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए या किसी स्वचालित प्रणाली के संचालन, उन्नत करने या अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अभिकरण के किन्हीं ब्यौरों जहां ऐसा अभिकरण उपरोक्त प्रयोजनों के ऐसे ब्यौरों के प्रयोग या प्रकट नहीं करने की संविदा आबद्ध है; या

(ट) तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के प्रयोजन के लिए यथा आवश्यक सरकार के किसी अधिकारी को किन्हीं ऐसे ब्यौरों ; और

(ठ) प्रकाशन के लिए कराधेय व्यक्तियों के किसी वर्ग या संव्यवहारों के किसी वर्ग से संबंधित कोई सूचना यदि आयुक्त की राय में, ऐसी सूचना का प्रकाशन लोक हित में वांछनीय है।

कतिपय मामलों में व्यक्तियों के विषय में सूचना का प्रकाशन।

**159.** (1) यदि आयुक्त या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की राय है कि किसी व्यक्ति का नाम और ऐसे व्यक्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों या अभियोजन से संबंधित किन्हीं अन्य ब्यौरों का प्रकाशन लोकहित में आवश्यक या समीचीन है, तो वह ऐसी रीति में ऐसे नाम और ब्यौरों का प्रकाशन, जो वह ठीक समझे, करवा सकता है।

(2) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के संबंध में इस धारा के अधीन कोई प्रकाशन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक धारा 107 के अधीन अपील प्राधिकारी को कोई अपील प्रस्तुत करने के लिए समय, कोई अपील प्रस्तुत किए बिना समाप्त नहीं हो जाता है या कोई अपील, यदि प्रस्तुत की जाती है, का निपटारा नहीं हो जाता है।

COURT BOOK

**व्याख्या.–** फर्म, कंपनी या अन्य व्यक्तियों के संगम की दशा में, फर्म के भागीदारों के नाम, कंपनी के निदेशकों, प्रबंधकीय अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों या प्रबंधकों या संगम के सदस्यों, जैसी भी स्थिति हो, नाम प्रकाशित किए जा सकते हैं, यदि आयुक्त या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की राय में मामले की परिस्थिति में ऐसा करना न्यायसंगत हो ।

कतिपय बिन्दुओं पर निर्धारण कार्यवाहियों आदि का अविधिमान्य न किया जाना।

**160.** (1) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में किए गए, प्रतिग्रहण किए गए, बनाए गए, जारी किया गया, संस्थित की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई निर्धारण, पुनर्निर्धारण, न्यायनिर्णयन, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, अपील, परिशोधन, नोटिस, समन या अन्य कार्यवाहियां किसी गलती, त्रुटि या लोप होने के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी या नहीं समझी जाएंगी, यदि ऐसे निर्धारण, पुनर्निर्धारण, न्यायनिर्णयन, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, अपील, परिशोधन, नोटिस, समन या अन्य कार्यवाहियां इस अधिनियम या अन्य विद्यमान किसी विधि के आशय, प्रयोजन और अपेक्षा के अनुरूप या के अनुसार तात्पर्य और प्रभाव हो।

(2) किसी नोटिस, आदेश या संसूचना की तामील प्रश्नगत नहीं की जाएगी, यदि नोटिस, आदेश या संसूचना, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसरण में उस व्यक्ति द्वारा पहले ही कार्यवाही की गयी है जिसके नाम उसे जारी किया गया है, या जहां ऐसे तामील नोटिस, आदेश या संसूचना के अनुसरण में पूर्व में प्रारम्भ, जारी, कार्यवाहियां पूर्ण करने में प्रश्नगत नहीं की गई है।

अभिलेख पर प्रकट त्रुटि का परिशोधन।

**161.** धारा 160 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, और इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में दी गई किसी बात किसी के होते हुए भी, कोई प्राधिकारी, जिसने कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है, नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज जारी किया है, ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या किसी दस्तावेज, जैसी भी स्थिति हो, के जारी होने की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर ऐसी किसी त्रुटि का परिशोधन कर सकता है जो ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज में त्रुटि अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती है, और जो उसकी स्वप्रेरणा से या इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या प्रभावित व्यक्ति द्वारा उसके संज्ञान में लाई जाती है :

परंतु ऐसा परिशोधन ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या किसी अन्य दस्तावेज के जारी होने की तिथि से छह मास की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि उक्त छह मास की अवधि ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां परिशोधन, दुर्घटनावश किसी चूक या लोप से उद्भूत मात्र लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि की शुद्धता के स्वरूप की हो :

परंतु यह और कि जहां कोई व्यक्ति ऐसे परिशोधन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, वहां परिशोधन करने वाले प्राधिकारी द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाएगा।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर वर्जन।

**162.** धारा 117 और 118 में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी सिविल न्याायालय को इस अधिनियम के अधीन किये गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात से उदभूत या सम्बन्धित किसी प्रश्न से निपटने या विनिश्चय करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

फीस उदग्रहण।

**163.** जहां किसी आदेश या दस्तावेज की प्रति आवेदन पर उस प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाती है, तो वहां ऐसी फीस, जो विहित की जाए, का भुगतान किया जाएगा।

सरकार को नियम बनाने की शक्ति।

**164.** (1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार, ऐसे सभी या किसी मामले के लिए नियम बना सकती है जिन्हें इस अधिनियम द्वारा विहित किया जाना है या किया जा सकता है या जिसके संबंध में उपबंध नियमों द्वारा किए जाने हैं या किए जा सकते हैं।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति में उन्हें या उनमें से किन्हीं को इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त होने की तिथि के पश्चात् किसी तिथि से भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति सम्मिलित होगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा उसके उल्लंघन पर दस हजार से अनधिक शास्ति लगाए जाने का उपबंध किया जा सकता है।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

**165.** सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकती है। विनियम बनाने की शक्ति।

**166.** इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाए गया प्रत्येक नियम, सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम तथा सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, बनाये या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखी जाएगी और यदि उस सत्र या उन आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व राज्य विधानमण्डल नियम या विनियम या अधिसूचना, जैसी भी स्थिति हो, में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाता है या राज्य विधानमण्डल सहमत हो जाता है कि वह नियम या विनियम या अधिसूचना नहीं बनाई या नहीं जारी की जानी चाहिए, तो यथास्थिति ऐसा नियम या विनियम या ऐसी अधिसूचना, तत्पश्चात, यथास्थिति, केवल ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगी या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस नियम या विनियम या अधिसूचना, जैसी भी स्थिति हो, के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव के होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना ।

**167.** आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति, ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा भी प्रयोग करने का निदेश कर सकता है । शक्तियों का प्रत्यायोजन।

**168.** आयुक्त, यदि इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समरूपता के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, राज्य कर अधिकारियों को उसके द्वारा उचित समझा जाने वाला ऐसा आदेश, अनुदेश या निदेश जारी कर सकता है और इस अधिनियम के कार्यान्वयन में नियोजित सभी ऐसे अधिकारी और सभी अन्य व्यक्ति ऐसे आदेशों, अनुदेशों या निदेशों का अनुसरण और पालन करेंगे। अनुदेशों या निदेशों को जारी करने की शक्ति।

**169.** (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या अन्य संसूचना तामील निम्नलिखित किन्हीं में से एक ढंग द्वारा की जाएगी, अर्थात्:— कतिपय मामलों में नोटिस तामील करना।

(क) प्रेषिती या कराधेय व्यक्ति को या उसके प्रबंधक या प्राधिकृत प्रतिनिधि या ऐसा कोई अधिवक्ता या कर व्यवसायी जिसके पास कराधेय व्यक्ति की ओर से कार्यवाहियों में पेश होने का प्राधिकार है या कारबार के संबंध में उसके द्वारा नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति को या कराधेय व्यक्ति के साथ रह रहे परिवार के किसी वस्यक व्यक्ति सदस्य को सीधे देकर या सुपुर्द करके या संदेशवाहक, जिसके अंतर्गत कुरियर भी है, के द्वारा; या

(ख) जिसके लिए यह आशयित है उस व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो, को उसके कारबार या निवास के अंतिम ज्ञात स्थान पर अभिस्वीकृति सहित रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा ; या

(ग) रजिस्ट्रीकरण के समय या समय–समय पर यथा संशोधित उसके ई–मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वारा ; या

(घ) सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के द्वारा; या

(ङ) परिक्षेत्र, जिसमें कराधेय व्यक्ति या वह व्यक्ति जिसे यह जारी किया गया है, इससे पहले रहता था, कारबार करता था या अभिलाभ के लिए वैयक्तिक तौर पर कार्य करता था, में प्रचालित समाचारपत्र में प्रकाशन द्वारा; या

(च) यदि उपर्युक्त कोई ढंग व्यवहार्य नहीं है, तो उसके निवास या कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान पर किसी सहज दृश्य जगह पर चिपकाने के द्वारा और यदि किसी कारणवश ऐसा ढंग भी व्यवहारिक नहीं होता है, तो ऐसा विनिश्चय या आदेश पारित या समन या नोटिस जारी करने वाले अधिकारी या प्राधिकरण के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उसकी एक प्रति चिपकाने के द्वारा ।

(2) प्रत्येक विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या कोई संसूचना, ऐसी तिथि को तामील हुई समझी जाएगी जिसको इसे सुपुर्द किया गया है या प्रकाशित किया गया है या उपधारा (1) में उपबंधित रीति में उसकी एक प्रति चिपकाई गई है।

(3) जब ऐसे विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या किसी संसूचना को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया है, तो ऐसी डाक के पहुंचने में सामान्यतः लगने वाली अवधि की समाप्ति पर प्रेषिती द्वारा प्राप्त की गई समझी जाएगी जब तक प्रतिकूल साबित नहीं होता है।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

कर का पूर्णांकन इत्यादि ।

**170.** इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर की राशि, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य भुगतानयोग्य धन–राशि और प्रतिदाय की धन राशि या कोई अन्य देय राशि निकटतम रुपए से पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी राशि, जिसमें रुपए का एक भाग पैसे के रूप में है, तब यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है, तो इसे एक रूपए तक बढ़ाया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है, तो इसे अगणित किया जाएगा।

मुनाफाखोरी निरोधी उपाय ।

**171.** (1) किसी माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में किसी कमी या इनपुट कर प्रत्यय का लाभ, मूल्यों में आनुपातिक कमी के रूप में प्राप्तकर्ता को हस्तान्तरित किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, चाहे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कमी, उस द्वारा माल और सेवाओं या दोनों के मूल्यों में आनुपातिक कमी के वास्तविक परिणामतः हुई है, के परीक्षण के लिए परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण का गठन या उस समय लागू किसी विधि के अधीन गठित किसी विद्यमान प्राधिकरण को सशक्त कर सकती है।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विहित किए जाएं।

कठिनाइयाँ दूर करना ।

**172.** (1) यदि इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, राजपत्र में प्रकाशित किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों से अन्असंगत ऐसे उपबंध कर सकती है, जो उक्त कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हों :

परंतु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की कतिपय धाराओं का लोप।

**173.** इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसे छोडकर, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से ही हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 88 की उपधारा (1) का खण्ड (i) तथा धारा 121 का लोप कर दिया जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

**174.** (1) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसे छोडकर, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से ही,

(i) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित मालों को छोड़कर, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6);

(ii) हरियाणा स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का 8);

(iii) पंचायत या नगरपालिका या प्रादेशिक परिषद् या जिला परिषद् द्वारा उद्गृहित और संगृहित सीमा को छोड़कर, हरियाणा राज्य में लागू पंजाब मनोरंजन कर शुल्क अधिनियम, 1955 (1955 का पंजाब अधिनियम 16) ;

(iv) हरियाणा सुख–साधन कर अधिनियम, 2007 (2007 का 23),

(जिन्हें, इसमें, इसके बाद, निरसित अधिनियम निर्दिष्ट किए गए हैं) इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं।

(2) उप–धारा (1) या धारा 173 में वर्णित सीमा तक, उक्त अधिनियमों का निरसन और धारा 173 में विनिर्दिष्ट अधिनियमों का संशोधन (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात्, "ऐसा संशोधन" या "संशोधित अधिनियम", जैसी भी स्थिति हो, के रूप निर्दिष्ट किया गया है)–

(क) ऐसे संशोधन या निरसन के समय लागू या विद्यमान नहीं होने वाली कोई भी बात पुनः प्रवर्तित नहीं होगी; या

(ख) संशेधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों के पूर्व संचालन और उसके अधीन सम्यक् रूप से किए गए या भोगे गए आदेश या किसी बात को प्रभावित नहीं करेगी; या

(ग) संशोधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों या ऐसे निरसित या संशोधित अधिनियमों के अधीन आदेश के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व प्रभावित नहीं होंगेः

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

परंतु किसी अधिसूचना के द्वारा निवेश पर प्रोत्साहन के रूप में अनुदत्त कोई कर छूट, विशेषाधिकार के रूप में जारी नहीं रहेगी, यदि नियत दिन को या उसके पश्चात् उक्त अधिसूचना विखंडित हो जाती है; या

(घ) किसी कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माने, ब्याज को, जो देय हैं या देय हो सकते हैं या संशोधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों के उपबंधों के विरूद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत समपहरण या दिए गए दंड को प्रभावित नहीं करेगा ;

(ङ) किसी अन्वेषण, जांच, सत्यापन (संवीक्षा और लेखा–परीक्षा सहित), निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य कोई विधिक कार्यवाही या बकायों की वसूली या यथापूर्वोक्त किसी ऐसे कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, समपहरण या दंड के संबंध में उपचार और किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, सत्यापन (संवीक्षा और लेखा–परीक्षा सहित), निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णय और अन्य विधिक कार्यवाहियों या बकायों की वसूली या उपचार को संस्थित, जारी या प्रवर्तित कर सकता है और किसी ऐसे कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, समपहरण या दंड उद्‌गृहीत या अधिरोपित कर सकता है मानो ये अधिनियम इस प्रकार संशोधित या निरसित नहीं किए गए हैं को प्रभावित नहीं करेगी;

(च) किन्हीं कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत जिनका संबंध किसी अपील, पुनर्विलोकन, समीक्षा या सन्दर्भ जिन्हें नियत दिन से पूर्व या उस दिन को या उसके पश्चात् उक्त संशोधित या निरसित अधिनियमों के अधीन संस्थित किया गया है और ऐसी कार्यवाहियां उक्त संशाधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों के अधीन जारी रहेंगी मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो और उक्त अधिनियमों को सशोंधित या निरसित नहीं किया गया हो, को प्रभावित नहीं करेगा ।

(3) धारा 173 और उप–धारा (1) में निर्दिष्ट विशिष्ट मामलों के उल्लेख को निरसन के प्रभाव के संदर्भ में पंजाब साधारण खण्ड अधिनियम, 1898 (1898 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 4 के व्यापक रूप से लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने के लिए नहीं माना जायेगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

## अनुसूची I

*(देखिए धार 7)*

**प्रतिफल के बिना किये गए क्रियाकलापों को भी प्रदाय के रूप में समझा जाएगा**

1. कारबार आस्तियों का स्थााई अंतरण या निपटान जहां ऐसी आस्तियों पर इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया गया है ।

2. धारा 25 में यथा विनिर्दिष्ट संबंधित व्यक्तियों या सुभिन्न व्यक्तियों के बीच माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय, जब ऐसा प्रदाय कारबार के अनुक्रम या उसे अग्रसर करने में किया गया है:

परंतु किसी नियोजक द्वारा किसी कर्मचारी को किसी वित्तीय वर्ष में पचास हजार रुपये से अनधिक मूल्य की दी गई भेंट को माल या सेवा या दोनों का प्रदाय नहीं माना जाएगा ।

3. माल का प्रदाय–

(क) जो किसी प्रधान द्वारा उसके अभिकर्ता को किया गया है, जहां अभिकर्ता प्रधान की ओर से ऐसे माल का प्रदाय करने का वचन देता है ; या

(ख) जो किसी अभिकर्ता द्वारा उसके प्रधान को किया गया है, जहां अभिकर्ता प्रधान की ओर से ऐसे माल को प्राप्त करने का वचन देता है ।

4. कारबार के अनुक्रम या अग्रसर करने में, भारत से बाहर किसी संबंधित व्यक्ति से या अपने किसी अन्य स्थापना से कराधेय व्यक्ति द्वारा सेवाओं का आयात करना।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

## अनुसूची II

*(देखिए धारा 7)*

### क्रियाकलापों को माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जाना

**1. अंतरण–**

(क) माल में हक का कोई अंतरण, माल का प्रदाय है ;

(ख) माल में हक या माल में उसके हक के अंतरण के बिना अविभाजित हिस्से का कोई अंतरण, सेवाओं का प्रदाय है ;

(ग) माल में हक़ का अंतरण, जो किसी ऐसे करार के अधीन हुआ है जो अनुबंध करता है कि माल में संपत्ति का हस्तांतरण यथा सहमति सम्पूर्ण प्रतिफल के भुगतान पर आगामी तिथि को होगा, माल का प्रदाय है।

**2. भूमि और भवन–**

(क) कोई पट्टा, कास्तकारी, सुखाचार, भूमि के आधिपत्य की अनुज्ञप्ति, सेवाओं का प्रदाय है ;

(ख) किसी भवन, जिसके अंतर्गत कारबार या वाणिज्य के लिए वाणिज्यिक, औद्योगिक या आवासीय कम्पलेकस है, को पूर्णत या अंशतः किसी पट्टा या किराए पर देना, सेवाओं का प्रदाय है ।

**3. उपचार या प्रक्रिया–**

कोई उपचार या प्रक्रिया जो अन्य व्यक्तियों के मालों पर लागू की जाती है, सेवाओं का प्रदाय है ।

**4. कारबार आस्तियों का अंतरण–**

(क) जहाँ कारबार चलाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या उसके निदेश के अधीन कारबार की आस्तियों के भाग रूप बनने वाले किसी माल का, चाहे जिसके लिए प्रतिफल है या नहीं है, जहां तक कि दीर्घ समय तक उन आस्तियों का भागरूप न रहा हो, अंतरण या निपटान उक्त माल ऐसी आस्तियों का भाग न रहे, की दशा में ऐसा अंतरण या निपटान किया गया है, उस ऐसे माल का अन्तरण या निपटान व्यक्ति द्वारा माल का प्रदाय है ;

(ख) जहाँ व्यवसाय चलाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या उसके निदेश के अधीन कारबार के प्रयोजनार्थ धारित या प्रयुक्त माल किसी निजी उपयोग के लिए रखे गए हैं या उपयोग किए गए हैं, कारबार के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए, चाहे प्रतिफल हेतु या अन्यथा, किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराये गए हैं, तो ऐसे मालों का उपयोग या उपलब्ध कराया जाना, सेवाओं का प्रदाय है ;

(ग) जहां कोई व्यक्ति कराधेय व्यक्ति के रूप में नहीं रहता है, कोई माल जो उसके द्वारा चलाए जा रहे कारबार की आस्तियों का हिस्सा है, उसके कराधेय व्यक्ति के रूप में न रहने से तुरंत पूर्व उसके कारबार के अनुक्रम या अग्रसर करने में उसके द्वारा प्रदाय किया गया समझा जाएगा, जब तक,–

(i) कारबार का अंतरण किसी दूसरे व्यक्ति को चालू प्रतिष्ठापक के रूप में नहीं किया जाता है; या

(ii) कारबार ऐसे निजी प्रतिनिधि द्वारा नहीं चलाया जाता है जिसे कराधेय व्यक्ति समझा जाए ।

**5. सेवाओं का प्रदाय–**

निम्नलिखित को सेवा का प्रदाय माना जाएगा, अर्थात्–

(क) अचल संपत्ति को किराए पर देना ;

(ख) जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा समापन प्रमाण–पत्र, जहां अपेक्षित हो, के जारी होने के बाद या इसके प्रथम आधिपत्य, जो भी पहले हो, के पश्चात् संपूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर लिया गया है, के सिवाय, पूर्णतः या अंशतः किसी क्रेता को विक्रय हेतु आशयित किसी परिसर या भवन सहित किसी परिसर, भवन, सिविल संरचना या उसके किसी भाग का संनिर्माण ।

**व्याख्या.**–इस खंड के प्रयोजनों के लिए–

(1) "सक्षम प्राधिकारी" अभिव्यक्ति से अभिप्राय है, सरकार या तत्समय लागू किसी विधि के अधीन समापन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत कोई प्राधिकारी और ऐसे प्राधिकरण की ओर से ऐसा प्रमाणपत्र गैर अपेक्षित होने की दशा में, निम्नलिखित किन्ही में से, अर्थात्–

(i) वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 20) के अधीन गठित वास्तुविद् परिषद् से रजिस्ट्रीकृत कोई वास्तुविद्; या

(ii) इंजिनियरी संस्थान (भारत) से रजिस्ट्रीकृत कोई चार्टर्ड इंजिनियर; या

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(iii) शहर या कस्बा या गांव का संबंधित स्थानीय निकाय या विकास या योजना प्राधिकरण का कोई अनुज्ञप्ति सर्वेक्षक ;

(2) अभिव्यक्ति "संनिर्माण" जिसके अंतर्गत किसी विद्यमान सिविल संरचना में अतिरिक्त निर्माण, परिवर्तन, प्रतिस्थापन या पुन प्रतिरूपण है ;

(ग) किसी बौद्धिक संपत्ति अधिकार के उपयोग या उपभोग की अनुमति देना या अस्थाई अंतरण करना;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का विकास, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, क्रमादेशन, अनुकूलन, उन्नति, वृद्धि, कार्यान्वयन ;

(ङ) किसी कार्य से विरत होने की बाध्यता को मंजूरी देना या किसी कार्य या किसी स्थिति को सहन करना या किसी कार्य को करना; और

(च) किसी प्रयोजन के लिए नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं) किसी माल को उपयोग करने के अधिकार का कोई अंतरण

**6. संयुक्त भुगतान–**

निम्नलिखित संयुक्त प्रदायों को सेवाओं की प्रदाय के रूप माना जाएगा, अर्थात्–

(क) धारा 2 के खंड (119) में यथा परिभाषित कार्य संविदा; और

(ख) ऐसे माल का, जो मानव उपभोग के लिए खाद्य या कोई अन्य सामग्री है या किसी पेय (मानव उपभोग हेतु मादक शराब के अतिरिक्त), किसी सेवा के रूप में या उसके भाग रूप में या किसी अन्य रीति में, कोई भी हो, कोई प्रदाय, जहां, ऐसा प्रदाय या सेवा नकदी, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है।

**7. मालों का प्रदाय–**

निम्नलिखित को मालों की प्रदाय के रूप में माना जाएगा, अर्थात्ः–

किसी अनिगमित संगम या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का प्रदाय ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

## अनुसूची III

*(देखिए धारा 7)*

**क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल का प्रदाय माना जाएगा न ही सेवाओं का प्रदाय माना जायेगा**

1. किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के अनुक्रम में या के संबंध में नियोजक को दी गयी सेवाएं ।

2. तत्समय लागू किसी विधि के अधीन स्थापित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दी गयी सेवाएं ।

3. (क) संसद सदस्यों, राज्य विधानसभा के सदस्यों, पंचायतों के सदस्यों, नगरपालिकाओं के सदस्यों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्यों द्वारा पालन किए गए कृत्यों;

   (ख) संविधान के उपबंधों के अनुसरण में किसी पद को धारण किए हुए किसी व्यक्ति द्वारा उस हैसियत में पालन किए गए कर्तव्य; या

   (ग) केन्द्रीय सरकार या राज्यं सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित किसी निकाय में किसी व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य या निदेशक के रूप में दी गयी सेवाओं और जिसे इस खंड के प्रारंभ से पूर्व किसी कर्मचारी के रूप में न समझा गया हो ।

4. अंतिम संस्कार, दफनाना, शवदाहगृह या मुर्दाघर, जिसके अंतर्गत मृतक के परिवहन की सेवाएं ।

5. भूमि का विक्रय और, अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के खंड (ख) के अध्यधीन, भवन का विक्रय।

6. लाटरी, दांव और द्यूत के अतिरिक्त अनुयोज्य दावे ।

**व्याख्या**.– पैराग्राफ 2 के प्रयोजनों के लिए, शब्द "न्यायालय" के अंतर्गत जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय है।

.......

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।